खण्ड-132, अंक-3
बुधवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1876
(24 मार्च, 1954 ई0)

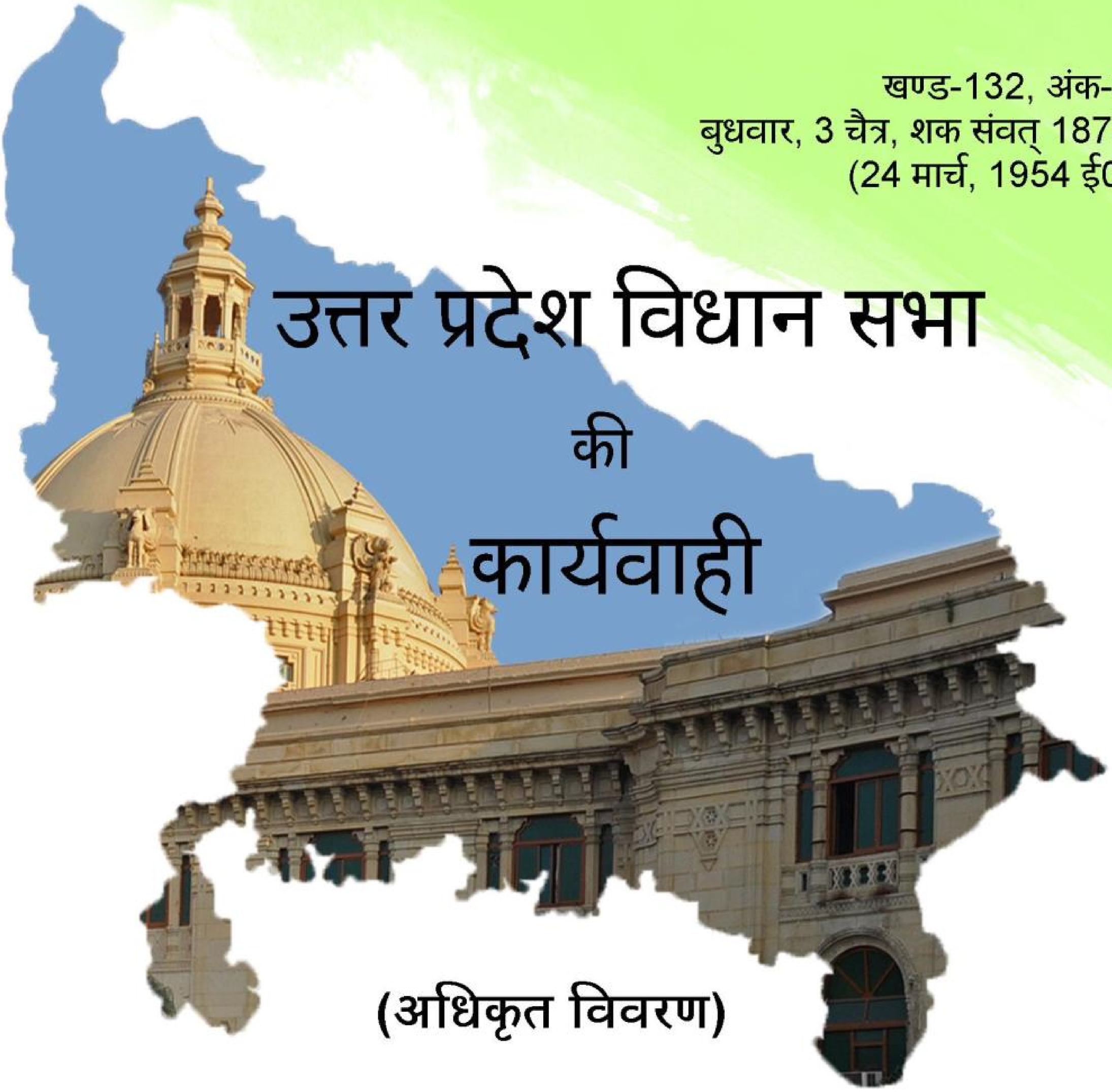

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 132 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ मार्च, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराएल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहाँ मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में ग्राम सभाओं द्वारा एकत्र धन

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में ग्राम सभाओं का कितना-कितना रुपया जमा है और कब से ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—तहसील में किसी भी गांव सभा का धन नहीं जमा है।

*२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में भी ग्राम सभाओं का रुपया जमा है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री कृपाशंकर—जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खुर्जा तहसील की ग्राम सभाओं का रुपया जो प्रधानों के पास जमा नहीं है वह कहां जमा है ?

श्री कृपाशंकर—जो पंचायत अधिकारी हैं उनके पर्सनल लेजर में जमा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री उन तहसीलों की ग्राम सभाओं की सूची बतलाने की कृपा करेंगे जिनका रुपया पंचायत अधिकारियों के लेजर में निजी तौर पर जमा है ?

श्री कृपाशंकर—जो रुपया उनका जमा है जब ग्राम सभाओं के प्रधानों के प्रस्ताव आते हैं तो वह रुपया उनको वापस कर दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सच है कि ग्राम सभाओं के बार-बार प्रस्ताव भेजने पर भी रुपया वापस नहीं दिया जाता जिससे उनमें असंतोष है ?

श्री कृपाशंकर—ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि असंतोष है और रुपया नहीं दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर तहसील की ग्राम सभाओं का रुपया भी पंचायत अधिकारी के नाम से जमा है?

श्री कृपाशंकर--पंचायत अधिकारी का पर्सनल लेजर होता है जिसमें वह रुपया जमा होता है। वह रुपया उनका पर्सनल नहीं होता बल्कि पर्सनल लेजर नाम का खाता होता है जिसमें रुपया जमा कर दिया जाता है। वह तहसील में जमा हो जाता है और जब प्रस्ताव आता है तो जांच-पड़ताल करके चेक के जरिये रुपया वापस कर दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश जारी करने की कोशिश करेंगे कि जहां प्रधानों को मांगने पर रुपया नहीं दिया जाता, प्रस्ताव आने पर वह दे दिया जाया करे।

श्री कृपाशंकर---इस तरह के आदेश की कोई जरूरत नहीं मालूम होती।

विधान सभा के सदस्यों को ग्राम तथा अदालती पंचायतों के काग़ज़-पत्र आदि के निरीक्षण का अधिकार

*३---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के सदस्यों को ग्राम पंचायतों तथा अदालती पंचायतों के कागज-पत्र आदि का निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाने वाला है?

श्री कृपाशंकर--जी नहीं।

*४--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--यदि हां, तो कितने दिनों में?

श्री कृपाशंकर---प्रश्न नहीं उठता।

जिला देवरिया में १९५१ तथा १९५२ में ए० पी० रिटेलरों को गल्ला ढोने का ठेका

*५---श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला देवरिया में सन् १९५१ और १९५२ में जो ए० पी० रिटेलरों के माल (गल्ला) ढोने के लिए ठेका दिया गया था वह नहीं ढोया गया और रिटेलरों से रुपया ले लिया गया जो रिटेलरों के बराबर वापस मांगने पर वापस नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---१९५१-५२ में रीजनल फूड कंट्रोलर, गोरखपुर ने बाकायदा जमानत पर देवरिया जिले में ए० पी० की दूकानों पर गल्ला ढोने के लिये एक ठेकेदार नियुक्त किया था। ठेकेदार को रक़म की अदायगी ऐसी रसीदों के पेश करने पर दी जाती थी जिन पर कि दुकानदारों के हस्ताक्षर होते थे कि गल्ला मिल गया है। इस दौरान में ए० पी० रिटेलरों ने शिकायत की कि ठेकेदार उस स्थान तक गल्ला नहीं पहुंचाता जहां तक का किराया पहले ही सरकार के पास जमा कर दिया गया था ऐसी स्थिति में रिटेलरों को स्वयं माल ढोने की आज्ञा दे दी गई। इस बीच ठेकेदारको रुपयों की कमी पड़ी और उसने इस शर्त पर प्राबीजनल पेमेंन्ट हासिल कर लिया कि यदि प्राबीजनल पेमेंन्ट क्लेम से अधिक हुआ तो वह उसके बिल से काट लिया जायगा। रिटेलरों ने स्वयं ढोये हुए माल का क्लेम किया है और चूंकि रिटेलरों तथा ठेकेदार दोनों के पास असंदिग्ध रूप से लिखित प्रमाण नहीं हैं इसलिए क्लेमों को तुरन्त निपटाने में कठिनाई हो रही है। किन्तु प्रयत्न किया जा रहा है कि

मामला जल्दी सुलझ जाये। यदि समझौता न हुआ तो रक़म अदालत के सुपुर्द कर दी जायेगी और तब जिस व्यक्ति को जितना क्लेम ठीक साबित होगा उतनी उसको रक़म अदा की जायगी।

*६—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया के रिटेलरों ने कितने रुपये का क्लेम किया है और उसे वापस करने में सरकार को क्या दिक्कत है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—रिटेलरों ने १७,८८५ रु० ८ आने ११ पाई का क्लेम किया है। मामला तुरन्त हल होने में कठिनाई इसलिये हो रही है कि ठेकेदार तथा रिटेलरों दोनों के पास असन्दिग्ध रूप से लिखित प्रमाण नहीं है कि ढुलाई का काम उनमें से किसने किया है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो क्लेम किया हुआ रुपया है यह कब तक वापस कर देने का सरकार का विचार है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह तो उत्तर में बतला दिया गया है कि चूंकि उनके पास असंदिग्ध प्रमाण-पत्र नहीं हैं जिससे यह जाहिर हो कि वह गल्ला रिटेलरों तक किसने पहुंचाया है तो तब तक वह रुपया अदा नहीं किया जा सकता। यह साफ कह दिया गया है कि अगर यह मामला आपसी समझौते से तय नहीं हुआ तो अदालत के पास यह मामला भेज दिया जायगा और फिर अदालत उस पर फैसला करेगी और जिसका भी क्लेम होगा वह अदालत द्वारा तय होने पर दिया जायेगा।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि आपसी समझौते के लिये क्या क्या यत्न किया गया?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आर० एफ० सी० गोरखपुर डिवीजन और स्थानीय सप्लाई अधिकारी इस दिशा में बराबर प्रयत्न करते रहे लेकिन उनको इस दिशा में सफलता नहीं मिली है क्योंकि उनके पास असंदिग्ध प्रमाण-पत्र जो उन्हें रसीदी हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिये था वह उनके पास नहीं प्राप्त हुये।

*७-८—श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[१ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[२६ मार्च, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विगत म्युनिसिपल बोर्डों के चुनावों में निर्वाचित महिला सदस्याएं

*१०—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत म्युनिसिपल बोर्डों के चुनावों में ऐसे कौन से म्यूनिसिपल बोर्ड हैं जिनमें महिला सदस्यायें चुनी गई हैं?

श्री कृपाशंकर—निम्नलिखित १८ बोर्डों में प्रत्येक में एक महिला सदस्या चुनी गयी है—

आजमगढ़, बांदा, बुलन्दशहर, देहरादून, फैजाबाद, गोरखपुर, उरई, गोला गोकरननाथ, मेरठ, चन्दौसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, देवबन्द, पीलीभीत, हलद्वानी, काठगोदाम, मसूरी और इटावा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्त्रियों के इतने कम संख्या में चुने जाने पर स्त्रियों के सीट रिजर्वेशन के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कृपाशंकर---अभी तो कोई ऐसा प्रश्न सरकार के सामने नहीं जान पड़ता।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी ऐसा कोई म्युनिसिपल बोर्ड बतलायेंगे कि जहां पर स्त्री चेयरमैन चुनी गयी हो ?

श्री कृपाशंकर--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री महाराज सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि विगत म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में कुल कितनी महिला सदस्या उम्मीदवार थीं जिनमें से यह १८ चुनी गयीं ?

श्री कृपाशंकर--- इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य चाहें तो नोटिस दे सकते हैं।

पेसारा, जिला जौनपुर में औषधालय की आवश्यकता

*११---श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेसारा, तहसील केराकत, जिला जौनपुर के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र वहां औषधालय खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पास आया है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)---जी हां।

श्री परमेश्वरी राम (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री बनारसीदास---वहां पर मकान का प्रबन्ध हो गया है और चिकित्सक के रहने के लिये भी प्रबन्ध करने का वायदा किया गया है और आगामी वर्ष में आशा है कि वहां पर औषधालय खोल दिया जायगा।

श्री परमेश्वरी राम---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि किस महीने से वहां पर कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री बनारसीदास---जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि वहां पर औषधालय के लिये मकान मिल चुका है और चिकित्सक के रहने के लिये जैसा कि वायदा किया गया है उसके लिये व्यवस्था की जा रही है जैसे ही वह व्यवस्था हो जायगी तुरन्त ही वहां पर औषधालय खोल दिया जायगा।

राज्य में नियंत्रित नमक की सप्लाई

*१२---श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य में नियंत्रण के अधीन प्रति मनुष्य प्रतिमास नमक कितनी मात्रा में सप्लाई किया जाता है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ११ श्री परमेश्वरी राम ने पूछा।

श्री बनारसीदास--राज्य में प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार नमक खरीद सकता है। जिलों में जनसंख्या तथा पूर्ति का ध्यान रखते हुये १६ औंस प्रति मास प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोटा नियत किया जाता है।

*१३--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या सरकार को विदित है कि बहराइच जिले के लिये जितना नमक का कोटा (वैगनों में) स्वीकृत है उतने से कम लगभग दो वर्ष से बराबर पहुंच रहा है।

श्री बनारसीदास--जी हां।

सन् १९५२ में तो लगभग पूरा पूरा कोटा पहुंचा था पर सन् १९५३ में अवश्य कुछ कम नमक पहुंचा जिसके लिये दूसरे नमक सूत्र धारंगधरा से सौ गाड़ी नमक पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया था। सन् १९५२ तथा १९५३ में नमक-प्राप्ति के आंकड़ों की एक तालिका प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०९ पर)

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कोई नमक ऐसा भी है जो आवश्यकतानुसार कंट्रोल के अलावा भी बाजार में मिल सकता है?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आवश्यकतानुसार कोटे के अलावा नमक कहां से मिल सकेगा?

श्री बनारसीदास--उत्तर में बताया गया कि एक आदमी की जितनी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से जिले का कोटा निश्चित किया जाता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार अपने जिले से ही नमक खरीद सकता है।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या बहराइच जिले में १२ आउन्स नमक ही दिया गया था?

श्री बनारसीदास--ऐसा नहीं है। जैसा अभी बतलाया गया वहां पर भी १६ आउन्स के हिसाब से ही कोटा मुकर्रर था लेकिन वहां कुछ नमक कम पहुंचा, इस वजह से कमी हो गयी लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--क्या सरकार जिला बहराइच को अब पूरा कोटा भिजवाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री बनारसीदास--अब तो प्रबन्ध किया जा चुका है। सांभर के सोर्स से वहां कोटा आता था वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कम कर दिया तथा छोटी लाइन पर होने से कमी हो गयी लेकिन अब समुद्री नमक भिजवाने का प्रबन्ध किया गया है। अब वह कमी नहीं रही है?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार सी साल्ट को स्वतंत्र करने के बारे में विचार रखती है?

श्री बनारसीदास--कहा यह गया कि किसी न किसी कोर्स से कोटा पूरा किया जाता है इसलिये यह नहीं हो सकता कि सामुद्रिक नमक को फ्री कर दिया जाय।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या सरकार ने प्रदेश में सेंधे नमक का भी कोई प्रबन्ध किया है?

श्री बनारसीदास--जो नहीं क्योंकि हमारे देश में वह पैदा नहीं होता।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बतायेगी कि किसानों को अपने पशुओं को भी नमक देने की आवश्यकता होती है। क्या सरकार ने उसका कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री बनारसीदास--जो कोटा निश्चित किया गया है उसमें इतना नमक अधिक होता है कि पशुओं को भी उसमें से खरीदा जा सकता है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रांत में किस किस प्रकार का नमक वितरित किया जाता है ?

श्री बनारसीदास--हमारे प्रदेश में ३ सोर्सेज से नमक आता है (१) सांभर लेक, (२) धरंधरा और (३) समुद्र से।

*१४-१५--श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--[१४ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

*१६-१८--श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)--[७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

आटा मिलों को इम्पोर्टेड गेहूं बेंचने की शर्तें

*१९--श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३०,००० टन इम्पोर्टेड गेहूं किन किन आटा मिलों को किस दर एवं शर्त के साथ बेंचने का मुआहिदा हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सरकार ने प्रदेश में रौलर फ्लावर मिलों को विदेशी तथा देशी दोनों प्रकार का गेहूं देना तय किया है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित मिलों के साथ इस संबंध में करार हुआ है :--

श्री वेंकटेश्वर रोलर फ्लावर मिल्स, लखनऊ	..	४७३० टन
आगरा रौलर फ्लावर मिल्स, आगरा	..	१४६५ टन
मूलचन्द श्यामलाल फ्लावर मिल्स, आगरा	..	११०० टन
रावलपिंडी फ्लावर मिल्स, मुरादाबाद	..	१४६५ टन
कृष्णा फ्लावर मिल्स, मेरठ	..	१७०० टन
होलमिल आटा मिल्स लि०, बाराबंकी	..	२२५ टन
गैंजेज फ्लावर मिल्स, कानपुर	..	२१९४ टन
श्रीराम महादेवप्रसाद रौलर फ्लावर मिल्स, कानपूर	..	२१९४ टन
न्यू कानपुर फ्लावर मिल, कानपुर	..	२७३८ टन
इलाहाबाद मिलिंड कम्पनी	..	२१९४ टन
		अनुमानतः
योग	..	२०००५ टन

पहली चार मिलों का कोटा करार होने के बाद २५ प्रतिशत कम कर दिया गया है। जिन मिलों ने करार किया है उन्हें गेहूं निम्नलिखित दर से दिया जायेगा:

आटा बनाने के लिये १५ रु० ८ आना प्रतिमन

मैदा-सूजी तथा रवा बनाने के लिये १८ रु० ८ आना प्रति मन

ऐसी मिलों को गेहूं संक्षेप में निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा :—

(अ) मिलें आटा बनाने तथा रवा, सूजी, व मैदा बनाने के लिये गेहूं बराबर मात्रा में उठायेंगी ।

(ब) मिलें अपना कोटा ३१ मई, १९५४ तक उठा लेंगी । यदि मिलें निर्धारित तिथि तक अपना कोटा नहीं उठायेंगी तो बचे हुये कोटे के वितरण में यदि कोई हानि हुई तो मिलें उसका मुआवजा सरकार को देंगी।

(स) मिलें प्रस्तुत आटा यू० पी० तथा बिहार में बेचेंगी रवा, मैदा, सूजी तथा मैदा निकाला हुआ आटा देश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है ।

(ङ) यदि भारत सरकार दूसरे प्रदेशों में मिलको मिलने वाले गेहूं के दाम घटायेगी तो उसी अनुपात में प्रदेश सरकार भी दाम घटा देगी। यदि प्रदेश सरकार ए० पी० तथा एस० टी० क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में मिलों के अलावा किसी को १५ रु० ८ आने मन से कम पर गेहूं देगी तो उसी अनुपात में मिलों को १५ रु० ८ आने प्रतिमन की दर पर मिलने वाले गेहूं की दर में कमी कर देगी।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि मिलों के साथ यह करार किस आधार पर हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—करार की जो शर्तें हैं वह जवाब में बता दी गई हैं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इम्पोर्टेड गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को बाजार में साढे सात मन तक १५ रु० ८ आने की दर से मिल सकता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—क्या यह मिलें जिनके साथ इस तरह का करार हुआ है उन्हें बाजार से भी गेहूं खरीदने की छूट है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जो इम्पोर्टेड व्हीट है उसे खरीदने की इजाजत पर्पजेज के लिये जिनका अभी जिक्र किया गया है, नहीं दी गई है ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—जब आटा मिलें गवर्नमेंट के साथ एक बड़ी तादाद में गेहूं लेने का कंट्रैक्ट नहीं कर सकतीं और परिस्थितियों से विवश होकर अपने कारखानों को बन्द कर रही हैं ऐसी हालत में इन मजदूरों की दशा को देखते हुये क्या सरकार एक्सेपशनल केसेज में इन मिलों के साथ मुआहिदा करने पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐग्रीमेंट में जो लिख दिया गया है उसके मुताबिक सरकार विचार कर सकती है और उसके अतिरिक्त किसी बात पर भी विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस गेहूं से बनाया गया आटा और सूजी किन निर्धारित शर्तों पर बेची जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—शर्तें करार में निर्धारित हैं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या वजीर साहब यह बतलायेंगे कि जिन मिलों को उन्होंने गेहूं दिया है उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वह खालिस गेहूं का आटा पीस कर दें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां ।

श्री अब्दुल मुईज़ खां---क्या सरकार इसका भी प्रबंध कर रही है कि मिलें बहुत ज्यादा दाम पर आटा न बेंचें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वह तो एग्रीमेंट में लिख दिया गया है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट को बतौर वाकया मालूम है कि इलाहाबाद की फ्लावर मिल और दूसरे मिल वाले उसमें तीस परसेंट और गल्ला मिला करके बराबर बेच रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---क्या वह मिलें जो केवल आटा बनाती हैं, मैदा नहीं निकालतीं, उनके लिए सरकार कोई विशेष रियायत करने का इरादा रखती है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य---अगर वह और गेहूं खरीदना चाहेंगे तो गवर्नमेंट दे देगी, अधिक और कोई रियायत नहीं की जा सकती ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार स्केयरसिटी डिस्ट्रिक्ट्स में वहां की कोआपरेटिव सोसाइटीज को लोकल चक्कियों में इस गेहूं को पीसने की इजाजत उसी भाव पर देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---स्केयरसिटी एरियाज में तो गेहूं बहुत सस्ते दाम पर १४ रुपये मन के ऊपर दिया जा रहा है, । यदि वहां यह गेहूं दिया जायगा, तो जो मिलें उसको तैयार करेंगी, वह ज्यादा कीमत पर पड़ेगा । इसलिए वहां देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मेरा प्रश्न यह है कि क्या वहां की कोआपरेटिव सोसाइटीज को वहां की चक्कियों में पिसवाने के लिए गेहूं दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से कोई इस प्रकार की मांग नहीं आयी है । यदि वह इस प्रकार की मांग करेंगी, और उन शर्तों पर, जिन शर्तों पर मिलों को गेहूं दिया गया है, वह कार्य करना चाहेंगी, तो अवश्य वह यह गल्ला पा सकती हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---इन चक्कियों में पिसा हुआ आंटा कहां बिकता है, क्या माननीय अन्न मन्त्री जी इसे बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह उत्तर में साफ कर दिया गया है कि वह बाजार में बेच सकते हैं, जहां भी वे चाहें ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी ने जिस प्रकार यह गेहूं कुछ निश्चित शर्तों पर दिया है, उसी प्रकार से सूजी और आंटा भी कुछ शर्तों पर बेचने के लिए उन्हें आदेश देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस प्रकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन मिलों का चुनाव करने के पहले कोई टेंडर मांगा गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो सभी मिलों को सूचना दे दी गयी थी। जितने भी फ्लावर मिल्स वाले हैं, उनके प्रतिनिधियों की और सरकार के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग यहां हुई थी, और उसी में सब बातें तय हुई थीं।

*२०-२२---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[२१ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये]।

प्रदेश के जिला बोर्डों को वार्षिक सरकारी सहायता

*२३---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किस किस जिला बोर्ड को क्या क्या वार्षिक सरकारी सहायता प्रदान की जाती है ?

श्री कृपाशंकर---प्रदेश के जिस जिस जिला बोर्ड को वार्षिक सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, उसका विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रक्खा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१०-२११ पर)।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मन्त्री जी जो सूची पेश की गयी है, उसमें जिला बोर्डों को दी जाने वाली सहायताओं में इतना बड़ा भारी अन्तर है, उसके कारणों पर प्रकाश डाल सकेंगे ?

श्री कृपाशंकर---यह जो सहायता दी जा रही है, वह कोई निर्धारित तो है नहीं। कुछ एकाध कुछ जिले ऐसे हैं, जिनको सहायता अधिक दी गयी है, और बकिया जैसा होता है, उसीके हिसाब से मुख्तलिफ कामों के लिए दी जाती है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार सारे सूबे में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सहायता दी जाती है, वह सबको एक सा करने की सोच रही है ?

श्री कृपाशंकर---यह सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। जो दी गयी है, वह अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं।

श्री गेंदासिंह---सरकार कुल कितनी रकम बोर्डों को देती है, क्या यह बतलाने की कृपा माननीय स्वशासन मन्त्री जी करेंगे ?

श्री कृपा शंकर---६ लाख ९० हजार ३९५ रुपये।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय स्वशासन मन्त्री जी को मालूम है कि यह रकम जो जिला बोर्डों को दी जाती है, वह समय से न दिये जाने के कारण जिला बोर्डों को अध्यापकों के लिए तनख्वाह आदि देने में और अन्य कामों के करने में भी बड़ी कठिनाई होती है ?

श्री कृपाशंकर---हां, कठिनाई अवश्य कुछ होती है, लेकिन कोशिश यह की जा रही है कि उनको ठीक समय से रुपया मिल जाया करे।

होमियोपैथिक कालेज खुलवाने और उसकी परीक्षाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार

*२४---श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)---क्या सरकार कोई होमियोपैथिक कालेज खुलवाने और उसकी परीक्षाओं को मान्यता देने की बात सोच रही है ?

श्री बनारसीदास--यह प्रश्न विचाराधीन है। अर्थाभाव और कुछ अन्य कठिनाइयों के कारण अभी इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि होमियोपैथिक कालेज चालू करने के लिए कितने धन की जरूरत पड़ेगी ?

श्री बनारसीदास--जैसा अभी कहा गया है कि होमियोपैथिक कालेज के लिए करीब करीब दस बारह लाख रुपये से कम नहीं लग सकता है। अभी सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह कालेज की स्थापना कर सके, इसलिए अभी उसके डिटेल पर भी विचार नहीं किया गया है। लेकिन अनुमानतः दस बारह लाख रुपये से कम में कालेज नहीं स्थापित हो सकता है।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अर्थाभाव के अतिरिक्त अन्य कौन सी ऐसी कठिनाई है जिसकी वजह से होमियोपैथिक कालेज चालू नहीं किया जा सकता ?

श्री बनारसी दास--इस समय अन्य कठिनाइयां क्या हैं, उनका बतलाना उचित नहीं है ?।

*२५--२७--श्री उमाशंकर तिवारी (जिला बनारस)--[१४ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये]।

जिला रायबरेली के सिविल सर्जन के रहने के लिये सरकारी मकान

*२८--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के सिविल सर्जन के रहने के लिए कोई सरकारी मकान है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री दलबहादुर सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो मैंने पूछा है, कुछ गलत छपा है। मैंने यह पूछा था कि रायबरेली के सिविल सर्जन किस मकान में रहते हैं और क्या उनके लिए कोई सरकारी मकान नियत है, लेकिन इसमें सरकारी मकान ही कहा गया है कि नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप दूसरा पूरक सवाल पूछ लीजिये।

श्री दलबहादुर सिंह--मैं यह पूछना चाहता हूं कि रायबरेली में सिविल सर्जन किस मकान में रहते हैं ?

श्री बनारसीदास--इस समय जो अस्पताल है, उसके ऊपर दो कमरे खाली हैं, उसी में वह रहते हैं।

श्री दलबहादुर सिंह--क्या यह सही है कि पहले इस हिस्से में इस अस्पताल का आफिस था और अब वह हटा दिया गया है, और जो पुराना मकान है, वह खाली पड़ा है, वह उसमें रहते हैं या नहीं ?

श्री बनारसीदास--पहले वहां आफिस था, लेकिन इस समय ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द कोई मकान अलाट कर दिया जाय, क्योंकि सरकार के पास कोई सरकारी रेजिडेंस सिविल सर्जन के लिए नहीं है। इसलिए वह उन दो कमरों में ही रहते हैं। लेकिन आशा है कि वह जल्द वहां से शिफ्ट हो जायेंगे।

श्री दलबहादुर सिंह--क्या उनके अस्पताल में रहने से मरीजों को असुविधा पहुंचती है और सरकारी नौकर इस्तेमाल किये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैं इस आक्षेप के लिए इजाजत नहीं देता। यह तो राय का सवाल है, आप खुद राय कायम कर सकते हैं।

रायबरेली जिले के सलोन अस्पताल में डाक्टर

*२९--श्री दलबहादुर सिंह--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के सलोन अस्पताल में कौन डाक्टर किस समय से नियुक्त है ?

श्री बनारसीदास--रायबरेली जिले के सलोन अस्पताल में १८-२-१९५४ से डा० डी० एन० चटर्जी, पी० एस० एम० एस० कार्य कर रहे हैं।

*३०--श्री दलबहादुर सिंह--क्या उनके खिलाफ कुछ शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं ? और उन पर क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

काशी के अनाथालयों में आवश्यक सुधार

*३१--श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी में अनाथालयों के विषय में आवश्यक सुधार के लिए वह क्या व्यवस्थायें कर रही है ?

श्री कृपाशंकर--कुछ समय पहले से ही सरकार, केवल बनारस ही नहीं, परन्तु प्रदेश की ऐसी सभी संस्थाओं के सुधार की ओर ध्यान दे रही है। इस सम्बन्ध में एक स्टेट एड हाक बोर्ड (State *ad hoc* Board) सरकार को इन संस्थाओं से सम्बन्धित मामलों पर सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बोर्ड कब बना था और इस बोर्ड ने क्या-क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री कृपाशंकर--यह बोर्ड अभी हाल ही में बना है और इसमें आफिशियल और नान आफिशियल दोनों तरह के लोग हैं। उनकी ठीक संख्या क्या है, यह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बोर्ड बने अभी चन्द रोज ही हुए हैं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या माननीय मन्त्री जीको ज्ञात है कि बहुत से अनाथालय केवल महिलाओं की बिक्री के लिए ही खोले गये हैं ?

श्री कृपाशंकर--हां, ऐसा भी हो सकता है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत--क्या सरकार इन अनाथालयों के लिए कोई सरकारी या गैर सरकारी कमेटी बनाने का विचार रखती है ?

श्री कृपाशंकर---यह मैंने कहा कि इस तरह के मामले सरकार के ध्यान में बहुत पहले से आये और इसके लिए कमेटी बनायी गयी थी।

श्री अध्यक्ष---यह आपका सुनाई नहीं दे रहा है। इसको ठीक रखकर आप कहें।

श्री कृपाशंकर---मैंने यह बतलाया कि यह सरकार के विचाराधीन बहुत पहले से है पहले कमेटी बनायी गयी थी, और उसने सुझाव दिये, उसके मुताबिक स्टेट बोर्ड बनाया गया है, जो इन मामलों पर विचार कर रहा है कि क्या किया जाय। अभी कोई लिखित सुझाव नहीं आये। जब आ जायेंगे तब उनपर गौर किया जायगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई आंकड़े इस वक्त हैं, जिससे अनाथालयों की संख्या जानी जा सकें ?

श्री कृपाशंकर---जी नहीं, ऐसे कोई आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान बजट में अनाथालयों के लिए कितना रुपया रखा गया है ?

श्री कृपाशंकर---यह तो बजट से आप देख सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काशी में कितने अनाथालय हैं ?

श्री कृपाशंकर---काशी में कितने अनाथालय हैं, यह तो नहीं मालूम। लेकिन जिनको सहायता दी गयी है, उनके नाम मेरे पास हैं। काशी अनाथालय एसोसिएशन को १,५०० रुपया दिया गया है। भिनगा राज्य अनाथालय को ५०० रुपया दिया गया और काशी सेवा समिति अनाथालय को १,००० रुपया दिया गया है। कुल अनाथालय कितने हैं, इसकी संख्या मेरे पास नहीं है।

*३२---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---[३० अप्रैल, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]।

*३३---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[१४ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

*३४---श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)---[७ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

प्रदेश को मलेरिया से बचाने के उपाय

*३५---श्री गेंदासिंह---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि मलेरिया रोग प्रदेश के किस भाग में पिछले तीन वर्ष में फैला और उससे बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री बनारसीदास---सन् १९५१-१९५२ व १९५३ में निम्नलिखित जिलों में मलेरिया की महामारी फैली थी। मलेरिया निरोधक दवाइयों, जो मलेरिया के रोगियों में मुफ्त बांटी

गयी थीं, की मात्रा हर जिले के सामने लिखी है :—

	जिला		मुफ्त बांटी गयी मलेरिया निरोधक दवाइयों की मात्रा		
			कुनैन की गोलियां	सिन्कोना की गोलियां	पैल्यूड्रीन की गोलियां ०.३ ग्राम
			पौंड	पौंड	
१९५१	सहारनपुर	..	१७	...	५५,०००
	शाहजहांपुर	..	२०	...	१५,०००
	खेरी	..	१७	...	४०,०००
१९५२	फर्रुखाबाद	..	—	...	१६,०००
	अलीगढ़	..	—	...	३०,०००
	हमीरपुर	..	२७	२३	३०,०००
	मुजफ्फरनगर	..	७५	७५	२०,०००
१९५३	शाहजहांपुर	..	—	...	८,०००
	अलीगढ़	..	२५	२५	१०,०००
	आगरा	..	—	...	१०,०००
	फर्रुखाबाद	..	५०	...	२०,०००
	गोंडा	..	२०	...	१००,००
	सुलतानपुर	..	२५	...	१००००

सन् १९५२ से ऊपर लिखे जिलों में से सहारनपुर, अलीगढ़ और गोंडा के जिले सरकार की मलेरिया कन्ट्रोल स्कीम के अन्तर्गत हैं। ५०० गांव प्रत्येक जिले में डी० डी० टी० के छिड़काव के लिए चुने गये हैं। खीरी का पूरा जिला नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल यूनिट के अन्तर्गत है और शाहजहांपुर जिले की पुवायां तहसील नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल स्कीम की यूनिट, जिसका हेड-क्वार्टर पीलीभीत है, के अन्तर्गत है।

डी० डी० टी० का छिड़काव साल में दो बार, जून-जुलाई, सितम्बर-अक्तूबर में किया जाता है। मलेरिया की नाप और डी० डी० टी० के छिड़काव के फल की जांच के अतिरिक्त मलेरिया सर्वे का कार्य भी, सहारनपुर, गोंडा और अलीगढ़ के जिलों में मलेरिया सर्वे आफिसर्स करते हैं, जिनके क्वार्टर्स सहारनपुर, गोंडा और मथुरा में हैं और खीरी, शाहजहांपुर जिलों में मलेरिया सर्वे का काम नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल यूनिट के ऐन्टी मलेरिया आफिसर्स करते हैं।

*३६—श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि जो लोग मलेरिया दूर करने के लिए नियुक्त हुए हैं, दवा की कमी के कारण मलेरिया रोगी की सहायता करने में असमर्थ रहते हैं? यदि हां, तो भविष्य में इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है?

श्री बनारसीदास—यह ठीक नहीं है। मलेरिया की महामारी फैलते ही मलेरिया निरोधक दवाइयां मलेरिया ग्रसित क्षेत्रों में बीमारों को मुफ्त बांटने के लिए प्राविंशियल रिजर्व स्टाफ से दी जाती है। जिला हेल्थ आफिसरों की सब मांगें पूरी की गयी थीं और किसी भी जिले से दवाइयों की कमी की कोई शिकायत नहीं थी।

श्री गेंदासिंह—जिन जिलों में महामारी मलेरिया की थी, वहां कितनी मृत्यु हुई, माननीय अन्न मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप का मतलब तीनों सालों से है?

श्री गेंदासिंह--जी हां।

श्री बनारसीदास--मेरे पास सन् १९५२ के आंकड़े हैं :

सहारनपुर	१३,१६८
फर्रुखाबाद	४,५५७
खीरी	३,५७७
अलीगढ़	२,७५१
हमीरपुर	६२७
मुजफ्फरनगर	२,७२४
आगरा	२,३७८
गोंडा	६,१८८
सुल्तानपुर	२,०७९
शाहजहांपुर	१९,९७

श्री गेंदासिंह--गोरखपुर डिवीजन और बहराइच जिले में मलेरिया से कितने लोग पीड़ित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई, यह स्वास्थ्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास--गोरखपुर के सम्बन्ध में चूंकि पहले से सूचना नहीं मांगी गयी थी, इसलिए नहीं मंगवायी गयी। अगर सूचना चाहेंगे, तो दे दी जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मन्त्री जी को यह सूचना है कि पहाड़ी प्रदेश में भी अब मलेरिया होने लगा है ?

श्री बनारसीदास--वह मुझसे ज्यादा माननीय सदस्य को मालूम है, क्योंकि वह पहाड़ों से ही आते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मन्त्री जी को यह भी सूचना है कि दारुलशफा में मच्छर बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर भी आजकल मलेरिया का रोग फैल रहा है ?

(हंसी--कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि मलेरिया निवारण के लिए वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन भी है ? इस प्रदेश में दवा देता है।

श्री बनारसीदास--वह तो उत्तर में अभी बतलाया गया है कि नेशनल हेल्थ सर्विस की योजना के लिए वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन से सहायता मिलती है, और जिलों के अन्दर उसके सेन्टर्स हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिला भी मलेरिया-ग्रस्त जिलों में से है ?

श्री बनारसीदास--जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मलेरिया निवारण के लिए पैट्रियम दवा का भी प्रयोग किया जाता है ?

श्री बनारसीदास--इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा--मैं पूछना चाहता हूं कि जो पैल्यूड्रीन और कुनैन तकसीम की जाती है, उसका क्या तरीका है, किस तरीके से वह तकसीम की जाती है, किनके जरिये से ?

श्री बनारसीदास--वहां के हेल्थ विभाग के द्वारा तकसीम की जाती है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या यह सही है कि वह पैल्यूड्रीन और कुनैन गांव सभाओं और सरपंचों के जरिये बांटी जाती है, जिसके कारण सही-सही उसकी तकसीम नहीं हो पाती है ?

श्री बनारसीदास--यह सही बात है कि हेल्थ विभाग ग्राम सभाओं के प्रधानों और स्कूल के टीचर्स आदि से सहायता इसके तकसीम करने में लेता है ।

*३७--श्री गेंदासिंह--[हटा दिया गया ।]

खेती के यंत्रों तथा खाद आदि पर चुंगी न लगाने का आदेश

*३८--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या प्रादेशिक सरकार ने नगरपालिकाओं को यह आदेश दिया है कि खेती के यन्त्रों तथा खाद आदि पर चुंगी नहीं लगायी जा सकती ?

श्री कृपाशंकर--जी हां ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में बीज और सब्जी आदि के सम्बन्ध में ऐसी हिदायत दी गयी है ?

श्री कृपाशंकर--बीज के सम्बन्ध में तो इस वक्त मेरे पास कोई सूचना नहीं है । अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे, तो मंगा ली जायगी ।

मथुरा में सीमेंट सप्लाई की व्यवस्था

*३९--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सप्लाई आफिसर मथुरा के पास ऐसे कितने प्रार्थना पत्र सीमेंट की मांग से सम्बन्धित इस समय हैं कि जिनको १ वर्ष से अधिक समय हो गया परन्तु उन पर कार्रवाई नहीं हुई ?

श्री बनारसीदास--ऐसे कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं हैं ।

*४०--श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार सीमेंट सप्लाई की व्यवस्था ठीक करके किसानों को कुवां बनवाने में सुविधा प्रदान करने को सोच रही है ?

श्री बनारसीदास--यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुष्ट रोगियों के लिये सरकारी चिकित्सालय तथा उनका व्यय

*४१--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--कुष्ट रोगियों के लिए सरकार द्वारा खोले गये केन्द्रों में कितने प्रतिशत रोगियों को लाभ हुआ है और सरकार इन पर कितना व्यय करती है ?

श्री बनारसीदास--कुष्ट रोगियों के लिए सरकारी चिकित्सालय तथा उन पर वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ मे व्यय का ब्योरा सम्बन्धित तालिका में दिया है। ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे कितने प्रतिशत रोगियों को लाभ हुआ, यह बताया जा सके ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१२ पर ।)

नोट--तारांकित प्रश्न ४१ व ४२ श्री झारखंडेराय ने पूछे ।

*४२—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में यह भीषण रोग अधिकता से फैला हुआ है ?

श्री बनारसीदास—कुष्ट रोगों की व्यापकता का कोई आपरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है । किन्तु ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह रोग प्रदेश के पूर्वी जिलों में, पहाड़ी इलाकों में, तथा तराई के जिलों में अधिकता से फैला हुआ है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतालने की कृपा करेंगे कि इस प्रान्त में सरकार की ओर से कितने कुष्ट केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री बनारसीदास—यह तो अभी उत्तर में बताया जा चुका है कि जो तालिका संलग्न उसमें की गयी है तीन जगह सरकार की तरफ से हैं, तथा वैसे प्रान्त के अन्दर काफी ऐसे स्थान हैं, जहां पर दो लाख रुपया से अधिक अनुदान की शक्ल में जो सार्वजनिक संस्थायें हैं, उनको सहायता दी जाती है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जो प्राइवेट तरीके से कुष्ट रोगियों की दवा करने के लिए केन्द्र खोले गये हैं, वहां पर उनकी दवा करने का क्या तरीका है ?

श्री बनारसीदास—वहां पर औषधालय की तरफ से कुष्ट के रोगी रखे जाते हैं और जो रोगी वहां पर आकर रहते हैं, उनकी चिकित्सा और रसन सहन की व्यवस्था, उनकी तरफ से की जाती है और सरकार भी जो वहां पर रहते हैं, उनकी सहायता करती है ।

बहराइच नगरपालिका के चुनाव में हरिजन की सीट पर मुसलमान का चुनाव

*४३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहराइच नगरपालिका के चुनाव में हरिजन सीट से एक सदस्य श्री हुसेन बख्श अकबरपुर से निर्वाचित हुए हैं, जो मुसलमान हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां ।

*४४—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—यदि यह सही है, तो सरकार इस गलती के सुधार के निमित्त क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त व्यक्ति श्री सदस्य हुसैन बख्श को नामिनेशन के समय हरिजन होना किन के द्वारा प्रमाणित किया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में जो एलेक्शन आफिसर था, उसने किया था और कौन करेगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि कोई एलेक्शन पेटीशन वगैरह तो नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर—यही तो खराबी है कि एलेक्शन पिटीशन नहीं हुआ, वरना अगर होता, तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार ऐसे अफसरों पर कोई उचित कार्यवाही करेगी, जिन्होंने ऐसा प्रमाणित किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसमें कोई बदनियती तो थी नहीं। उनके जजमेंट की गलती जरूर थी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कोई मुसलमान अगर हरिजन बनना चाहे, तो सरकार को क्या आपत्ति है ?

(हंसी में खो गया।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गलती होने के क्या-क्या कारण थे ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक पता चलता है, उसका कारण यह था कि दो नामिनेशन वहां पर फाइल हुए। एक उनका और एक जुम्मन वल्द खैराती का। वह कास्ट बाल्मीकि थे और उन्होंने कास्ट धोबी लिखी थी। पहले उनके नामिनेशन पर आब्जेक्शन हुआ। लेकिन बाद में विदड्रा कर लिया गया और उसकी वजह से नामिनेशन वैलिड करार दियागया। एलेक्शन हुआ और एलेक्शन में चूंकि उनको ज्यादा वोट मिले, इस वजह से चुन लिये गये।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री हुसैन बख्श जी किस टिकट पर चुनाव लड़े थे ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब इस सीट के सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था सोच रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार यह सोच रही है कि कोई अख्तियार सरकार ऐसा ले ले कि अगर इस किस्म की गलतियां हो जायं तो उसे दुरुस्त किया जा सके।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने अर्से के अन्दर इस का सुधार होना निश्चित किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---यह ठीक तरह से नहीं बतला सकता। लेकिन जल्द से जल्द कोशिश की जायगी।

*४५---श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)---[५ अप्रैल, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६-४७---श्री जोरावर वर्मा---[७ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*४८---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---[२ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले की बांसी तहसील में नमक का भाव

*४९---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह पता है कि बस्ती जिले के बांसी तहसील में चार आना सेर नमक बिक रहा है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४९ श्री शिवनारायण ने पूछा।

श्री बनारसीदास—जी नहीं। सांभर नमक ६ पैसे सेर और समुद्री नमक ९ पैसे सेर बिक रहा है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को पता है कि बस्ती सदर में भी चार आने सेर नमक बिक रहा है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को अगर इसकी सूचना लिखित दी जाय तो उस पर विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास—अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आयेगी कि चार आने सेर नमक मिल रहा है तो उसकी जांच करायी जायगी और जो लोग चार आने सेर नमक बेचते होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री बसन्तलाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैपाल राज्य में यहां से नमक सप्लाई करने के लिये किसी किस्म की व्यवस्था है ?

श्री बनारसीदास—हमारे प्रांत की तरफ से नैपाल राज्य को नमक सप्लाई करने की व्यवस्था नहीं है।

*५०—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)—[२१ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५१—५३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[५ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३३—३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मेरठ नगर में वाल्मीकियों के लिये क्वार्टर्स

*५४—श्री रामजीलाल सहायक—क्या सरकार मेरठ नगर में वाल्मीकि भाइयों के लिए कुछ क्वार्टर्स बनाने का विचार रखती है ?

श्री कृपाशंकर—जी हां।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितने क्वार्टर बनाने की योजना है ?

श्री कृपाशंकर—६० क्वार्टर्स बनाने की योजना है।

श्री रामजीलाल सहायक—इन क्वार्टर्स के बनाने के लिये वाल्मीकि भाइयों को भी कुछ धन देना पड़ेगा।

श्री कृपाशंकर—यह बात तो वहां की म्युनिसिपैलिटी तय करेगी क्योंकि उनका बन्दोबस्त वही कर रही है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये क्वार्टर्स संभवतः कब तक बन जायेंगे।

श्री कृपाशंकर—बहुत जल्दी बनाने का विचार है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन क्वार्टर्स के लिये क्या किराया रक्खा गया है या किन शर्तों पर वे दिये जायेंगे ?

श्री कृपाशंकर---यह तो म्युनिसिपैलिटी ही तय करेगी कि क्या किराया वह तय करेगी और किन शर्तों पर देगी ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये क्वार्टर्स जो बनाये जा रहे हैं वे नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये हैं या औरों के लिये हैं जो मेरठ में रहते हैं ?

श्री कृपाशंकर---ये क्वार्टर्स तो उन्हीं लोगों के लिये हैं, जो वहां के वाल्मीकि भाई हैं लेकिन उनका एलाट करना म्युनिसिपल बोर्ड के डिस्पोजल पर होगा क्योंकि उसमें काफी रुपया म्युनिसिपल बोर्ड का ही लग रहा है । कुछ रुपया सबसिडी के तौर पर प्रान्तीय सरकार दे रही है और कुछ रुपया लोन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, बक़िया म्युनिसिपल बोर्ड ने दिया है । बोर्ड जिस तरह से चाहेगा बन्दोबस्त करेगा ।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये क्वार्टर्स जो वाल्मीकि भाइयों के लिये बनाये जा रहे हैं वे किस संवत, किस महीने और किस तिथि से आरम्भ किये जायेंगे ?

श्री कृपाशंकर---यह बात भी म्युनिसिपैलिटी ही तय करेगी ।

श्री शिवनारायण---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य जिलों में भी मेहतर भाइयों के लिये क्वार्टर्स बनाने का विचार यह सरकार रखती है ?

श्री कृपाशंकर---यदि वहां की म्युनिसिपैलिटीज चाहेंगी और सरकार के पास ऐसा कोई सुझाव भेजेंगी तो सरकार उसपर विचार करेगी ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह म्युनिसिपल बोर्ड्स की इच्छा पर ही निर्भर है कि वे क्वार्टर्स बनायें या न बनायें ?

श्री कृपाशंकर---हां, यह म्युनिसिपल बोर्ड्स की इच्छा पर ही निर्भर है और वहां के लोगों की इच्छा पर निर्भर है । यह सवाल पैदा होता है कि कहां ज़रूरत है और जहां पर काम चल सकता है वहां तो काम चल ही रहा है ।

श्री शिवनारायण---क्या गवर्नमेंट बतलाने की कृपा करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कुछ सहायता दे रही है ?

श्री कृपाशंकर---यह मैंने पहले ही बतलाया कि लोन मिला है ।

*५५-५६---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---[७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

पोस्टल बैलट द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री मलखानसिंह ने भेजा है लेकिन मैं उसकी अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि वह चुनाव के सम्बन्ध में है। जिस दिन एलेक्शन पेटिशन होगा वहाँ पर उस दिन वह अपनी उस सम्बन्ध में वह चाराजोई कर सकते हैं। यहां पर इस प्रकार का विषय नहीं आ सकता है। यह स्पष्ट करने के लिये मैंने सदन को अपना निर्णय बताया। वैसे मैंने उनसे अपने कमरे में कह दिया था कि यह विषय आ नहीं सकता है। इस कारण मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--- अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५४-५५ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों पर विवाद का कार्यक्रम आरम्भ होगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सुझाव रखता हूं ---

अनुदान संख्या ४६ को साढ़े तीन बजे तक लिया जाय, अनुदान संख्या ३६ और ४८ को मिलाकर उसके बाद लिया जाय और उसके लिये १ घंटा का समय रक्खा जाय और अनुदान संख्या ५० के लिये बाक़ी समय रक्खा जाय।

श्री अध्यक्ष---किसीको एतराज नहीं है इसलिये अनुदान संख्या ४६ साढ़े तीन बजे तक ली जायगी, अनुदान संख्या ३६ और ४८ दोनों के लिये एक घंटे का समय रहेगा तथा बाकी समय अनुदान संख्या ५० के लिये रहेगा।

अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ८१ (क)---विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब वाला, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६-लेखा शीर्षक ८१ (क)---विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ९,८१,३२,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इसमें ५,४४,५५,००० रुपया ऐसा है जो उन कामों के मुताल्लिक है जो इस वर्ष में खत्म होने वाले थे या हो रहे हैं और अगले वर्ष में भी जारी रहेंगे बाकी रुपया ४,०३,४९,७०० में से ४ करोड़ रुपया रिहन्द डैम के लिये रक्खा गया है बाक़ी रुपया कैश में हो रहे एक्स्टेंशन के लिये रक्खा गया है व उसपर जो आगे नया काम होने वाला है उसके लिये है। ये रकमें और वे काम जिनके मुताल्लिक यह रुपया खर्च होने वाला है वह सब इस अनुदान के नीचे बजट की वाल्यूम में बताये गये हैं, इसलिये उसकी कोई तफसील नहीं करना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से काम हैं। इससे एक बात यह मालूम होती है कि उसमें ४ करोड़ रुपये की एक रकम रिहन्द डैम पर अगले वर्ष खर्च करने के लिये रक्खी गयी है। मैंने यह बजट स्पीच के वक्त भी बतलाया था कि इसमें १ करोड़ ८० लाख रुपया ऐसा है जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयेगा। इस रिहन्द डैम पर जो खर्चा होने वाला है उसमें दो किस्म का खर्चा है एक तो वह जो कि बाहर जायगा यानी डालर की शक्ल में जिसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेमेन्ट होगा जिसकी चीजें वहां से मशीनरी वगैरा खरीदी जायंगी, उनकी कीमत में जो रुपया जायगा वह डालर में अदा होगा। वह कोई तकरीबन १६ करोड़ रुपया है और बाकी १७ करोड़ रुपया वह है जो यहीं खर्च होगा और यहीं से चीजें खरीदी जायंगी उसको रूपी पार्ट कहते हैं और जो बाहर जायगा उसको डालर पार्ट कहते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो ४ करोड़ रुपया मिलेगा वह बतौर कर्जे के होगा और एक करोड़ ८० लाख रुपया निकालने के बाद जो रकम बचती है वह अगले साल डालर पार्ट की है। एक करोड़ ८० लाख रुपया रूपी पार्ट है दोनों इसी सूरत में गवर्नमेंट आफ इंडिया से आने वाले हैं। इसके बनाने का इरादा ही नहीं है बल्कि उसका इंतजाम कर दिया गया है कि पहली अप्रैल से या अप्रैल के महीने से रेहन्द डैम का काम जो है वह बखूबी चालू हो जाये और उसको चालू करने के लिए प्लान के बनाने की जरूरत थी। वह प्लान भी बन गया है और वह इसी महीने के अन्दर खत्म हो जायेगा। इसी प्लान के मुताल्लिक वह काम चालू होगा। खासतौर से रेहन्द डैम के काम के लिए चीफ इंजीनियर के मातहत एक सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर इस काम के इंचार्ज बनाये जा रहे हैं और उसके इंतजाम के लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना दिया है कौन-कौन उसमें है वह पहले ही अखबारों में छप चुका है। पं० गोविन्द वल्लभ पंत उसके चेयरमैन है, मैं भी उसमें हूं, इर्रीगेशन मिनिस्टर, फाइनेन्स सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पी०डब्ल्यू०डी० भी हैं और एक दो साहब और हैं, उस बोर्ड को बनाने का मकसद यह है कि डिपार्टमेंटली किस तरीके से काम होता है और जितने स्टेजेज उसको तय करने को होते हैं और उसके अन्दर जो वह वक्त लगता है उसको बचाने के वास्ते उन आदमियों को जिनके थ्रू काम निकलता है वह एक के जिम्मे कर दिया गया है। जो बोर्ड का सेक्रेटरी है वह उसको बोर्ड के सामने रखेगा और जिस चीज की जरूरत होगी उसकी सैंक्शन वहीं आसानी से हो जायगी। इस तरह से उसका काम होता रहेगा और काम में किसी तरह की दिक्कत भी न हो। इसको बनाने की पांच साल की मियाद रखी गयी है कोशिश यह होगी कि पांच साल में पूरा हो जाये और यदि इससे पहले ही खत्म हो जाये तो अच्छा है। इसमें कोई शुबह की बात नहीं है कि रिहन्द डैम का काम न हो, काम भी होगा इस बात की पूरी कोशिश होगी। मैंने अपनी बजट की स्पीच में उन जिलों के नाम बतला दिये थे जिनको बिजली पहुंचायी जायेगी, गालिबन १६ जिलों की तादाद थी, शायद वह सब नाम मैं रिपीट न कर सकूं। इस चार करोड़ रुपये को निकाल कर बाकी जो रकम ५ करोड़ के करीब रहती है वह तो वही है जो पावर हाउस यहां बन रहे हैं, ईस्टर्न एरियाज में बन रहे हैं, पथरी में काम हो रहा है कुछ शारदा पावर हाउस में काम हो रहा है। शारदा एरिया में ट्रांसमिशन लाइन्स बन रही हैं गंगा ग्रिड में ट्रांसमिशन लाइन्स बन रही हैं, यह सब जो काम हो रहे हैं वह सब काम हो रहे हैं और उनके लिये ५ करोड़ की रकम इसके अन्दर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह बातें सुनने के बाद और बजट में जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद मालूम होगा कि इस रुपये को इस स्टेट के इंटेरेस्ट में खर्च किया जायगा। लिहाजा यह रुपया हम मंजूर करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के अधीन २५ लाख रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--लेकिन इसके लिये तो आपका इस किस्म का कोई नोटिस नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने श्रीमन्, सेक्रेटरी महोदय से पूछ लिया था उन्होंने कहा था कि हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--लेकिन सेक्रेटरी महोदय से बातचीत करने से कैसे काम चल जायगा जबतक आपकी नोटिस इस किस्म की न हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो आपकी आज्ञा से इस समय तो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--मैं इस समय बिला नोटिस के इजाजत नहीं दे सकता हूं। आप केवल एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो फिर एक ही रुपये का मान लिया जाय।

श्रीमन्, मेरा कटौती का उद्देश्य यह था कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकूं कि हर विभाग में और खास तौर पर इस विभाग में कंटिजेंसी के लिये ५ परसेंट रुपया रख दिया जाता है आकस्मिक व्यय के नाम पर, वह घटा दिया जाय। अगर हिसाब लगाया जाय तो जितने ओरिजिनल वर्क्स चल रहे हैं उनपर जो आकस्मिक व्यय पांच प्रतिशत रखा गया है अगर वह घटा कर आधा प्रतिशत कर दिया जाय तो काम चल सकता है और इतनी कटौती होने से २५ लाख रुपया बच सकता है। श्रीमन्, यह नियम इस विभाग में सदा से चला आया है कि पांच प्रतिशत कंटिजेंसी के लिये रख दिया जाता है। जब पहले लाखों का बजट होता था तब पांच प्रतिशत से हजारों रुपया ही आता था लेकिन अब लाखों रुपया हो जाता है। कंटिजेंसी कोई अप्रत्याशित खर्च नहीं होता है बल्कि यह खर्चा छोटी-छोटी चीजों जैसे कील रेती आदि के लिये होता है और इनके लिये २५ लाख रुपया बजट में अधिक रख लेना नितान्त ही असंगत है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और ५ प्रतिशत से इस आइटम को घटा कर आधा प्रतिशत कर दें।

दूसरी बात मैं रिहन्द डैम के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने अभी घोषणा की कि उसके निर्माण के सम्बन्ध में एक बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा है सरकार का ध्यान इस ओर गया लेकिन माननीय मंत्री जी ने पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों की ओर ध्यान नहीं दिया जिसमें कहा गया है कि उन सभी प्रांतों को मिल कर यह काम करना चाहिये जिनसे इस स्कीम का सम्बन्ध हो और जिनको उससे फायदा होता हो। पंचवर्षीय योजना के ५३वें चैप्टर में कहा गया है :--

"Practically all the major rivers in India run through more than one state and supplies in each river can certainly be used with advantage, in almost all cases, by more than one state to get maximum results, therefore, co-ordination between the requirements of each State is essential". तो इसमें बिहार और विन्ध्य प्रदेश की सरकारों से भी माननीय मंत्री जी को बातचीत करनी चाहिये और इनके नुमाइन्दों को भी बोर्ड में लेना चाहिये। अगर इस प्रांतीय बोर्ड में नहीं ले सकते तो इंटर प्राविंशियल बोर्ड होना चाहिये था। जैसा कि मछकुन्ड की स्कीम चल रही है और उसमें मद्रास और उड़ीसा की सरकारें दोनों ही मिलकर रुपया खर्च कर रही हैं। उस मछकुन्ड की स्कीम की भांति ही इस रिहन्दडैम के सम्बन्ध में तीनों ही सरकारों के नुमाइन्दे होने चाहिये। माननीय मंत्री जी इस साल ४ करोड़ रुपया इस पर खर्च कर रहे हैं और यह बताया गया था कि बहुत जोरों से रुपया जब खर्च होगा तब कहीं जाकर ५९ में यह बनेगा। खर्च बड़े जोरों से कब होगा। सारे प्रांत की मांग है कि रिहन्द डैम बने बहुत जल्द बने। मैं मांग करूंगा कि माननीय मंत्री जी १० करोड़ रुपये का रिहन्द डेम के लिये सूबे में लोन फ्लोट करें। बिहार, विन्ध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों प्रदेशों की सरकारें मिलकर रिहन्द डैम के लिये विशेष अपील करें लोन की तो मैं समझता हूं कि जनता भी रुपया देने के लिये तैयार होगी।

तो आप हिन्द डैम को बनाने के लिये जल्दी कोशिश करें और तीनों सरकारों से मिलकर इस बोर्ड का निर्माण करें और हिन्द डैम के नाम पर आप लोन फ्लोट करें तो आप इसे सन् ५७ तक ही बना सकते हैं ।

तीसरी बात यह है कि आजतक एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो बना ही नहीं । सन् ४८ का एक सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट बना हुआ है जिसे आज ६ साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं बन पाया है । इसलिये इस बात की परमावश्यकता है कि सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार एक प्राविंशियल बोर्ड बनाया जाय और उसी के मातहत सारी योजनायें चलाई जायं यह नहीं होना चाहिये कि आप हर योजना के लिये अलग अलग कमेटियां बनावें । तो जो एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बने उसी के हाथ में सारी ताकत रहे और तब आप काम को आगे चलावें ।

चौथी बात मैं स्पेशल डेवलपमेंट फंड के बारे में कहना चाहता हूं । पंचवर्षीय योजना का जो सुझाव है वह इस प्रकार है :

"Irrigation development ways and means fund should be created by State Government into which a definite sum of money should be paid every year either from general revenue or from loans and grants having from the Central Government and the proceeds of the betterment levy and increase of water rates etc." यह सिफारिश है । जो डेवलमेंट फंड बना था उसमें लोन का रुपया, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ग्रान्ट का रुपया नहीं रखा गया था और उसमें इंक्रीज्ड वाटर रेट्स का रुपया रक्खा जाता है । इस ९ करोड़ के अनुदान में से डेवलपमेंट फंड के लिये केवल ५१ लाख रुपया लिखा गया । इसलिये जितने भी लोन्स हमारे प्रान्त में वसूल किये जायं सबको इसी डेवलपमेंट फंड में लिखना चाहिये । श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस बजट में स्पेशल डेवलपमेंट फंड का एकाउन्ट नहीं है, वह एकाउन्ट भी आना चाहिये कि कितना रुपया स्पेशल डेवलपमेंट फंड में जायगा और किस प्रकार उसका खर्चा हुआ । इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना को भी ठुकराया जायगा ।

५वीं बात यह है कि हमारे यहां पावरहाउसेज की जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है उससे पूरे पूरे उपयोग करने की कोशिश नहीं की जा रही है । इसका नतीजा यह होता है कि कैपिटल आउट ले के इंटरेस्ट में कमी होती है और हमारी अन्डरटेकिंग्ज प्राफिटेबिल नहीं हो पातीं । उसकी मिसाल यह है कि मोहम्मदपुर पावर हाउस तो बन गया लेकिन उसकी ट्रांसमिशन लाइन ठीक टाइम पर नहीं बन पाई । गंगा हाइडल ग्रिड की जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है उसके ५२ फीसदी हिस्से का सिर्फ उत्पादन हो पाता है । अगर मैं इस साल के आंकड़े लूं तो गंगा ग्रिड में ही में हम देखते हैं कि ४५१०० किलोवाट इंस्टाल्ड कैपेसिटी है और केवल २७३ लाख यूनिट बिजली पैदा हो सकी है ।

श्रीमन, अगर आप मुझे ५ मिनट का समय और दे दें तो कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष--मैं आप को ५ मिनट अधिक दे देता हूं लेकिन उसी के साथ और लोगों के भाषण में थोड़ा सा समय कम हो जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस संबंध में पंचवर्षीय योजना में स्पष्टरूप से कह गया है :

"The development of power generating should be coordinated with the development of load. If the leg between power generations and load building is long, interest charges as capital mount up and make the undertaking uneconomic."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लेकिन हमारी सरकार ने इस संबंध में जो भी आजतक कार्यवाही की है वह अधूरी है । आजतक जो पावर स्टेशन चल रहे हैं उनकी लोडिंग कैपेसिटी में फर्क है उसे स्वयं माननीय मंत्री जी आपने डिपार्टमेंट से पूछें क्योंकि उनके पास आंकड़े इकट्ठा करने के बहुत से साधन हैं लेकिन मैंने भी सीमित साधन होते हुये भी कुछ आंकड़े इकट्ठा किये हैं । इसी प्रकार एक प्रश्न यह है कि पिछले साल रिवाइज्ड एस्टिमेट के अनुसार कितना खर्चा हुआ, यह इस बजट में नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो बजट का बड़ा वाल्यूम है उसके पेज ३६० की तरफ दिलाना चाहता हूं । शारदा पावर हाउस पर , मुहम्मदपुर पावर हाउस पर और पथरी पावर हाउस पर पिछले साल कितना खर्चा हुआ, उसका कहीं पता नहीं है । इसका मतलब यह है कि आज तक इस डिपाटमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स नहीं पाये हैं । अगर बनते तो लिखे जाते और उनका कहीं ब्योरा होता । इस डिपार्टमेंट की सन् १९४९–५० से कोई रिपोर्ट नहीं छपी । मैं कोशिश करता रहा कि कोई रिपोर्ट मिले, लेकिन नहीं मिली । खाली सालाना रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें गलत कोई आंकड़े रहते हैं । चीफ इंजीनियर साहब अलग आंकड़े देते हैं और डिपार्टमेंट अलग आंकड़े देता है । इस प्रकार के परसपर विरोधी आंकड़ों के देने से अच्छा यह है कि यह कह दिया जाय कि कोई आंकड़े नहीं हैं । तो इस सम्बन्ध में इतना बतानेकी आवश्यकता है कि शारदा पावर हाउस और पथरी पावर हाउस के जो भी रिवाइज्ड एस्टिमेट हों उनकी तरफ ध्यान दिया जाय । शारदा के पावर हाउस की मिसाल लीजिये । इसके बनने में देर क्यों हुई ? इसका कारण यह है कि वहां पर कोई कंट्रोलिंग अथारिटी ठीक नहीं है । दो इंजीनियर इस बारे में झगड़ गये कि कंट्रोल रूम कहां पर बनाया जाय । इस झगड़े में शारदा पावर हाउस के बनने में एक साल की देर हो गई और माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं । जब कि जनता ललचाई हुई आंखों से देख रही है कि हमें बिजली मिले, तो क्या कारण है कि दो इंजीनियर्स के झगड़े की वजह से शारदा पावर हाउस के बनने में एक साल की देर हो गयी और जो पावर हाउसेज सन् १९४८ में बन जाने चाहिये थे, वह सन् १९५४–५५ में बनने वाले हैं ।

ट्यूबवेल्स के बारे में डेपरिसिएशन कम होता जा रहा है । उनका जहां कैपिटल आउट ले एक तरफ बढ़ता जा रहा है, वहां दूसरी तरफ उनकी आमदनी घटती जा रही है । माननीय मन्त्री जी देखेंगे की सन् १९५३–५४ में ५० लाख की आमदनी ट्यूबवेल से हुई, लेकिन इस साल घट करके २२ लाख हो गयीं । यह कहा जाता है कि १५, २० हजार में ट्यूबवेल बन जायगा, हमारे यहां ट्यूबवेल ६५ हजार रुपये में जा करके बना । इस प्रकार ट्यूबवेलस के एस्टीमेटस भी ग़लत होते हैं । एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर जो नये ट्यूबवेल्स बनने वाले हैं, उनकी चर्चा बहुत है । लेकिन हमारी सरकार का जो ट्यूबवेल डिपार्टमेंट है उसकी या तो मशीनरी निकम्मी है या जो बोरिंग करते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गयी है । इससे जो हमारे ट्यूबवेल बनते हैं वह बहुत अनइकोनामिक होते हैं और जब उनपर खर्चा ज्यादा होता है तो काश्तकारों को ज्यादा कर अदा करना पड़ता है और कभी कभी वह ट्यूबवेल के पानी का कर नहीं दे पाते हैं । उसके अतिरिक्त एक एक ट्यूबवेल को चार चार जगह बोरिंग हुई है, इसकी मिसालें मौजूद हैं ।

एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट जो मैंने कल परसों देखी , उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं माननीय मंत्री से केवल इतना ही कहूंगा कि समझदार को इशारा काफी होता है । वह कमेटी कि जिसमें बहुमत हमारे ट्रेजरी बेंचेज के लोगों का था उसने जो रिपोर्ट हमारे पावर डिपार्टमेंट को दी है, अगर कोई भी सरकार के बारे में , उसके एस्टिमेट्स के बारे में ऐसी रिपोर्ट आती, तो सरकार के मंत्री अपनी असफलता को मानकर इस्तीफा दे देते ।

श्री अध्यक्ष—आप इसका जिक्र न करें तो अच्छा है । आप कृपा करके बैठ जायं इस लिये कि मैं एक दफा और समझा दूं । यह एक नयी कमेटी है और मैं चाहता हूं कि सदन की कमेटी होने के कारण उसकी काफी प्रतिष्ठा रहनी चाहिये । उसके सुझावों की भी प्रतिष्ठा तभी कायम रह सकती है जब माननीय सदस्य उचित तरीके से उनका उपयोग करें । परसों कोई रिपोर्ट सदन में पेश होती है, उसका जिक्र माननीय सदस्य करना शुरू कर दें तो थोड़ा सा अन्याय

वित्त मंत्री जी के साथ होता है और यदि सरसरी तौर पर भी जिक्र करें और उसका जबाब एक दफा मंत्री जी दे दें तो थोड़े दिन बाद जब रिपोर्ट पर विवाद होगा उसी समय उस कमेटी की रिपोर्ट का महत्व घट जायगा। यह तो सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ पड़ेगा । इस दृष्टि से स्वस्थ प्रथा कायम करने के लिये मैंने दो रास्ते बतला दिये हैं और उन्हीं पर हमें दृढ़ रहना है । यह नहीं कि माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं । बगैर कमेटी की रिपोर्ट के भी बहुत सी बातें सदस्यों को मालूम रहती हैं उनका जिक्र मामूली तौर पर बगैर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिये किया जा सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं जानना चाहता था कि कितना समय बाकी है ।

श्री अध्यक्ष—दो मिनट का समय बाकी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एस्टीमेट कमेटी के बारे में कुछ नहीं कह रहा था ।

श्री अध्यक्ष—आप मंत्री के इस्तीफे तक बात कह गये थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इतना ही कह रहा हूं जैसा कि और डिपार्टमेंटों का काम चल रहा है और सभी स्कीमों के बारे में . . . . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे जनाबवाला से एक बात कहना है । मैं एक बात नहीं समझा कि ऐस्टीमेट कमेटी की जो बातें हैं उनका पूरी तफसील के साथ यहां बयान करूं और यह अल्फाज मैं ऐस्टीमेट कमेटी में से कर रहा हूं . . . . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं तो ठीक बोल रहा हूं और मेरे पास उसका क्या इलाज है । ऐस्टीमेट कमेटी के बारे में मैं अर्ज करता हूं कि सिवाय उन बातों के जो शुरू में कही गई हैं बाकी जितनी बातें हुई हैं वह सब ऐस्टीमेट कमेटी की है और मैंने अपनी मजबूरी अर्ज कर दी थी और मैं उसके मुतल्लिक कुछ कहना नहीं चाहता था । लेकिन अब फिर वही दिक्कत आयेगी अगर यह तय हुआ कि उसका नाम न लेना चाहिये । लेकिन बातें कह दी गई तो दुनियां कहेगी कि ऐस्टीमेट कमेटी ने तो यह कहा था और मिनिस्टर कम्बख्त ने यह कह दिया था, इसलिये मैं इल्जाम से नहीं बच सकता हूं, इसलिये मुझे जबाब देना चाहिये । ऐसी हालत में क्या होगा और मैं क्या करूं । मैं जबाब दूं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—इसका स्पस्टीकरण मुझसे पूछा गया है । ऐस्टीमेट कमेटी अगर न बैठी होती तो बात और थी । मैं जानता हूं कि बहुत सी बातें जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, ऐसी बातें परसाल भी कही गई थीं और उस किस्म की बातें आज भी कह सकते हैं, बगैर ऐस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किये, बजट को देखते हुए या और स्टैटिस्टिक्स जो माननीय सदन के सदस्यों के लिये मुहैया होते हैं उनसे भी वह मालूमात निकाल कर और अंदाज से भी कह सकते हैं और इस तरह हमला गवर्नमेंट पर हो सकता है । ऐसी हालत में यह कह देना कि ऐस्टीमेट कमेटी में किसी बात का जिक्र आया है, इसलिये माननीय सदस्य उस बात का जिक्र न करें तो बड़ी मुश्किल हो जायगी और सदस्यों का बोलना ही बंद हो जायगा । इसलिये मैंने एक रास्ता यह निकाला कि अगर कोई बात माननीय सदस्य अपने भाषण में बगैर ऐस्टीमेट कमेटी को कंसल्ट किये हुए, कहना उचित समझते हैं और सरकार पर आक्षेप करना चाहते हैं तो कर दें और इसके साथ सरसरी तौर पर समिति की बात का जिक्र हो जाता है तो उसमें आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन रिपोर्ट को सदन में पढ़कर और उसमें से आक्षेप निकालकर उनको पेश कर देना उचित नहीं होगा । यह माननीय सदस्यों को खुद निर्णय करना है । मैं तो इस प्रकार का कोई जिक्र नही चाहूंगा कि ऐस्टीमेट कमेटी में यह लिखा हुआ है या उसकी राय यह है । इस तरह का अगर कोई जिक्र आता है तो माननीय वित्त मंत्री जी को प्रत्युत्तर में राय देने में अड़चन होती है ।

[श्री अध्यक्ष]

लेकिन यदि बहुत सी बातों का जिक्र माननीय सदस्य भाषण में कर देते हैं, बगैर एस्टीमेट कमेटी का नाम लिये हुये तो मंत्री जी को पूरा अधिकार है कि वह जवाब दें । वह जवाब एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का नहीं होगा बल्कि जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं उनका जवाब होगा जिसको देने का उन्हें पूरा अधिकार है। वह सब बातों का जो उठाई जायं जिक्र पूरी तरह से कर सकते हैं और उनका जवाब यह समझा जायगा कि एस्टीमेट कमेटी रिपोर्ट में जो आक्षेप है या सुझाव है, उनका जवाब नहीं है, बल्कि माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका जवाब है । यही तरीका हो सकता है । मैं समझता हूं कि आगे के लिये ऐसी अड़चन न पैदा हो इस हेतु से आयन्दा एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट तुरन्त हो जिस वक्त बजट का अनुदान आने वाला है उस वक्त पेश करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि वह रिपोर्ट एक महीने या दो तीन महीने बजट के पहले आ जाय तो उसके ऊपर गवर्नमेंट अपना फैसला भी कर सकती है और जवाब भी दे सकती है और फिर जिक्र करने में कोई अड़चन नहीं हो सकती ।

यह प्रथा का सवाल है, नियम का सवाल नहीं है । नियम न होने के कारण इतनी अड़चन पड़ रही है और मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस कमेटी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो इस बजट के समय में उसके नाम लेने, या उसे आधार बनाकर आपत्तियां करने की तरफ निगाह न डालें और अपने ही तजुर्बे पर जिन पर वह पहुंचे हों उसके द्वारा ही अगर हमला गवर्नमेंट के ऊपर करें, तो मैं समझता हूं कि उचित होगा। उनको तो मौका मिलेगा ही एस्टीमेट कमेटी के विषय में जो गवर्मेंट के फैसले होंगे उन पर विचार करने का उस वक्त वह अपनी राय और क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। तो इस प्रकार इस समय रिपोर्ट का जिक्र करके सदन की कमेटी की वक़त क्यों घटाएं ? इसके अतिरिक्त यह भी अड़चन है कि वित्तमंत्री जी को भी जो जवाब देना पड़ेगा वह विचार-पूर्वक नहीं बल्कि तत्काल देना पड़ेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को गलत फहमी है। मैंने जो ८ प्वाइंट्स रखे, उनमें से ५ प्वाइंट्स बिल्कुल नये हैं और कहीं उनका जिक्र नहीं आया है । मैं निवेदन कर रहा था कि आज डिपार्टमेंट में जो ढील-ढाल नजर आती है, जिस प्रकार पावर हाउस बनाने के काम में ढिलाई हो रही है कि सन् १९४६ और सन् ४८ के पावर हाउस सन् ५४ में नहीं बन पाते, तो उस सबको देखते हुये या तो मंत्री जी डिपार्टमेंट को ठीक तरह से चलाएं, उसका पुर्नसंगठन करें, उसके अकाउंटिंग सिस्टम, बजट के सिस्टम में सुधार करें, इस साल या आने वाले साल में और सख्ती दिखलाएं, नहीं तो जैसा मैंने कहा कि दूसरे विभाग को संभालें । उनके ऊपर इतना भार है, वित्त विभाग और पावर विभाग दोनों की जिम्मेदारी है । मैं तो समझता हूं कि या तो वित्त विभाग और सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी लें, या तो सिंचाई और शक्ति विभाग को लेकर चलाएं, लेकिन वित्त विभाग और शक्ति विभाग दोनों को लेकर चलना एक बड़ी भारी परेशानी की बात हो जाती है । इसलिए जहां तक इस मेरे कटौती के प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह रिहन्द डैम की स्कीम के बारे में तो विशेष रूप से ध्यान दें और इस वक्त रिहिन्द डैम को रिमाडेल करने के लिए १० करोड़ रुपया सालाना खर्च करने की कृपा करें ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से विद्युत विभाग पर बहस जारी है, लेकिन प्रश्न सदन के सामने यह है कि एक तरफ पूंजी पर बहस हुई, दूसरी तरफ विद्युत के उत्पादन पर हुई, लेकिन इसका उत्पादन करने वाले जो कर्मचारी हैं, कल से आज तक सदन का ध्यान उनकी ओर नहीं गया । मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान उन लोगों की तरफ ले जाना चाहता हूं जोकि इस विद्युत के उत्पादन में सबसे अधिक सहायक हैं वह हैं श्रमजीवी । अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है इसलिए मैं केवल सूत्र रूप में कुछ बातें कहूंगा और यह आशा करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री उन्हें ध्यान से सुनकर उसका उत्तर भी देने की कृपा करेंगे ।

इस बजट के सिलसिले में आज भी ३३ लाख रुपया कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को दिया जा रहा है । इसमें कोई शक नहीं है कि कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के सम्बन्ध में सरकारी गैर सरकारी सभी तरीके की कमेटियों में लोगों ने तारीफ की है । मैं भी समझता हूं कि उसका कार्य सन्तोषजनक है लेकिन प्रश्न यह है कि उसका कार्य किन कारणों से सन्तोषजनक है, इसलिए कि वहां के मजदूर मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ और उस कारखाने को अपना कारखाना समझकर काम करते हैं क्योंकि इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण हुआ है । लेकिन उसीके साथ साथ मुझे दुख है कि उस कारखाने के मजदूरों की तरफ हमारी सरकार का ध्यान कम जाता है । सदनको आपके द्वारा मैं यह बताना चाहता हू कि पिछले वर्षों में हमेशा अक्तूबर या नवम्बर के महीने में वहां के मजदूरों को बोनस मिल जाया करता था लेकिन इस वर्ष अक्टूबर हो गया, नवम्बर हो गया, दिसम्बर हो गया, जनवरी हो गयी, फरवरी हो गयी और अब मार्च खतम होने जा रहा है, अभी तक कमेटियों और डेपुटेशनों के चक्कर में उनका प्रश्न पड़ा हुआ है । मैं चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप राष्ट्रीयकरण को उन्नत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे सभी लोगों को लाभ हो, तो इस प्रश्न पर आप शीघ्र से शीघ्र विचार करें और इसका फैसला करें ताकि मजदूरों में जो असन्तोष बढ़ रहा है, वह न बढ़े ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आज आप बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं । बिजली का उत्पादन कोई कपड़े का या किसी और ऐसी चीज का उत्पादन नहीं है कि जिसको आप तैयार करके स्टोर कर लें और जब जरूरत हो तब बेचें । इसके विपरीत बिजली का उत्पादन इस तरीके का है कि जितना आप खर्च करेंगे और जितनी शक्ति है इतनी ही विद्युत वह पैदा करेगी । आप लगभग १० करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, हमारे मित्रों ने यह भी प्रार्थना की और मेरी भी यह प्रार्थना है कि इस रुपये को इस वर्ष खर्च करें । मैं मानता हूं कि इस रुपये के खर्च करने में कुछ दिक्कतें होंगी लेकिन फिर भी उन दिक्कतों को हल करके इस रुपये के खर्च करने से जो बिजली का उत्पादन होगा उसे आप किस कार्य में लगायेंगे ? कहा जा सकता है कि ट्यूबवेल में लगेगा । कल से मैं सुन रहा हूं कि फलां शहर में बिजली नहीं पहुंची, फलां गांव में बिजली नहीं पहुंची । लेकिन शहरों और गावों के लोग क्या इतनी बिजली खर्च कर सकेंगे ? मेरा अपना विश्वास है कि नहीं कर सकेंगे । जितनी बिजली पैदा होगी उसको शहरों और गांवों के रहने वाले खर्च नहीं कर सकेंगे । उसके लिए आवश्यकता इस बात की होगी कि इंडस्ट्रीज हों जहां पर कि अधिक से अधिक बिजली खर्च की जाय । लेकिन इसका कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं है । हम चाहते हैं और हमारा यह सुझाव है कि माननीय वित्तमंत्री जी इसका खयाल रखें और इस वर्ष में जहां जहां विद्युत शक्ति पैदा हो सके वहां वहां के लिए एक कमेटी बनायें । उस कमेटी में श्रम विभाग के एक्सपर्ट हों, वित्त विभाग के एक्सपर्ट हो पावरविभाग के एक्सपर्ट हों और इंडस्ट्री विभाग के एक्सपर्ट हों और वह कमेटी इस बात पर विचार करे कि जिन जगहों में हम विद्युत शक्ति पैदा कर रहे हैं उसका खर्चा कहां होगा और उसका उपयोग हम कैसे कर सकेंगे । यदि आपने यह कार्य किया तो मुझे विश्वास है कि एक तरफ आप बेकारी को दूर कर सकेंगे, दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री बढ़ा सकेंगे और तीसरी तरफ जो १० करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं, वह कार्य रूप में परिणत हो सकेगा । मुझे आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय इन चीजों का खयाल रखेंगे और इस पर विचार करके इस प्रश्न पर भी कुछ अपने विचार इस हाउस के सामने बतायेंगे ताकि हम सोचें कि अगले वर्ष हमें क्या काम करना है

एक बात और है और वह जरा कठिन सी है लेकिन जनता की आवाज है, कहना हमारा फर्ज है । कानपुर में हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले काफी बिजली की मांग हुई । मुझे भी कई मर्तबे वहां के जनरल मैनेजर के कमरे में जाकर सलाम करना पड़ा बिजली लेने के लिए । लेकिन अब मैं देखता हूं कि जब किसी से कहता हूं कि आप बिजली क्यों नहीं ले लेते हैं तो वह कहते हैं कि साहब, जरूरत नहीं है । आपने २५ परसेंट टैक्स बढ़ा दिया है । इससे अब बिजली की हमें जरूरत नहीं है । तो यह टैक्स बढ़ाने से कानपुर के लोगों की बिजली की मांग कम हो गई है । कई कारखानों में जो बिजली की पहले मांग थी, वहां अब बिजली नहीं ले रहे हैं । तो ऐसी

[श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी]

हालत में आपको विचार करना है आया आपने जो २५ परसेंट टैक्स लगाया है इस पर आपको रुके रहना है या जो विद्युत शक्ति पैदा हुई है उसे लोगों को देकर के बेकारी कम करनी है, यदि इंडस्ट्री बढ़ानी है और उस राष्ट्रीकरण से लाभ लोगों को देना है तो आप जिस जिद पर अड़े नहीं और २५ प्रतिशत ड्यूटी को कम करने की कृपा करेंगे।

एक प्रश्न और। और वह यह है कि कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी अगर बिल पहुंचने के दस दिन के अन्दर रुपया जमा हो जाय तो साढ़े १२ प्रतिशत रिवेट देती है। मैं चाहता हूं कि रुपया जल्दी आ जाय यानी दस दिन के बजाय आठ दिन में ही आ जाय तो साढ़े बारह प्रतिशत रिबेट और बढ़ा दें ताकि आपको और कामों में आसानी हो।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इन प्रश्नों पर विचार करेंगे।

†श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आजका युग विज्ञान का युग है। आज संसार में विज्ञान के द्वारा उन्नति करने की होड़ लगी हुई है। कुछ समय पहले तो बिजलीको ही संसार अपनी एकआवश्यकता मानता था। लेकिन आज तो विज्ञान इतना बढ़ा कि बिजली कोछोड़ कर ऐटामिक इनर्जी पर जोरदिया जाने लगा है। लेकिन अभी हमारा देश दो ढाई सौ वर्ष दूसरे देशों से पीछे हैं। अभी हमारे यहां बिजली का विकास तक नहीं हो सका है और अगर आप देखें तो हम बिजली के प्रयोग में भी सब देशों से पिछड़े हुये हैं। इसलिये जो इस बजट में रिहन्द डैम विद्युत योजना के लिये रुपया रखा गया है और जिससे हमारे प्रदेश में ढ़ाई लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी और उसके साथ साथ पांच लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी उस योजना का मैं स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं उन्होंने बड़े परिश्रम से और बड़े प्रयत्न से इस योजना को इस बजट में सम्मिलित किया है। मैं मानता हूं कि कई वर्षों से हमारी सरकार इस बात का प्रयत्न करती रही है कि इस रिहन्द डैम की योजना को सफल बनाये। इस पर पचास, साठ लाख रुपया हमारी सरकार ने खर्च किया। लेकिन सरकार की इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने राजस्व से इसे पूरी कर सके। हमारी केंद्रीय सरकार ने बड़ी कृपा की और इसमें आखिरी स्टेज में भी अपनी पंचवर्षीय योजना के अन्दर सम्मिलित किया और इसके लिये रुपया दिया। लेकिन चूंकि यह बड़े महत्व का प्रश्न है और सब से बड़ा हमारे निर्माण का सवाल है इसलिये मैं माननीय मंत्री को कुछ सुझाव इस सम्बन्ध में दे देना चाहता हूं जिससे जो भूलें पिछले समय में हुई हैं वह भविष्य में न हों। आप यह तो जानते ही हैं कि रिहन्द डैम की योजना एक बड़ी महान् योजना है। बिजली पैदा करने के उद्देश्य से ही नहीं, या इस उद्देश्य से ही नहीं कि इससे पांच लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी बल्कि इसलिये भी उसकी महत्ता है कि वह ऐसे स्थान में स्थित है कि समय पड़ने पर वह बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। अगर आवश्यकता हो तो वह महानदी और दामोदर वैली प्रोजेक्ट से मिलायी जा सकती है। अगर किसी समय में विद्युत योजना फेल हो जाय तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में अंधेरा रहे। इसलिये मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमारे जो पिछले एस्टीमेट्स बनते रहे वह केवल रफ एस्टीमेट्स बनते रहे। कभी जल्दी बन कर एस्टीमेट नहीं आया तो काम शुरू कर दिया गया और बाद में एस्टीमेट बनता रहा। अगर किसी काम में एक दो लाख रुपया खर्च का एस्टीमेट हुआ तो अन्त में १२ लाख रुपया खर्च हुआ। कैपिटल आउट ले बढ़ गया। आमदनी घट कर बहुत कम रह गयी बल्कि नुक्सान के अन्दर चली। यह बदकिस्मती की बात है और जहां दूसरे देशों में एस्टीमेट्स को जानने के लिये गवर्नमेंट के पास इंडेपेंडेंट ऐडवाइस मिल सकती है और वहां पर ऐडवाइजरी बोर्ड मौजूद रहता है और जो कुछ थोड़ा सा परसेंटेज ले कर सही मशविरा देते हैं ऐसा कोई भी बोर्ड हमारे यहां सलाह

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देने के लिए मौजूद नहीं है और हमारा देशको इस काम को पूरा करने के लिये विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है। इसमें मुझे आपत्ति है। मैं जानता हूं कि ऐसे महान् कार्यों के लिये अगर आप बाहर के देशों की सलाह पर निर्भर रहें तो मुझे भय है कि न मालूम क्या दिक्कतें आगे चल कर हमें पड़ें। जो हमारी कमजोरियां बाहर के देशों के एक्सपर्ट्स अनुभव करेंगे वे भविष्य के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मुझे खुशी है कि हमारे यहां ऐसे इंजीनियर्स बहुत हैं अगर नहीं हैं तो पैदा हो जायेंगे, या ग़लती कर के सीख जायेंगे, लेकिन मैं पसन्द नहीं करता कि बाहर के देशों से हर काम के लिये हमारे यहां इंजीनियर्स आयें। हमको अपने इंजीनियर्स से सलाह लेनी चाहिये और उनकी सलाह से ही काम करना चाहिये। अगर वे भूल भी करेंगे तो धीरे धीरे दुरुस्त हो जायगी। हमारे देश में जो पुराने रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उनका इंडिपेंडेंट बोर्ड बने ताकि समय पर वह एडवाइस देते रहें। जिस वक्त मेशीनरी आती है तो उसे इरेक्ट कराने के लिये भी विदेशों से एक्सपर्ट्स बुलाया जाता है और बहुत रुपया उनको देना पड़ता है। यह परिपाटी गलत है। मैसूर की परिपाटी मुझे मालूम हुई कि जब वहां बिजलीघर बना था तो उन्होंने मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी से इस बात का भी सौदा किया कि उनके इंजीनियर्स की देखभाल में वहां काम होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि इरेक्शन में वहां बहुत कम रुपया विदेशों को देना पड़ा। आपभी ठेका देते वक्त अपनी मैन्युफेक्चरिंग कम्पनीज से यह एग्रीमेंट करें कि वे हमारे इंजीनियर्स को शुरू में मशीनरी के डिटेल्स सिखायेंगे और उनके सामने उसका इरेक्शन होगा। इसमें हमारा हित होगा।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि रेहन्ड डैम पर जो आफिसर्स मुकर्रर करें उसमें आप यह देखें कि रेहन्द डैम के पूरा होने पर कितने परमानेंट स्टाफ की आवश्यकता होगी, उसको आप अभी से एप्वाइंट कर लें, यह न हो कि टेम्पोरेरी स्टाफ रक्खें और बाद में पर्मानेन्ट स्टाफ रखें। इसमें बहुत सी गलतियां और भूलें होती हैं। पर्मानेन्ट स्टाफ रखने से उसको भरोसा रहेगा और उसको यह महसूस होगा कि जो काम उसे करना है वह जिम्मेदारी से करना है। इसलिये वह सतर्क रहेगा।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे प्रदेश ने बहुत सा रुपया इंजीनियर्स पर दूसरे देशों में ट्रेनिंग लेने के लिये खर्च किया है। अमेरिका वगैरह मुल्कों में भेज कर उनको बड़े बड़े बांध और बिजली घरों में कैसे काम होता है इसकी ट्रेनिंग दिलवाई है। उन सबको आप बुलालें और उनके हाथों में यह काम सुपुर्द करें क्योंकि उनपर रुपया खर्च किया है। यह बात कुछ ठीक नहीं मालूम होती कि इंजीनियर्स को बाहर भेजें हम और जब वापस आयें तो हमारे काम न आयें और जो योग्यता प्राप्त करके वे आते हैं उसका हम कोई लाभ न उठायें। इसलिये उनको बुलाकर यह काम उनको दे दिया जाय।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसपर विवाद के लिये आपने अलग से समय देने को कहा है, इसलिये उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। श्रीमन्, यह निर्विवाद सत्य है कि मुल्क की तरक्की के लिये, भुखमरी और कंगाली को दूर करने के लिए कि हम अपने उद्योग धंधों को तरक्की दें भूमि को उर्वरा बनायें। उसके लिये विद्युत शक्ति का बढ़ाना नितान्त आवश्यक है। किन्तु श्रीमन्, मैं अपने तीन साल के असेम्बली के जीवन में कभी यह नहीं समझ पाया कि जो योजना सरकार ने विकास की बनाई उसमें कोई निश्चित नीति बरती गई हो और प्रत्येक जिले को विकास का समान अवसर मिला हो। श्रीमन्, मैंने इस विद्युत के सम्बन्ध में जहां तक पढ़ा और सोचा मैं इस प्रदेश को तीन भागों में विभाजित करता हूं। एक पूर्वी भाग है, दूसरा पश्चिमी भाग है और तीसरा पहाड़ी भाग है। पहाड़ी भागों की उन्नति के के लिये सरकार ने घरेलू औद्योगिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटी छोटी योजनाओं के लिए २० लाख की रक़म रक्खी है। किन्तु श्रीमन् मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है। जब मैं इस बटवारे को देखता हूं और अपने जिले टेहरी गढ़वाल और गढ़वाल को खोजता हूं तो उन दोनों जिलों को नदारद पाता हूं। यह जान कर और भी खेद होता है जब मुझे इस सम्मानित सदस्यों के मुंह से यह उलाहना सुनने को मिलता है कि तुमको चिन्ता की आवश्यकता

[श्री सत्यसिंह राणा]

नहीं है तो सारा बजट ही पहाड़ों की तरफ जा रहा है। मुझे इसपर विश्वास करना पड़ता है कि इस दृष्टिकोण से क्या टेहरीगढ़वाल जिलों को भी पहाड़ों में गिना जा सकता है? ऐसी हालत में न तो हम पहाड़ में ही हैं और न मैदानी इलाके में ही।

श्रीमन्, इसके अलावा कल माननीय सदस्यों ने पहाड़ी जिलों का जिकर किया था मैं आज टेहरी गढ़वाल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। टेहरी गढ़वाल में रियासत के ज़माने से केवल नरेन्द्रनगर में बिजली जलती है और वह भी डीजल से। टेहरी में पानी से उत्पन्न बिजली के टिमटिमाते बल्ब नजर आते हैं लेकिन मुझे यह बतलाते हुये दुख होता है कि ४ महीने गर्मी के दिनों में वहां पर अंधकार रहता है क्योंकि पानी सिंचाई के लिये चला जाता है और पानी न मिलने की वजह से बिजली तैयार नहीं हो पाती है। मैं आपको एक उपहास की बात बतलाना चाहता हूं कि गंगा ग्रिड से टेहरी नरेन्द्रनगर को बिजली सप्लाई करने के लिये सन् १९५२ ई० के बजट में ५० हजार रुपया रखा गया था लेकिन दुख की बात है कि वह ५० हजार रुपया उसी प्रकार से विलीन हो गया जिस प्रकार से हमारी रियासत उत्तर प्रदेश में विलीन हो गयी जिसका आज दिन पता नहीं है। सन् १९५३–५४ के बजट में हमको खामोशी अख्तयार करनी पड़ी। इस साल के बजट में १५ हजार रुपया उसके लिये मंजूर किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पर इतने बड़े काम के लिये ५० हजार के मुकाबले में इस १५ हजार रुपये से क्या होगा। और जब वहां पर इस समय कोई निश्चित योजना नहीं है तो यह भी स्वाभाविक है कि ५० हजार रुपये की तरह यह १५ हजार रुपये भी Lapse हो जायेंगे।

श्रीमन्, मैं अपने वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जिले को विकास की कोई आवश्यकता नहीं है और क्या हमारे यहां बिजली के विकास के लिये अपर्याप्त साधन हैं। हमारे यहां गंगा, मिलंगना, यमुना, मंदाकिनी, टौन्स, अलकनन्दा जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। बहुत से वहां पर जल प्रपात हैं और सारी इनर्जी वहां पर इस प्रकार से वेस्ट हो रही है कि जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। मैं अपने वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब आप पर्वतीय इलाकों के लिये अपने बजट और पंचवर्षीय योजना में इतनी बड़ी रक़म रखे हुये हैं तो यह क्या उचित मालूम होता है कि टेहरी गढ़वाल और गढ़वाल को कुछ ग्रान्ट न दी जाय और वहां पर कुछ काम न किया जाय? क्या टिहरी जिले में सर्वे करने की भी आवश्यकता न थी? रियासती युग की कतिपय तैयारशुदा योजनाओं को देखने तक का कष्ट किया? मैं वित्त मंत्री महोदय से इस बात को पूछना चाहता हूं कि क्या इस कारण से हमारे टेहरी गढ़वाल को निग्लेक्ट किया जाता है कि हमारे जिले के प्रतिनिधि इस सदन में कोई भी उधर सरकारी बेंचों में नहीं बैठता और सरकार की जी हजूरी नहीं करता खुशामद और क़दमबोसी नहीं करता? अगर यह बात सही है तो फिर सबके साथ जनरल व्यवहार करने की बात जनतंत्र के नाम पर यह शासन एक विडंबना है उपहास है। सरकार इस बात का एलान कर दे कि अंग्रेजी नीति के अनुकूल टेहरी गढ़वाल इसी प्रकार से बैकवर्ड रहेंगे इसलिये कि लड़ाई के जमाने में उस जिले के लोग कैनन फाडर के रूप में इस्तेमाल किये जाते रहे। लेकिन अब वह जमाना नहीं है। अब तो हमारा स्वतंत्र देश है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सरकार टेहरी और गढ़वाल को यह समझती है कि वहां पर सुधार की आवश्यकता नहीं है या वहां की व्यवस्था Remote Control Administration के कारण उचित नहीं हो सकती तो फिर दिल्ली में जो राज्यों की जो पुनर्गठन बैठी है उसको यह सरकार कह दे कि हम टेहरीगढ़वाल और गढ़वाल को छोड़ते हैं। फिर हम किसी दूसरे राज्यों के साथ अपने भाग्य का सहारा ढूंढ़ेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आजकल देश की उन्नति के लिये बिजली की बड़ी आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने जो ९ करोड़ का बजट रखा है मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं। उसके सम्बन्ध में मुझे बहुत कुछ बातें कहनी हैं।

एक तो यह है कि सर्विसेज में जो यह टेम्पोरेरी और परमानेंट का प्रश्न है—जो लोग आरजी होते हैं वह पूरी तरह से दिल लगा कर काम नहीं करते हैं। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जितने आदमियों को उनको रखना हो वह परमानेंट कर दें। इन टेम्पोरेरी के रखने से बड़ा हर्ज होता है। इसलिये टेम्पोरेरी की प्रथा जितने कम से कम हो सकें उतने कर देने चाहिये।

दूसरा सुझाव मुझे यह देना है कि हाइडल सिस्टम की बिजली मार्टिन ऐन्ड कम्पनी के द्वारा वितरण कीजाती है गवर्नमेंट उससे ढाई आना चार्ज करती है मगर मार्टिन कम्पनी अपने कंज्यूमर्स से बहुत बड़ा चार्ज करती है। जब टैक्स नहीं लगा था टैक्स लगाने से पहले वह हरजगह आठ आना पर यूनिट लेती थी। मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में यही आठ आना लिया जाता था। जबकि बड़े बड़े नगरों लखनऊ, कानपुर में टैक्स लगने से पहले चार आना की दर थी उसमें बिजली का तैयार करना और अन्य खर्च भी शामिल था। इस तरह से दूसरे जिलों में मार्टिन कम्पनी ढाई आना सरकार को देती है और साढ़े पांच आना अपने इंतजाम का चार्ज करती है। या तो उनके हिसाब के तरीके में कोई गलती है या जानबूझ कर उन्होंने ऐसा हिसाब बना रक्खा है जिससे वह सरकार को धोखा देती है। सरकार ने अगर उसको बिजली का ठेका दे रक्खा है तो सरकार को यह भी देखना चाहिये कि वह अपने कंज्यूमर्स से कितना चार्ज करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि खास कर मार्टिन कम्पनी के हिसाब की जांच कराई जाय। वहां परटैक्स की दर पहले ८ आना पर यूनिटथी। अब २५ प्रतिशत बढ़कर १० आना होती है लेकिन ९ आना आखिरी हद होने से १०आना नहीं हो सकते हैं। एक साल पहले मार्टिन कम्पनी बिजली के ६ आना यूनिट लेती थी। हमारी समझ में नहीं आता कि इस एक साल में क्या ऐसी बात हो गयी कि २५ प्रतिशत व्यय बढ़ गया। मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि आजकल जो एस्टीमेट कमेटी बैठी है उसके द्वारा मार्टिन कम्पनी के हिसाब की जांच करायी जाय ताकि वह उसके हिसाब को देख कर यह सुझाव दे सके कि उसके दरों में कितनी कमी की जाय और जनता को लाभ पहुंच सके। यह सरकार से और माननीय मंत्री जी से खासतौर से कहना है।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपना अनुदान पेश किया है, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं लेकिन उसके साथ ही साथ मैं अलीगढ़ के लिये भी कुछ कहना चाहता हूं। उसके पास ही कासिमपुर में बिजली का कितना बड़ा कारखाना है और दूसरे कारखाने भी हैं लेकिन जैसे मसल है कि चिराग़ के नीचे अंधेरा वहां लोगों को बिजली की बड़ी भारी परेशानी हो रही है। यह एक बड़े दुख की बात है। हमारे यहां यह भी होता कि जो बिजली दी जाती है उसके बारे में छानबीन भी नहीं होती है। बीमारों को भी बिजली नहीं दी जाती है। राजाराम जी ने एक पत्र चीफ इंजीनियर साहब को लिख कर भेजा है कि उनको बिजली नहीं मिली, मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—किसी माननीय सदस्य ने अगर कोई प्राइवेट लेटर भेजा है तो उसका यहां पढ़ा जाना मैं उचित नहीं समझता। आप उसको माननीय वित्त मंत्री जी के कमरे में जाकर उन्हें दिखा सकते हैं।

श्री रामप्रसाद देशमुख—मैं यही कहना चाहता था कि एक मरीज को कि ब्लड प्रेशर का मरीज है उसको भी बिजली नहीं दी जाती है जिसको कि उसकी हर मौसम में चाहे जाड़ा या गरमी आवश्यकता होती है। बिजली की बाबत माननीय मंत्री जी से कई बार शिकायत की गयी लेकिन अभीतक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा भी होता है कि किसी साहब ने एक दूसरे ही परपज के लिये बिजली ली लेकिन वह इस्तेमाल किसी दूसरे काम मे कर रहा है इस बारे में भी कहा गया लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आजकल कासिमपुर में बिजलीघर है उसके बारे में भी करप्शन आदि की शिकायतें की गयीं। इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास २२-९-५१ को एक शिकायत भेजी गयी है। २२-९-५१ को एक लेटर भेजा। मैं समझता हूं कि माननीय गवर्नर महोदय को भी उसकी बाबत काफी शिकायत की गयी है। वहां काफी करप्शन होता है और यह देखने में आया है कि वहां कोयला थर्ड क्लास का

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

आता है लेकिन फर्स्ट क्लास का पेमेंट किया जाता है कोयले की लोडिंग में भी काफी करप्शन होता है, मस्टर रोल गलत बनाये जाते हैं ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी दूर करें। हमारे अलीगढ़ में बिजली की काफी जरूरत है तो मेरा निवेदन है कि इसको शीघ्र ही पूरा किया जाये और कोयले के बारे में जो करप्शन है उसको दूर किया जाये।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आज हमारे प्रदेश में नलकूप लगाये जा रहे हैं जगह-जगह बिजली बढ़ाई जा रही है तो लोगों को यह कहना है कि आजकल का जमाना मशीन का जमाना है और यदि बिजली देहातों में फैल गयी तो उससे काटेज इंडस्ट्रीज में काफी मदद मिल सकती है और इस तरह से बहुत संख्या में लोग बेकार नहीं रहेंगे। आज हमारे यहां कितनी बिजली पैदा हो रही है यह तो कलयुग है यदि लोग बेकार हो गये तो कलयुग की जगह कहीं कलियुग न हो जाय मेरा यह निवेदन है कि कम से कम उतनी बिजली जरूर पैदा की जाय जितनी लोगों को आवश्यक है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे कासिमपुर जिले को जरूर ध्यान में रखा जाये। लोगों को काफी दुःख होता है जब इस तरह के करप्शन को गवर्नमेंट बढ़ाती है यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो लोग कहेंगे कि हमें इस पावर हाउस से क्या लाभ हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार मैं जो पत्र पढ़ना चाहता था उसको न पढ़ूंगा लेकिन दुख की बात है कि ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीज को जिनको बिजली की जरूरत थी नहीं दी गयी तो इस तरह की शिकायतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लोग वाक़ई में जरूरत मन्द हों उनको बिजली देने का जरूर प्रबन्ध किया जाय।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रस्तुत अनुदान के लिए मैं पहले वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन प्रान्त का सबसे बड़ा जिला गोरखपुर में बिजली उत्पादन की जो दिक्कत है उसके लिये मैं थोड़े से सुझाव देते हुये विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि बजट में १० हजार किलोवाट पावर स्टेशनगोरखपुर में बनाने की चर्चा थी वह पास हुआ था लेकिन साल पूरा हो रहा है अभी शायद इस पावरहाउस के लिए नीव भी नहीं पड़ सकी। अनुमान सरकार का क्या है पता नहीं लेकिन वहां जो लोग उसके निर्माणकारी कार्यमें लगे हुये हैं उनकी बात से पताचलता है कि सन्देह है कि वह बन भी सकेगा। दूसरी बात मुझे माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह कहनी थी कि रेहन्द डैम की चर्चा प्रान्त भर में प्रत्येक बच्चे से लेकर बूढ़े तक के दिल और दिमाग़ में लगी हुई है कि वह कब तक पूरा हो जायेगा। लेकिन मालूम नहीं वहां क्या हो रहा है और वह कब पूरा हो जायेगा। सुना यह जा रहा है कि वहां बिजली के उत्पादन का कार्य बहुत कम हो रहा है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसपर जोर ध्यान दें। तीसरी बात मैं गोरखपुर शहर में बिजली के कारखाने के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि शहर एरिया घना आबाद है वहां जो बिजली का कारखाना है, वह झांसी एलेक्ट्रिकल कम्पनी का है। उसका पावर इंजनजो है वह बहुत ही कमजोर है और सारे शहर को वह एलेक्ट्रिक दे नहीं सकता और जो देता भी है उससे अधिक वह पैसा वसूल करता है लोगों से। बीसों बार से अधिक जिला धीश के पास, बिजली कम्पनी के मालिक के पास और दूसरे तरीकों से सरकार के पास उसके खिलाफ अनुरोध पर अनुरोध, निवेदन, प्रार्थनाऐं तमाम सरकारी बातें होती रही हैं और होती रहती हैं लेकिन उस पर अभी कुछ नहीं हो सका। मैं विद्युत मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पावर स्टेशन अपने नियत्रंण में ले लेतें और उसको कुछ बढ़ाकर शहर को बिजली दे देते तो बड़ी कृपा होती और उसका जो बड़ा भारी वावैला रहा करता है वह हल हो जाता। लोको वर्कशाप में बिजली इतनी अधिक है कि उससे शहर को बिजली दी जा सकती है और ट्यूबवेल्स चलाने वाले स्टेशन जो गोरखपुर में बने हैं उसमें से कुछ कुछ बिजली पड़ी रहती है उससे शहर को दी जा सकती है और इसके अतिरिक्त गोरखपुर में दो तीन शुगर फैक्टरियां हैं उनमें भी बिजली पड़ी रहती है उसका भी उचित उपयोग सरकार के द्वारा किया जाय तो वहां का बहुत बड़ा काम चल सकता

है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और एक गरीब जिले का उनके हाथों बहुत उपकार होगा। साथ ही मैं यह भी उनसे अनुरोध करूंगा कि गोरखपुर के लिये जितनी बिजली देने का उनका विचार है उससे कहीं अधिक वहां की जरूरत है। इसलिये कि जो इस समय स्टेशन वहां बना हुआ है और उससे जो बिजली दी जा रही है वह देवरिया बस्ती और गोरखपुर के नाम से तो है लेकिन गोरखपुर को सिर्फ नाम मात्र बिजली वहां से मिलती है। खर्च दूसरे जगह उसका अधिक है और मांग भी अधिक है। अगर उसमें एक्स्टेंशन नहीं हुआ या उस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो जो अंग्रेजी राज्य का दबाया गोरखपुर अब कुछ प्रजातंत्रीय सरकार से थोड़ी सी सहायता पाकर आगे बढ़ रहा है उसकी वह प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी ऐसी आशंका है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ओर माननीय मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें और गोरखपुर की सहायता करें।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल से हमारे सदन में बिजली कौंधा रही है और कल तो एकाध भाषणों में कुछ गड़गड़ाहट ऐसी सुनाई पड़ी कि मैंने तो इस भवन के इंजीनियर को धन्यवाद दिया कि यह छत क्यों नहीं नीचे आगई। हमारे सामने बैठे उपाध्याय जी ने तो यहां तक रोष प्रकट किया कि वह गंगा जी की धारा मोड़ने का भगीरथ प्रयत्न करने तक पर उतारू हो गये हैं। आज नारायणदत्त जी ने पहले ही अपना जोश प्रकट किया और २५ लाख की कटौती का प्रस्ताव पेश कर दिया। यह सब क्या सिद्ध करता है? मैं समझता हूं कि बिजली की आवश्यकता तो बहुत अधिक है इससे कोई इनकार नहीं करता लेकिन हथेली पर सरसों तो नहीं जमाई जा सकती। जितनी तेजी से वे लोग बिजली चाहते हैं जितनी तेजी से स्वीच दबाने से बिजली की रोशनी फैल सकती है उतनी तेजी से बिजली बनाई नहीं जा सकती।

इसके बाद मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने २० जिलों के अन्दर जो योजना लागू होने वाली थी और जिससे २० जिलों को लाभ होने वाला था वह अब उसको बनाने के लिये कदम उठा रहे हैं। यद्यपि उस पर पिछले छः सात सालों से काम हो रहा है लेकिन अब जैसा कदम उन्होंने उठाया है उससे यह आशा है कि यह कार्य सफल होगा। मेरा तात्पर्य रिहन्द बांध से है। उसके लिये जो ४ करोड़ रुपये का अनुदान रख गया है यह एक बहुत बड़ा कदम है और अब हम लोगों को पूरी आशा हो गई है कि यह योजना सफल होगी इसके साथ साथ इसकी दो तीन बातें हैं जिसकी ओर खास तौर पर इस बिषय की कुछ विशेष जानकारी होने के नाते प्रकाश में लाना चाहता हूं। यह अन्दाजा किया गया है कि ५ साल में यह काम पूरा हो जायगा लेकिन जिस रफ्तार से कम चलाया जा रहा है वह अगर उसी रफ्तार से चलाया जाता रहा तो मुझे भय है कि ५ साल में वह काम पूरा नहीं हो सकेगा। क्योंकि हिसाब लगाया गया है कि ७०० टन प्रति दिन वहां सीमेंट लगेगी और लगातार साढ़े तीन साल तक लगती जायगी। जबतक एक समूची ट्रेन ६० डिब्बों की प्रति दिन सीमेंट नहीं ढोयेगी तब तक वह सीमेंट पूरी नहीं पहुंचेगी। ट्रकों से इतनी सीमेंट ढोने के लिये प्रति दिन २०० ट्रकें लगेगीं और साढ़े तीन वर्ष तक ढोवाई होगी। इसी तरह से सोन तथा रिहन्द नदी पर पुल बनाना है और सड़कों को पोख्ता करना है ट्रकों के ढोने से वहां सीमेंट कभी भी पूरी नहीं पहुंच सकती है। इसमें हिसाब लगाया गया है कि कुल उतनी सीमेंट लगेगी जितनी उस एक सड़क में लग सकती है जो दिल्ली से लन्दन तक अगर बनायी जाय। जब तक चुर्क से जहां कि फैक्टरी बन रही है रेलवे लाइन पिपरी तक ज्वन्धा स्थल तक नहीं बढ़ायी जायेगी तबतक पूरी सीमेंट नहीं पहुंच सकती है। यह केन्द्रीय सरकार का विषय है और यह इस बजट की चीज नहीं है इसलिये केन्द्र से इस बात के लिये कोशिश की जाय। मुझे मालूम हुआ है कि रेलवे की तरफ से साढ़े ६ करोड़ का सर्वे हो चुका है। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी जिस मुस्तैदी के साथ अब तक काम कर रहे हैं उसी मुस्तैदी के साथ इस रेलवे लाइन को वहां तक बढ़ाने का प्रयत्न करें। लेकिन मुझे थोड़ी सी शिकायत इस बात की है कि अगर पहले से हमारी सरकार प्रयत्न किये होती तो जो आज केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है वह पहले से ही हो गया होता और हमें जो

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

आज केन्द्रीय सरकार से रुपया मिला है वह पहले ही हमारे हाथ में आ गया होता। और बीच में इस योजना को समेटने में जो २ वर्ष का समय निकल गया उसमें जो धन तथा समय बर्बाद हुआ वह न होता। और हम इस काम में बहुत आगे बढ़ गये होते। फिर भी पिछली बातों की ओर न जाकर हमें आगे बढ़ना है।

अभीतक वहां एक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर और तीन असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं। वहां तीन डिवीजन बन जायेंगे उसमें एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर काम करेंगे और ४ एक्जिक्यूटिव इंजीनियर होंगे और १९ असिस्टेंट इंजीनियर और इसके अतिरिक्त ५,६ दर्जन ओवरसियर रहेंगे। मैं चाहूंगा कि उनकी पोस्टिंग जल्दी ही करा दी जाय क्योंकि हमें भय है कि कहीं उनकी पोस्टिंग होते होते अगर तीन महीने और निकल गये तो और दिक्कत हो जायगी उनके लिये मकान तथा निवास का भी प्रबंध करना है। हम चाहते हैं कि वहां पर बरसात के पहले ही काम तेजी से शुरू हो जाय।

दूसरी बात यह है कि वहां पर ७०,७५ मौजे ऐसे हैं इनमें आवेंगे उनके निवासियों में बड़ी बेचैनी है। इसलिये हम चाहते हैं कि उनके पुनर्वासन के लिये स्थान निश्चित किया जाय और उनको आदर्श ढंग पर बसाने का कार्य शीघ्र ही साथ ही साथ किया जाय।

एक सवाल यह है कि इस रिहन्ड बांध से करीब ४ लाख एकड़ की सिंचाई बिहार प्रान्त में होगी। इसलिये इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से भी बात चीत कर ली जाय ताकि इस कार्य में कुछ मदद पहुंचे।

अब मैं माननीय नारायणदत्त जी ने जो १० करोड़ की मांग की बात की है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक तरफ तो वह ऐसा कहते हैं और दूसरी तरफ सत्याग्रह करवाते हैं यह बातें असंगत सी मालूम होती हैं। वह तो वैसी हैं जैसे "शाह से कहे कि सूतो और चोर से कहे कि मूसो"। इसलिये मैं कहूंगा कि वे इस तरह के अपने विचारों को छोड़ दें और सरकार को पूरा सहयोग दें ताकि सरकार पूरे मनोवेग से अपना काम कर सके।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनाथ काटजू--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। बिजली एक महत्व का विषय है और आजकल के युग में इसी के ऊपर बहुत कुछ कारोबार और उसका विस्तार निर्भर है। आरम्भ में ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिजली के युग में मेरा निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर, जिला इलाहाबाद, बिजली से बिलकुल ही वंचित है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की लम्बाई लगभग ५० मील होगी और चौड़ाई कुछ कम है, लेकिन कहीं भी बिजली का प्रवेश नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जब रिहन्द डैम बन जायगा और उसके बाद वहां से बिजली निकलेगी तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी उसका कुछ फायदा पहुंचेगा। जहां तक रिहन्द डैम का सम्बन्ध है बीच में काम रुक गया था लेकिन सरकार बधाई की पात्र है कि केन्द्रीय सरकार के सहयोग से अब काम फिर शुरू हो रहा है। जब उसका कार्य पूरा हो जायगा तो हमारे प्रान्त में बहुत सारे जिले उससे लाभ उठायेंगे।

बिजली के ऊपर सरकार करीब ९ करोड़ रुपया खर्च कर रही है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है, इस वक्त हमारे प्रान्त में २, ३८,८८० किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। हमारे प्रान्त की आबादी ६ करोड़ से ज्यादा है और इस आबादी को देखते हुये यह मानना पड़ेगा कि यह बिजली बहुत कम है। अमेरिका में एक-एक हाइड्रो-एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में कहीं ८० हजार किलोवाट और कहीं एक लाख किलोवाट बिजली पैदा होती है और इस प्रकार के नहीं मालूम कितने हाइड्रो ऐलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होंगे। उससे मुकाबिला करते हुये हमारा प्रान्त बड़ा पिछड़ा हुआ है और यह स्वाभाविक है कि इस स्थिति

को देखते हुये हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। हमारी सरकार ने जो योजनायें इस साल रखीं हैं उनके अन्दर बहुत जल्दी ही दो हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर स्टेशन्स पथरी में और खतीमा में तैयार हो जायंगे और उनसे अन्दाजा है कि करीब ८० हजार किलोवाट्स की वृद्धि हो जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इसको बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इसी के ऊपर हमारे प्रान्त की इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज निर्भर हैं और जब तक यह पावर नहीं होगी तब तक इंस्ट्रीज का विस्तार नहीं हो सकता। सरकार इसको जानती है और इसीलिये सरकार ने ९ करोड़ रुपये से ज्यादा बिजली के ऊपर खर्च करने का निश्चय किया है। मैं सरकार को इस काम के लिये बधाई देता हूं और सरकार इसके लिये जो कुछ कर रही है वह सराहनीय है। मेरे मित्र नारायणदत्त जी ने सरकार के नीति के ऊपर दो तीन आक्षेप किये। एक तो उन्होंने कहा कि कंटिंजेन्सी के ऊपर रुपया रखना उचित नहीं है। कंटिंजेन्सी के ऊपर ५ प्रतिशत रुपया रखा गया है। ऐसे कामों में जहां कि मालूम नहीं कि किस वक्त कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाय अगर ५ प्रतिशत रुपया कंटिंजेन्सी में रख दिया जाय तो बहुत ही उचित है क्योंकि जब काम चल रहा है और उसके लिये कंटिंजेन्सी में रुपया नहीं है तो बहुत सम्भव है कि जरूरत आने पर काम रुक जाय और लिखा पढ़ी होती रहे और जब रुपया सैंक्शन हो तो काम आगे बढ़े।

दूसरी बात उन्होंने कही कि रिहन्द के लिये एक इंटर प्राविंशियल बोर्ड होना चाहिये। रिहन्द के ऊपर केन्द्रीय सरकार काफी रुपया लगा रही है। इस सहयोग के होते हुये यह लाजमी है कि हमारी सरकार और सरकारों से जो हमारे निकट के प्रान्तों की है, उनसे सलाह मशविरा करती रहेगी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रान्त के ही ऊपर है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि गवर्नमेंट एक बोर्ड नियुक्त कर रही है। वह बोर्ड जहां तक और प्रान्तों का सम्बन्ध है उनकी राय लेगा ही और यह भी बहुत सम्भव है कि उसमें दूसरे प्रान्त के लोग भी रहें। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जब तक दूसरे प्रान्त के प्रतिनिधि उस बोर्ड में न हों तब तक बोर्ड का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा। यह श्री नारायणदत्त जी तिवारी की शंका निराधार है।

इसके साथ साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे करीब का प्रान्त विन्ध्य प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। उसकी ऊंचाई करीब करीब २००० फीट है और बहुत से नाले और नदियां हमारे प्रान्त में बहती हैं और वह कहीं १५०० फीट की ऊंचाई से गिरते हैं और कहीं १००० फीट की ऊंचाई से गिरते हैं विन्ध्य प्रदेश के सरकार के सहयोग से उन स्थानों की जांच कराई जाय अगर विस्तार के साथ न हो तो छोटे स्केल पर ही बिजली उत्पन्न हो सकती है इसकी देखभाल कराई जाय इससे मेरा विचार है कि हमारे प्रान्त को भी लाभ होगा और उन सरकारों को भी लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री नारायणदत्त जी तिवारी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में जितने रुपये आवश्यक थे उतने रुपये की मांग वित्त मंत्री जी द्वारा नहीं की गई है। आज हमारा प्रदेश धनधान्य तथा अन्य बातों में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज के युग में शक्ति का ऐसा स्थान है, जिससे देश को नये सिरे से और जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सकता है यह सदन जानता है। इस अनुदान में पारसाल के मुकाबिले में ५ करोड़ की ज्यादा मांग की गई है जिसमें से रामपुर, मेरठ और सहारनपुर के बिजली घरों की मरम्मत और कुछ बढ़ाने पर व्यय होगा।

इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्रों में विद्युत विभाग के लिये १,९०,००००० रुपये का अनुदान मांगा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी क्षेत्रों में मऊ और गोरखपुर में विद्युत स्टेशन्स हैं। मैं जानता हूं और जहां तक जानकारी है वह यह है कि सरकार नागपुर से पुरानी मशीन इन स्टेशन्स में लगाने के लिये मंगा रही है। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि यह पुरानी मशीन जो नागपुर से मंगाई जा रही है यह कितने रुपये की है और क्या यह

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

सही है कि इस पुरानी मशीन के लग जाने के बाद भी नई मशीन लगाई जायेगी। यदि यह सत्य है तो फिर क्यों ऐसी व्यवस्था सोची जा रही है। यदि नई मशीन मिल सकती है तो जरूरत इस चीज की है कि नई मशीन को ही मंगवा कर मऊ गोरखपुर में लगवाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मऊ और आजमगढ़ पावरहाउस को मैं देखता हूं तो मऊ शहर जहां है वहां इस पावर हाउस से बिजली देने का सरकार का इरादा नहीं है और इसके साथ ही साथ आजमगढ़ में जो पावर हाउस है उससे भी ट्यूबवेल को पानी देने का इरादा सरकार का इस बजट में नहीं बताया गया है मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मऊ और आजमगढ़ में जो पावर हाउस हैं सरकार का उसके द्वारा आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर को बिजली देने की जो चर्चा की जाती है उसमें केवल अब तक ६०० किलोवाट की शक्ति पैदा करने की व्यवस्था की जा सकी है। मैं समझता हूं कि ६०० किलोवाट की बिजली शक्ति नहीं के बराबर होगी और इन तीनों जिलों में जो सिंचाई के साधन इससे बनाये जाने वाले हैं वह नहीं बनाये जा सकेंगे और मेरा तो ख्याल है कि पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद भी मऊ विद्युत-केन्द्र इतनी बड़ी शक्ति से बिजली नहीं पैदा कर सकेगा कि इन तीनों जिलों में बिजली सप्लाई की जा सके।

रेहन्द बांध की चर्चा सदन में जोरों से होती है और सरकार केवल ४ करोड़ रुपये अनुदान देकर कृतार्थ समझती है। मेरा विश्वास है कि ४ करोड़ का अनुदान अगर लगातार ५ साल दिया जाय तब भी रेहन्द बांध बनने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय व्रजभूषण जी ने जो यहां खाका खींचा है और जितनी आवश्यकता बताई है उसके मुताबिक यह रुपया नहीं के बराबर है। ३५ करोड़ लागत का रेहन्द डैम बनाने की सरकार की योजना है इस लागत और सरकार की मांग को देखते हुये मेरा ख़याल है कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह नहीं बनने वाला है। लोग कहते हैं कि कई साल पहले रेहेंड डैम बनाने की योजना थी लेकिन शारदा पावर हाउस बीच में टपक जाने के कारण वह योजना स्थगित कर दी गई। मुझे शुबहा है कि कहीं ऐसी कोई स्कीम फिर सरकार के सामने आ न जाय जिससे रेहेंड डैम बनाने की योजना जिसकी मांग पूर्वी जिले में ज्यादा है उसमें देर न हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं देखता हूं कि इस प्रदेश में बहुत सी बिजली कम्पनियां ही बड़े बड़े शहरों और कुछ टाउन एरियाज़ को बिजली देती हैं। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली कम्पनियों को धीरे-धीरे खत्म कर देना चाहिये और सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिये। मेरा ख़याल है कि जहां तक सरकार के पावर हाउस हैं उनमें भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है तथा अन्य शिकायतें हैं, लेकिन जहां पर गैर सरकारी पावर हाउस हैं उनमें तो भ्रष्टाचार का बोल बाला है। दोनों जगह बड़ी कड़ाई के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। लेकिन अफसोस है कि सरकार से बार बार इस भ्रष्टाचार को रोकने का अनुरोध करने के बावजूद भी सरकार कोई कदम नहीं उठाती।

आजमगढ़ बिजली पावर हाउस के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह सरकार का पावर हाउस है और है भी, लेकिन मैं जानता हूं कि पारसाल इसी सदन ने ५ हजार या १० हजार रुपया आजमगढ़ पावर हाउस के लिये मंजूर किया था लेकिन आजमगढ़ पावर हाउस अपनी जगह पर ज्यों का त्यों वर्तमान है। क्यों नयी शक्ति, नयी रोजी उन छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे करने वाले दूकानदारों को, उन टिमटिमाते हुये चिराग वालों को बिजली सस्ती से सस्ती देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मेरा विश्वास है कि देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और जो छोटे-छोटे कस्बे पूरब या पश्चिम जिलों में हैं सब की हालत यह है कि वहां इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं है कि छोटे छोटे उद्योग-धन्धे करने वाले व्यापारियों को भी नये सिरे से नये काम करने के लिये सस्ते भाव में बिजली मिल सके।

इसके अतिरिक्त व्रजभूषण मिश्र जी ने कहा कि एक तरफ १० करोड़ की मांग की जाती है दूसरी तरफ सत्याग्रह किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि व्रजभूषण मिश्र जी शायद भूल गये हों, क्योंकि बहुत सी बातें लोग भूल जाया करते हैं या भुला देने की कोशिश करते हैं कि जब अंग्रेज राजा हमारे देश में था तो माननीय व्रजभूषण मिश्र जी का दोनों तरह का काम था रचनात्मक और विरोधात्मक। उसी तरह से मैं समझता हूं कि रचनात्मक काम के साथ साथ अगर स्वस्थ विरोधात्मक बात नहीं रहेगी तो रचनात्मक काम भी खत्म हो जायगा या मनोनुकूल होगा नहीं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सरकार का काम भी इसी वजह से सफल नहीं हो रहा है क्योंकि विरोधियों के स्वस्थ विरोध को भी नहीं सुनना चाहती।

*श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में बिजली के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं। हर एक आदमी इस बात को जानता है कि हमारे प्रदेश के लिए बिजली की कितनी आवश्यकता है। किन्तु जितनी बिजली की आवश्यकता है, हम लोग और हमारे प्रदेश की सरकार उसी मुख्यता से इस बिजली के विभाग को नहीं देख रही है। दिक्कत इस बात की पड़ती है कि ऐसे ढंग से कुछ हमारे यहां का यह काम चल रहा है कि न तो इसका कोई प्लान बना हुआ है न मैं समझता हूं कि ढंग के कर्मचारी उसके अन्दर हैं। मैं एस्टीमेट्स कमेटी की उस रिपोर्ट का अधिक लाभ नहीं उठाना चाहता, मगर इतनी बात तो देखने से मालूम ही होती है कि कुछ कर्मचारी इस विभाग के क्वालीफाइड नहीं हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हमारे यहां बिजली की जो तरक्की हुई, या बिजली का जो काम आज बढ़ रहा है उसके सिखलाने के लिए कोई स्कूल या कालेज हमारे यहां इस प्रकार का नहीं है जो क्वालीफाइड आदमी दे सके। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा इस ओर दिलाऊंगा कि इस बात की बेहद आवश्यकता हमारे प्रान्त में है कि हमारे यहां कोई बिजली का ऐसा स्कूल या कालेज होना चाहिये जहां से ट्रेंड परसनल निकल सकें और जो हमारे इस विभाग को सम्हाल सकें।

दूसरी चीज एक और है कि जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। मैं जानता हूं कि हमारे मन्त्री जी बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मगर उसके साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि उनके पास कितना काम है। अब बिजली का काम इतना छोटा नहीं रह गया है कि आप किसी एक दूसरे विभाग के साथ में उसको नत्थी कर दें। मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त में इसके लिए एक सेपरेट पोर्टफोलियो होना चाहिए और बिल्कुल अलाहिदा ही एक मिनिस्टर इसका इनचार्ज होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं और न मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि मैं किसी अपने मन्त्री के ऊपर कोई आक्षेप करना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि बिजली जैसी चीज जिससे कि इस संसार में हर काम होने जा रहा है और इतना विस्तार हमारी योजनाओं का जिसके सहारे हो रहा है, उसका अब इस प्रकार काम नहीं हो सकेगा। मुझे कुछ पावर कमेटियों में भी जाने का इत्तफाक हुआ है। कमेटियां हमारी नैनीताल में होती हैं और बिजली के मिनिस्टर साहब बिजनौर में होते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं मालूम होता कि इस तरह से इतना काम उनके पास रहे कि वह कमेटियों में भी न पहुंच पायें और इस प्रकार काम हो। हम जानते हैं, जैसा हमारे पहाड़ के भाइयों ने कहा कि हमारे यहां पर बिजली के बहुत से रिजर्वायर्स हैं, सोर्सेज हैं, जिनसे की हम अपने प्रान्त को ही नहीं बल्कि तमाम भारतवर्ष को बिजली सप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि हम उनको भली प्रकार से काम में लायें और कोई बातें ऐसी भी देखने में आती हैं कि जिस वक्त हम बिजली का पावर हाउस बनाने चलते हैं तो मशीनरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और मशीनरी आती है विदेशों से। पिछले साल भी मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि हमें यह चाहिए कि हम यह देखें कि हमारे यहां किन किन चीजों की जरूरत है।

अगर बिजली का पावर हाउस भी बन जाता है तो उसके लिये ट्रांस्फार्मर वर्षों तक नहीं मिल पाता। अगर सब काम तैयार हो जाता है तो टर्बाइन नहीं आती क्योंकि इन्हें हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। इस ओर गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवन्त सिंह]

चाहिए कि जो चीजें हमारे यहां बिजली में काम आती हैं उन सब चीजों को हमको तैयार कराना चाहिए । अगर उनको यहां तैयार करा लिया जाता है तो हमारे यहां बहुत कुछ बिजली तैयार हो जायगी और बहुत जल्दी हमारा काम चल जायगा । इसके साथ-साथ मैं कुछ ऐसी दिक्कतों की तरफ और खासकर कोआपरेटिव ट्यूबवेल की दिक्कतों की तरफ जोकि पश्चिमी जिलों में लगाये जाते हैं, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । और जगहों पर गवर्नमेंट ट्यूबवेल लगा देती है लेकिन हमारे यहां कहती है कि कुछ सहायता सरकार देगी और कुछ तुम लगाओ । इंजनों से यह ट्यूबवेल चलाये जाते हैं । जो भी साहब इंजन से ट्यूबवेल चलाते हैं वह जानते हैं कि इंजन से ट्यूबवेल चलाने पर रुपये का सत्यानाश हो जाता है । दो-तीन वर्ष के बाद इंजन खराब हो जाता है और जितना रुपया इंजन में लगाया जाता है वह खराब हो जाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अगर कृपा करके हमसे कोआपरेटिव के जरिये ट्यूबवेल बनवाते हैं तो इस आधार पर बनवायें कि तुम्हें साथ ही साथ बिजली भी दे देंगे ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी असीम कृपा से आज मुझे पावर के ऊपर बोलने का अवसर मिला । पावर को पावर मिल गयी जैसा कि हमारे चन्द मेम्बरान कह रहे हैं । लेकिन वाकई आज जो हिन्दुस्तान का उठता हुआ तूफान है हम जिस तरफ अग्रसर हो रहे हैं अपनी इस पंचवर्षीय योजना को लेकर, पंचवर्षीय योजना वह शक्तिशाली योजना है जिससे आज अमेरिका का दिल धड़कने लगा है कि हिन्दुस्तान में तमाम मशीनरी पैदा हो रही है, इतने पावर हाउस बन रहे हैं, अगर उनकी पावर ठीक हो गयी तो हमारा अमेरिकी पावर फेल हो जायगी ।

मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो जुमला यहां कहा, आज हमारे बुजुर्गवार इस पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं । त्रिपाठी जी को पता होना चाहिए कि १९३७ में यही हाफिज जी मुस्लिम लीग को चैलेंज करके वापस आये थे । उनके जिम्मे पावर का पोर्टफोलियों रखा गया है । गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में नहीं दे रखा है । आज फाइनेंस का सारा काम वह चला रहे हैं । उनके पास बुद्धि है । प्रान्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर है । मैं चाहूंगा कि सदन के अन्दर कोई सम्मानित सदस्य जो भी कोई बात कहें तो कम से कम हमको अपने बुजुर्गों और बड़ों का लिहाज करना चाहिए । कहा है क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन को उत्पात । मैं जानता हूं कि हाफिज जी त्रिपाठी जी को क्षमा कर देंगे । लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको एटीकेट के अन्दर रहना चाहिए । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने कहा कि कंटिंजेंसी में ५ प्रतिशत से एक प्रतिशत कर दिया जाय और उसी क्षण उसी मिनट आप उलट जाते हैं । कहते हैं कि ९ करोड़ के बजाय १० करोड़ होना चाहिए । इस बुद्धि का क्या ठिकाना ? मैं आपको ट्रावनकोर की तरफ ले जाना चाहता हूं । आपने वहां मिनिस्ट्री सम्हाली है । वहां का मसला चल रहा है । यू आर इन दि फील्ड, मिस्टर । हम और आप दोनों फील्ड में हैं । हम तो पूरा मुल्क सम्हाले हुए हैं आपको एक छोटा सा ट्रावनकोर मिला है । देखेंगे कि आप क्या करेंगे ? बड़ा सुन्दर अवसर मिला है । आपका इम्तहान है । आज यह जो शक्ति हमारे देश में प्राप्त हो रही है । हमारे पास गंगा ऐसी बड़ी नदी है जिससे लाखों किलोवाट पावर मिल सकती है । बड़ी-बड़ी नदियां हमारे देश में हैं । कल जो हमारे कैलाश वासी लोग उधर बैठे हुए हैं बड़ी शिकायत कर रहे थे, बड़े गरजे हैं, लेकिन याद रखियेगा कि बिजली आपके यहां से ही आ रही है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिजली आपको जरूर मिलेगी । फिर हमारी गवर्नमेंट पहाड़वालों की गवर्नमेंट है, आज हमारे मुख्य मंत्री पहाड़ के हैं । पहाड़ वालों को बिजली जरूर दी जायगी इसमें कोई घबड़ाने की बात नहीं है । हमारी गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है बड़ी नेकनियती से कर रही है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अब अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा । रेहन्द डैम का नाम रेडुका बन्धु रक्खा जाय । हमारी शुद्ध संस्कृति का प्रचार हमारे देश में हो । हमारी संस्कृति इतनी सुन्दर है कि मैं चाहूंगा

'क उसी के अनुसार सुन्दर नाम रक्खे जायं। रेडुकाबन्धु अगर न रक्खा जाय तो रेडुका जल-प्रपात रक्खा जाय।

एक बात सरकार से मैं और कहना चाहूंगा। देहात में जो किसानों के बच्चे हैं उनको ट्रेण्ड किया जाय। इस बाबू समाज से जो रुड़की से निकलता है उससे काम निकलने वाला नहीं है। आज इस देश में पंडित नेहरू और पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की सरकार है।

मेरी यह भी प्रार्थना है कि सरकार बासी और बस्ती में बिजली पहुंचाने की कृपा करे। मऊ और गोरखपुर में जो बिजली का पावर हाउस बन रहा है उसको जल्दी तैयार किया जाय तो जो पूर्वी और पश्चिमी जिलों का झगड़ा है वह हल हो जायगा। जो लोग दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप जाइये दिल्ली। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर सरकार बिजली दे दे तो मैं वहां दो दो फसलें धान की तैयार करूंगा और पश्चिमी इलाके को भी खिलाऊंगा।

हमारे त्रिपाठी जी को शिकायत थी कि पैसा कम रक्खा गया। रामसुन्दर पांडेय जी को भी यही शिकायत थी कि ९ करोड़ के बजाय १० करोड़ रुपया रक्खा जाता। इससे जाहिर होता है कि वह सरकार की नीति को सपोर्ट करते हैं, न कि उसका विरोध। वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह बहुत सुन्दर है, सरकार खर्चा भी निहायत नेकनियती से कर रही है और इसमें कोई शक नहीं कि पहाड़ के जो लोग हैं वे भी.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग माननीय शिवनारायण जी के उपदेशों को जरा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि माननीय शिवनारायण जी ने अमेरिका को जो हमारे डैम्स व बिजलीघर को देखकर घबड़ाहट हो गई है उसका आज यहां जिक्र कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक माननीय शिवनारायण जी ने किसी बिजलीघर को नहीं देखा है। पहले वह कोई बिजलीघर देख आयें फिर बिजली की बात करें तो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने यह भी सुझाव रक्खा कि रेहन्द डैम के बजाय उसका नाम रेडुका बन्धु रक्खा जाय लेकिन अगर उसका उद्घाटन भी माननीय शिवनारायण जी के हाथों ही किया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

अब रही मतलब की बातें। मुझे दुख इस बात का है कि कल माननीय मंत्री जी कुछ हम लोगों से नाराज हो गये। वह हमारे बुजुर्ग हैं। हमारी कुछ जोरदार मांगों पर उनको कुछ गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने हम लोगों की तरफ देखने से भी इंकार कर दिया। एक तरफ तो उन्होंने बजट स्पीच में यह कहा था कि मैं हाउस के सब मेम्बरान का सहयोग प्राप्त करना चाहता हूं और जब थोड़ी सी हमने अपने यहां की मांग पेश कर दी तो माननीय मंत्री जी को उसका बड़ा बुरा लगा, इसके लिये हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन हम माननीय मंत्री जी से यह आशा करते हैं, क्योंकि वह हमारे बुजुर्ग है, कि हमारी मांगों को कम से कम जरूर सुनेंगे। उन्होंने यह कहा था कि वह मजाक पसन्द नहीं करते हैं। हम उनसे कोई मजाक नहीं करते हैं और न हमारी उमर ऐसी है कि उनसे मजाक किया जाय। हम तो उनकी इज्जत करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वह हमको चीजें बतायें और हम उनसे सबक लें, लेकिन हमको अफसोस है कि हमको कुछ भी सीखने को नहीं मिला और न कुछ जवाब ही मिला। आज रिहन्द डैम की बात की जाती है और दूसरे मित्रों ने कहा कि उसमें सिमेंट ज्यादा लगेगा। हमारे यहां तो कुदरती बांध बने हुये हैं जिन पर थोड़ा सा खर्च करके सिंचाई हो सकती है और बिजली भी पैदा हो सकती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन हजार फीट की ऊंचाई पर २ मील लम्बा और १।। मील चौड़ा एक कुदरती तालाब हमारे यहां है जिसका नाम तड़ागताल है उसकी तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान दें तो उसमें काफी काम हो सकता है और बिजली और सिंचाई का साधन दोनों वहां से प्राप्त हो सकते हैं।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हमारे कानपुर के अवस्थी जी ने श्रमिकों का जिकर किया। मुझे भी उस संबंध में यह कहना है कि बिजली का जो कंसर्न है उसको बिजनेस लाइन्स पर रन करना चाहिये। कानपुर की जो सरकारी बिजली कम्पनी है उसके मजदूरों को सरकार ने आज तक बोनस नहीं दिया है। सरकार को तो आइडियल पेमास्टर होना चाहिये। सरकार और मिल वालों से तो कहती है कि तुम बोनस दो लेकिन खुद नहीं देती है। ५१-५२ में उनको दो आना रेट के हिसाब से मिला लेकिन उसके बाद ५२-५३ में अभी तक कुछ नहीं मिला। मैं अवस्थी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय मंत्री जी से कहे क्योंकि वे हमारी बात को तो सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन उनकी बात तो वह शायद सुनेंगे तो मजदूरों को बोनस वह दिलवाने के लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करें और उनको बोनस दिलावें।

(इस समय २ बजकर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

मैं एक बात और माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एक आयंगर कमेटी बैठी थी। उसका सुझाव था कि यह सिंचाई विभाग और बिजली विभाग अलग-अलग कर दिये जायं क्योंकि बहुत सी स्कीम उस समय गवर्नमेंट के सामने थीं लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ बल्कि फायदे के बजाय मैं यह समझता हूं कि उससे हमारी प्रान्तीय सरकार को नुकसान हुआ है। जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि माननीय मंत्री जी अगर विद्युत विभाग को अपने पास रखते हैं तो वह इर्रिगेशन विभाग को भी अपने पास रखें तो उससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाय। जब हम इर्रीगेशन विभाग के पास जाते हैं तो कह दिया जाता है कि इसको हाइडल वाले जानते हैं और हाइडल वालों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि इसको इर्रीगेशन वाले जानते हैं। तो साल भर तक हम इसी प्रकार से चक्कर काटते रहते हैं। जैसा अभी बलवन्त सिंह जी ने कहा कि जिस मंत्री के पास विद्युत ही रहना चाहिये पर मैं कहूंगा कि उसी मंत्री के पास इर्रिगेशन भी रहना चाहिये। यही परिपाटी भारत सरकार की है और दूसरे प्रांतों में भी इसी प्रकार से चला आ रहा है। इस वजह से इन दोनों विभागों को एक मंत्री के हाथ में रहना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि जो आयंगर कमेटी बैठी थी जिसके कहने के मुताबिक इनको अलग किया गया था उसने यह भी कहा था कि एक एलेक्ट्रिकल बोर्ड भी हमारे प्रान्त में बनाया जाय लेकिन अभी तक उस बोर्ड की स्थापना प्रान्त में नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह यह न समझें कि जो बात हम कहते हैं वह ठीक ही कहते हैं, वह गलत भी हो सकती है, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जरा भी अगर माननीय मंत्री जी अपने विभाग की ओर ज्यादा ध्यान देते तो यह काम हो जाता और एक बोर्ड की स्थापना हो जाती।

हमारे मित्र माननीय परिपूर्णानन्द जी भी साथ बैठे हुये हैं हम उनसे बड़ी आशा करते हैं। वह भी हमारे बुजुर्ग हैं। उनको आंकड़े बहुत से याद हैं। हम उनसे चाहते हैं कि बजाय इसके कि वह जबानी ही आंकड़े यहां पर कहें अगर किसी किताब से यहां पर पढ़ें तो अच्छा है क्योंकि वह गलत नहीं निकलेंगे और हम भी उन्हें देख लेंगे वह जल्दी में इस प्रकार से कह देते हैं कि हमको मालूम ही नहीं हो पाता कि आंकड़े कहां के और क्या हैं। कभी-कभी मैंने इस बात की कोशिश की कि यह जानूं कि वह जो आंकड़े यहां पर रखते हैं वह किस किताब के हैं और मैंने जब इनकी खोज की तो खेद से कहना पड़ता है कि आज तक का तजुर्बा यह है कि उन्होंने जितने आंकड़े यहां पर दिये वह सारे के सारे गलत निकले। रजा फैक्ट्री रामपुर के बारे में उन्होंने जो कुछ आंकड़े कहे दिये उसको घर जाकर मैंने देखा। रामपुर की इस कम्पनी को इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी किस रेट पर बिजली दे रही है उसके बारे में भी मैंने देखा, लेकिन कहीं भी उनकी बात मुझे सही नहीं दिखाई दी। मैं उनका ध्यान एक किताब की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि दो तीन दिन ही हुये बटी है, वे उसको देखें। अमेरीका के आंकड़े नहीं, वे उसी किताब के यहां के आंकड़े ही देखें तो उनको मालूम हो जायगा कि क्या बात सही है। अतः मैं चाहूंगा कि भविष्य में माननीय परिपूर्णानन्द जी आंकड़ों के मामले में साफ साफ बताने की कृपा करें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह तो नहीं कह सकता कि माननीय उपाध्याय जी ने उन पुस्तकों को नहीं देखा होगा जिनके आंकड़ों का जिक्र मैंने किया और न मैं यह कहूंगा कि उन्होंने जानबूझ कर कोई गलत बात कही है, लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि उन्होंने सचमुच पुस्तकों को पढ़ा होता या वे मेरे पास आकर उसके बारे में पूछते तो मैं उनको बता देता कि एक भी आंकड़े जो मैंने बताया था कभी गलत नहीं था और प्रत्येक आंकड़े के विषय में मेरे पास प्रमाण मौजूद थे। मैं यह साबित कर सकता हूं कि जो आंकड़े वे रजा टैक्सटाइल मिल के बारे में बता रहे हैं वे गलत हैं।

दूसरी बात यह है कि माननीय शिवनारायण जी ने ट्रावनकोर कोचीन के बारे में जिक्र किया। मैं नहीं चाहता था कि उसका इस प्रकार से जिक्र होता क्योंकि वहां पर जो समाजवादी भाईयों की गवर्नमेंट कायम हुई है वह कांग्रेस पार्टी की सहायता और सहानुभूति के बल पर कायम हुई है और हम सब चाहते हैं कि ट्रावनकोर कोचीन में उसका शासन सफल हो। हमारी सद्भावनायें उसके साथ हैं।

सूर्यप्रसाद अवस्थी जी ने बिजली कम्पनी के बारे में कुछ कहा। मैं उस संबंध में केवल दो बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि वह एक गवर्नमेंट कन्सर्न है। आज उत्तर प्रदेश में कानपुर के टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों के बारे में यह खयाल किया जाता है कि वे देश में सबसे अधिक वेतन पाते है। उनको सालाना १,०७० रुपया पड़ता है। लेकिन श्रीमन्, कानपुर की इलेक्ट्रिक कम्पनी के मजदूरों का वेतन १,४०० रुपया सालाना पड़ता है जो भारत भर में मजदूरों के वेतन में सबसे ज्यादा है।

कानपुर पावर हाउस की बिजली के दरों के बारे में भी कहा गया। कानपुर में बिजली की दर २५ प्रतिशत बढ़ा देने पर भी ३ आना ३ पाई प्रति यूनिट पड़ती है जोकि बंबई और कलकत्ता की दरों को छोड़कर सबसे सस्ती है। कुछ बातें गोरखपुर, मऊ और आजमगढ़ के बारे में कही गयीं। मैं स्वयं गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। उसके विषय में कोई घबराने की बात नहीं है। गोरखपुर को १० हजार किलोवाट बिजली शीघ्र ही प्राप्त होने वाली है। ५-५ हजार कैपेसिटी के २ इंजिन इस सितम्बर में ही भारत के लिये रवाना होने वाले हैं। रेलवे साइडिंग बनने का आर्डर हो चुका है। जमीन एक्वायर हो चुकी है। करीब-करीब यही परिस्थिति मऊ के संबंध में भी है। उसकी इंस्टेलेशन में ही समय लगेगा। इसलिये घबराने की कोई बात नहीं है।

माननीय नारायणदत्त जी ने गंगा ग्रिड के बारे में कहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी आसानी और सरलता से आलोचना करने में कितना लाभ हो सकता है। इससे आगे चल कर अध्ययन करने में उनको दिक्कत महसूस होगी। हमेशा किसी भी इंजिन की दो कैपेसिटीज होती हैं। एक तो इंस्टाल्ड कैपिसिटी और दूसरी इफैक्टिव कैपेसिटी। जिस तरह से कोई मोटर १०० मील पर आवर की कैपेसिटी की है। लेकिन वह कभी भी अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं चलती है।

उत्तर प्रदेश में बिजली की इफेक्टिव कैपेसिटी के लिये जो लाइसेन्स दिया जाता है वह ३३ प्रतिशत होना चाहिये। लेकिन सरकार थर्मल प्लान्ट के लिये २५ प्रतिशत और हाइडल प्लान्ट के लिये २० प्रतिशत रखती है। इतना होने पर भी श्री नारायणदत्त जी को मालूम होना चाहिए कि सन् ४७-४८ में गंगा ग्रिड की हमारी कैपेसिटी ३८,९०० किलोवाट थी। उस समय हमें १४२० लाख यूनिट पैदा करनी चाहिए थी। लेकिन मांग की अधिकता के कारण सन् ४७–४८ में केवल १६५८ लाख यूनिट पैदा कर रहे थे। लेकिन हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में इतने से ही काम नहीं चलता। सन् ४८–४९ में १७१० लाख यूनिट पैदा होने लगी और आगे चल कर सन् ४९–५० में बढ़कर १९२९ लाख यूनिट हो गयी। इतना ज्यादा बोझ पड़ गया।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

इतनी ज्यादा बिजली पैदा हुई लेकिन विरोधी एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो मुहम्मदपुर का पावर हाउस बना है उसको मिलाकर ५० हजार किलोवाट की कैपिसिटी हो जाती है। इसमें ४२,८०० किलोवाट की बिजली गंगा ग्रिड पैदा कर रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---केवल ८०० नहीं बल्कि ८०७ है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---तो कुल इंस्टाल्ड कैपिसिटी में १४ प्रतिशत कम रहा। मैंने कल टेहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा के बारे में कहा। मुमकिन है कि उस वक्त राणा जी उपस्थित न रहे हों। उनको तो जरूर प्रसन्नता होनी चाहिये यदि वे जानते कि नरेन्द्रनगर भी इस योजना के अनुसार लिया जा रहा है। जब इस वक्त ऋषिकेश के मार्ग से नजीबाबाद के पावर हाउस से शक्ति बढ़ाये जाने की चेष्टा की जा रही है तो उससे जो लाभ होगा मैं नहीं जानता कि उस से टेहरी का कल्याण होगा या नहीं। मैं अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि गलत आलोचना करने से आंकड़ों को समझने में कठिनाई हो सकती है। मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और मुझसे गलती भी हो सकती है। लेकिन अपने मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे समझने की चेष्टा करें। दूसरे की बातों को झूठा बनाना कभी शोभनीय नहीं होता है।

‡श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब चेयरमैन साहब, अभी कुछ बातों का जवाब, जो यहां कही गयी थीं, हमारे भाई माननीय परिपूर्णानन्द जी ने दिया। मैं उन बातों का छोड़ दूंगा। लेकिन जो बहस आज सुबह से इस वक्त तक यहां हुई है उसका जवाब कुछ अर्ज करने से पहले मुझे एक और बात अर्ज करनी है। कल मैंने यहां कुछ अर्ज किया था। उसकी निस्बत आज मुझ पर यह इल्जाम आया कि मैंने इस्टीमेट कमेटी की तौहीन कर दी है। यह इस बिना पर कहा जाता है कि अंग्रेजी के अखबारों में जो मेरी स्पीच रिपोर्ट हुई है उससे यह नतीजा निकलता है। मैंने खुद देखा नहीं। लेकिन कल जो मैंने अर्ज किया था वह यहां लिखा गया होगा उसको देखा जा सकता है कि मैंने क्या कहा। एस्टीमेट कमेटी तो हाउस की कमेटी है और मैं कभी किसी की भी तौहीन करने का इरादा नहीं करता। मैंने जो कल कहा मैं उसको फिर हाउस के सामने दोहराना चाहता हूं और अगर किसी रिपोर्ट में कुछ गलती हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वह रिपोर्ट सही कर ली जायेगी उस रोशनी में जोकि मैं अर्ज करता हूं। इस वक्त जो बहुत से मेम्बरान तशरीफ रखते हैं उनमें कम से कम कितने ही उस वक्त कल भी मौजूद रहे होंगे जब मैंने कहा था कि एस्टीमेट कमेटी इस हाउस की कमेटी है। मेरे लिये बहुत इज्जत के काबिल है। मैं इबरत नहीं कर सकता हूं कि उनके कहे हुये को समरीली रिजेक्ट कर दूं और चूंकि कल ही रिपोर्ट मेरे सामने आयी तो इतने थोड़े से वक्त में मेरे लिए यह मुनासिब नहीं है कि मैं कुछ उसके खिलाफ कहूं। लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि किसी चीज के जवाब में नहीं लेकिन अगर सही ओपीनियन उन तक पहुंची होती तो गालिबन वह उस नतीजे पर न पहुंचे होते। यह लफ्ज मैंने कहे हैं और मैंने उसके बाद यह भी अर्ज किया कि बहरहाल हाउस की कमेटी की रिपोर्ट है मैं उसको देखूंगा, देखवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कहां तक उस पर अमल कर सकता हूं। जो मैंने अर्ज किया अगर यही है तो कल के कहे हुये लफ्जों और आइडियाज के मुताबिक अभी तक मैं समझा नहीं कि मैंने कहां तौहीन कर दी। मेरा इरादा न तौहीन का था और न है। मैं सन् १९२९ से इस हाउस में मौजूद रहा हूं और मैंने देखा है कि क्या तरीके हैं किसीकी इज्जत करने के और कहां तक एक मेम्बर को और बिलखसूस एक उस आदमी को जो एक मेम्बर से भी कुछ ज्यादा जिम्मेदारी लिये हुये हो इस हाउस का एहतराम और इज्जत करना है। अगर मैं एक मेम्बर होते हुए भी किसी ऐसी कमेटी की तौहीन करूं जिसको इस हाउस ने बनाया हो तो मैं समझता हूं कि मैं इस हाउस की तौहीन करता हूं और इस हाउस की ही तौहीन नहीं

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता बल्कि अपने आप की तौहीन करता हूं और अपने आप को दुनिया के सामने जलील करता हूं। तो मैंने अपने नजदीक कोई ऐसी बात कहीं नहीं लेकिन मुझसे एक साहब ने आज मतालिबा किया मैंने तौहीन की। मैंने उसको इस हाउस की याददिहानी के लिये फिर अर्ज कर दिया है और इससे ज्यादा मैं अर्ज करने की जरूरत नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि बावजूद किसी रूलिंग के जो हुई यहां एस्टीमेट कमेटी के हवाले से फिर आज कहा गया और मुझको स्पीकर साहब ने यह इजाजत दी कि जो बातें एस्टीमेट कमेटी के हवाले से न दी गई हों चाहे वह उसमें हों तो मैं उनका जवाब दे सकता हूं। मगर मैंने जो स्पीच सुनी वह पूरी एस्टीमेट कमेटी के हवाले से थी और अभी एक साहब ने तकरीर फरमाई और उसमें बावजूद इस बात के कि एस्टीमेट कमेटी के हवाले से उन्होंने इनकार किया लेकिन फिर भी एस्टीमेट कमेटी का हवाला पाया। तो अब मैं इस सोच में हूं कि उन बातों के मुताल्लिक अगर मैं कुछ कहूं तो मालूम नहीं मुझपर क्या और दूसरे इल्जाम कायम हों इसलिये मैं यही रास्ता इस वक्त अच्छा समझता हूं कि वह बातें जो कही गई हैं यहां और जिन्होंने जगह पाई है एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में उनके मुतल्लिक मैं इस वक्त कुछ अर्ज नहीं करना चाहता। जब मुनासिब मौका होगा उस वक्त अर्ज करूंगा।

हमारे दोस्त अवस्थी जी ने मेरे नजदीक मुझको एक ऐसी बात की याद दिलायी कि जो मेरे दिल को भाती है। मैं नहीं जानता कि उनको इस बात की वाकफियत है कि नहीं है, जानकारी है या नहीं है और मैं दावा तो नहीं करता कि दुनिया भर से मुहब्बत रखता हूं लेकिन जहां तक कि केसा के लेबर का ताल्लुक है वहां के वर्कर्स का मेरी तबियत को उनसे खास ताल्लुक है और जो काम इस स्टेट का इस वक्त तक उनके जरिये से होता रहा है मुझे बड़ी इसकी कदर है। मैं उनकी मांगों को ठुकराने की नियत अपने दिल में नहीं रखता हूं और यह ख्वाहिश रखता हूं कि जितनी ही ज्यादा से ज्यादा भलाई उनके साथ मेरे हाथों की तरफ से, इस गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती हो उसके करने में कोई दरेग न करूं। यह मैंने अपने ही मुताल्लिक जाहिर किया इसलिये कि मेरे दोस्त समझ लें कि मैं केसा के सवालात को किस ऐटीट्यूड से देखता हूं। मेरा मुखालिफाना एटीट्यूड नहीं है।

इस वक्त तक उनको बोनस नहीं दिया गया। मैंने कल अर्ज किया था और अब भी दोहरा देता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं और जहां मेरा कुसूर नहीं है वहां भी अपना कुसूर समझता हूं लेकिन वाकया यह है कि वह बोनस जो इस वक्त तक नहीं दिया गया उसकी वजह कोई देरी करने की नहीं है। बल्कि कुछ आदमी इस ऐवान में जरूर होंगे जिनको मालूम होगा कि कुछ मांगें मुखालिफ बन गयीं उस बोनस के मुताल्लिक। कुछ यह सवाल उठा कि वह कितना है और कितना दिया जाय, उसकी वजह से इसमें देरी हुई जरूर इस वक्त तक वर्ना वह अब तक अदा हो चुका होता। जहां तक कि बोनस के देने की पोजीशन है और जो मैं ईमानदारी से समझता हूं वह यह है कि अगर उसको सिर्फ कानून की नजर से देखा जाय, आज जो कानून हैं जो रेगुलेट करते हैं ताल्लुकात को, वर्कर्स और इम्प्लायर्स के उस कानून की रोशनी में जब हम देखते हैं। तब तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं और सिर्फ इसीलिये नहीं कि मैं एक मिनिस्टर हूं, यह काम कर रहा हूं, बल्कि कुछ दिनों मैंने उल्टी सीधी, बुरी भली वकालत भी की, मैंने एल-एल० बी० भी पास किया, कानून पढ़ा, तो मैं उस कानून को समझा जो कुछ हूं, उसकी रोशनी में मैं जो कुछ राय कायम करता हूं तो मेरी राय यह कायम होती है कि वह बोनस पाने के मुस्तहक नहीं हैं कानून में जो सूरत हाल केसा की है, लेकिन फिर भी मैं यानी गवर्नमेंट बोनस उनको देना चाहती है। मैं यह सवाल दरमियान में लाता नहीं कि क्या हक उनका है, क्या नहीं है। कुछ आदमियों ने चूंकि यह सवाल उठाया, इसलिये मेरी भी तवज्जह उस तरफ गयी, लेकिन मैं देने के लिये तैयार हूं। गवर्नमेंट उनको बोनस डेढ़ महीने की तनख्वाह का देती रही है और आज भी उसको देने में उज्र नहीं है और सब हालत को देखकर यह मुनासिब नहीं मालूम होता है कि इसमें किसी किस्म का इजाफा किया जाय। मैं किसी इजाफे

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

का वादा नहीं करता और मैं उसको इस वक्त मुनासिब भी नहीं समझता। हां, जिस तरीके से कि उनको बोनस मिलता रहा है डेढ़ महीने की तनख्वाह का वह आने पाई में जो हिसाब पड़ता हो उससे कुछ इस वक्त सरोकार नहीं है, लेकिन डेढ़ महीने की जितनी जिसकी तनख्वाह है उतने का बोनस उसको मिलता है और वह मैं देने के लिये तैयार हूं। वह इसके मुस्तहक हैं या नहीं हैं, मैं इस सवाल को उठाना नहीं चाहता और जिन्होंने इसे उठाया है उनसे मैं यह जरूर अर्ज कर सकता हूं कि उनको यह सवाल नहीं उठाना चाहिये। मालूम नहीं, उसका नतीजा क्या हो। गवर्नमेंट देने के लिये तैयार है। कई साल से हम देते रहे हैं और अब भी दे देंगे। ३१ मार्च में अभी चन्द रोज बाकी हैं, वह अभी तकसीम हो सकता है। चूंकि आज अवस्थी जी ने यह सवाल उठाया, तो मैं इस अपनी गुफ्तगू में उसके ऊपर जो कुछ भी होना चाहिये वह करने को तैयार हूं, उससे इन्कार नहीं।

कुछ और उन्होंने सजेशन्स दिये थे। मैं उनका वेलकम करता हूं और मैं उनको बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी से सोचूंगा और उनके साथ मिल करके गुफ्तगू करने और उसको अमल देने के लिये जो कुछ भी उसके मुताल्लिक मुमकिन होगा, तैयार हूं, मुझे उससे भी इन्कार नहीं है।

अब दूसरी बात यह आयी कि रेहन्द डैम के सिलसिले में जो कुछ मैंने यहां अर्ज किया था उसपर कुछ कहा गया। एक बात यह कही गयी कि रिहन्द डैम के लिये डेवलपमेंट फंड जो कायम है हमारे यहां, उसको बढ़ाया जाय। किस तरीके से? एक तो इस तरीके से कि बिहार से रुपया मांगो, विन्ध्य प्रदेश से रुपया मांगो और यहां लोन लो। जिन साहब ने यह इरशाद फरमाया, मैं समझता यह हूं कि वह शायद डेवलपमेंट फंड किस चीज को कहते हैं अभी इसको समझते नहीं। यह डेवलपमेंट फंड कर्ज का रुपया ले लेकर के नहीं बनता है। डेवलपमेंट फंड बनता है उस आमदनी से जो सरकार को बतौर रेवेन्यू के होती है। अगर हम अपनी तरफ से यह एलान नहीं करते कि इरिगेशन रेट्स जो बढ़े हैं उससे जो आमदनी होगी और जो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से रुपया आयेगा, तो वह तो सरकारी रेवेन्यू था, उसको हमने यों कहा कि इसको हम ईयर-मार्क करते हैं इसके लिये कि इसको हम डेवलपमेंट फंड की शक्ल दें और इस रुपये को डेवलपमेंट के खर्चे के अन्दर लिया जायगा। डेवलपमेंट पर खर्चा कैपीटल से होता है। जितने पावर हाउस बनते हैं, जितने काम होते हैं वह कर्जे के रुपये से होते हैं रेवेन्यू के रुपये से नहीं होते हैं। रेवेन्यू के रुपये से बहुत कम काम होते हैं। इसकी मैं तफसील करना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगेगा तो इस डेवलपमेंट फंड का इससे कोई वास्ता नहीं है।

अब रही यह बात कि बिहार से रुपया मांगें और विन्ध्य प्रदेश से रुपया मांगें एक पुरानी तवारीख की याद दिलाना है और कम से कम बावजूद इसके मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता कि जो मेरे दोस्त मेम्बर साहबान यहां बैठे हैं। वह यह तो समझते ही होंगे कि इतना तो कभी मेरी अक्ल में भी आया होगा कि बिहार को इसके जरिये से इरिगेशन की फैसीलिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी और उनके यहां ६ लाख एकड़ जमीन की आबपाशी हो सकेगी। लिहाजा मुझे कोशिश करनी चाहिये कि बिहार इसमें कुछ हिस्सा ले, तो मैं अर्ज करता हूं कि वह कोशिश मैंने की मगर वह कामयाब नहीं हुई। विन्ध्य प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, उसको पानी मिलने वाला नहीं है। विन्ध्य प्रदेश को तो फायदा सिर्फ इतना ही है कि वह उस जगह से बहुत करीब है जहां यह रिहन्द बांध बन रहा है तो वह उससे बिजली ले सकता है उसके मुताल्लिक हमारी बातचीत इन मामलों में रीवां स्टेट से हुई थी क्योंकि जिस वक्त यह बातचीत हुई उस वक्त विन्ध्य प्रदेश नहीं था बल्कि रीवां स्टेट में यह इलाका था जो अब विन्ध्यप्रदेश में शामिल है। फिर इस प्वाइन्ट आफ व्यू को गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने रखा गया और इस तरफ तवज्जह दिलाई गई कि सिर्फ हमारी स्टेट को ही नहीं बल्कि हमारी

पड़ोसी भी स्टेट्स इससे बहुत फायदा उठाने वाली हैं। लिहाजा इनको भी मुनासिब जगह में लाया जाय और उस वक्त यह कोशिश हुई कि विन्ध्य प्रदेश और बिहार और यू० पी० मिलकर इस डैम को बनायें और जो फायदा हो उसको हासिल करें और इसके ऊपर आपके सेक्रेटेरियट की अलमारियों में फाइल्स मौजूद हैं और ढाई वर्ष तक यह बात गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये से और वास्ते से इन तीनों रियासतों में चलती रही। लेकिन नतीजा इसका जब मैं आया हूं, मेरे सामने आया और वह यह आया कि कोई किसी से मुत्तफिक नहीं है। मैं उसका जरूर कसूरवार हूं कि मैंने यह राय कायम की कि इसकी जिम्मेदारी यू० पी० ले ले अपने इलाके की बेहतरी और उसके मुफाद के वास्ते। चुनान्चे हमने इसकी इंवेस्टीगेशन वगैरा के काम में काफी रुपया खर्च किया।

यह बात भी कही गई कि कोशिश में कोताही रही वर्ना आज से पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया भी रजामन्द हो जाती और यह काम इससे पहले शुरू हो जाता जिन साहब ने यह इरशाद फरमाया उनको शायद सन् और तारीखें ठीक याद नहीं रहीं। यह प्लान जिसमें कि डैम शामिल है सन् ४९ में वजूद भी नहीं रखता था। उस वक्त तो इसने जन्म लिया है। उसके थोड़े दिनों के बाद और जो बातें सन् ४९ में हो चुकीं वह बिलकुल उसके पहले की हैं। तो उस वक्त इसको प्लान में शामिल कराने न कराने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जिस वक्त से प्लान शुरू हुआ उस वक्त से मैं गारंटी हाउस को देता हूं कि मैं अपने रेकार्ड से साबित कर सकता हूं कि मैंने अव्वल दिन से यह कोशिश की कि यह रेहेन्द डैम वहां की प्लान में शामिल हो और वह जब नहीं हुआ तो मैंने मजबूर होकर कुछ और सूरत अख्तियार की कि जिसका नतीजा इस वक्त तक काफी आपके सामने आया। हां, मैं मान सकता हूं कि फिर भी मैंने कसूर किया हो, गलती की हो, उसपर मुझे एतराज नहीं। लेकिन हकीकत को हकीकत की निगाह से देखना चाहिये। लिहाजा हकीकत इसके मुताल्लिक यह है।

एक मेरे दोस्त ने इरशाद फरमाया कि इस बोर्ड को बजाय जो इसके लिये बनाया गया है रेहंड डैम के लिये, वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाना चाहिये था जिसका प्रावीजन गवर्नमेंट आफ इंडिया के सन् १९४८ के ऐक्ट में है। यह ऐक्ट मौजूद है। अव्वल तो बाम्बे ने वह नहीं बनाया, मद्रास ने वह नहीं बनाया, बंगाल ने वह नहीं बनाया, यू० पी० ने वह नहीं बनाया और उसके मुताल्लिक खतो-किताबत और गुफ्तगू के सिलसिले में जो कुछ चल रही है वह इससे पहले उन्हीं साहब के एतराज के ऊपर इस एवान में बयान की जा चुकी है, अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं। लेकिन बावजूद उसके बनने के भी वह इसको पढ़ेंगे कि वह बिलकुल दूसरी चीज है। वह बोर्ड और किसी एक खास मकसद के लिये जैसा कि रिहन्दडैम है उसके लिये बोर्ड का बनना दूसरी चीज है और उसका इससे कोई खास संबंध नहीं है। उसका संबंध अगर हो सकता है तो इतना ही हो सकता है जैसे कि मैं मिनिस्टर हूं और चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं। मैंने बतलाया कि वह बना है और वह यह बना है कि जिसके जिम्मे हमने जिम्मेदारी यह सौंपी है इस बात कि इस रिहन्द डैम को ऐक्ट के अन्दर बना दिया जाय और उसके लिये जो कुछ करना हो वह किया जाय।

अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

मैं जरा सा यह साफ कर देना चाहता हूं कि कल एक निर्णय मैंने दिया था कि इधर कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों और उनके बोलने के ऊपर भ्रम किसी मेम्बर को उत्पन्न हो जाय तो वह भाषण समाप्त हो जाने के बाद आन प्वाइन्ट आफ इन्फारमेशन पूंछ सकते हैं, मगर यह तरीका गलत है कि कोई मेम्बर भाषण दे रहे हैं, उसके बीच में दूसरे मेम्बर उसको डिस्टर्ब करें, क्योंकि इससे ख़यालात गड़बड़ा जाते हैं। इसलिये मैं एक्सप्रेस कर देना चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं तो कोई सदस्य उनको डिस्टर्ब न करें। उनके भाषण समाप्त हो जाने के बाद, अगर कुछ जानना चाहते हों या इन्फारमेशन लेना चाहते हों तो ले सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार जो शार्ट इंटरप्शंस अलाउड हैं, क्या आप उसको भी बैन कर रहे हैं ?

अधिष्ठाता---मैंने एक निर्णय कर दिया था और उसको मैंने साफ किया है, और यही प्रैक्टिस इस हाउस की रही है, जहां तक मैं जानता हूं इसके खिलाफ मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी कोई बात मैंने नहीं पढ़ी है।

†श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, अनुदान संख्या ४६ के संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी और अन्य अन्य सदस्यों के वक्तव्यों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उनमें से बहुत से मेम्बरों ने जो सुझाव दिये उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं। माननीय बलवन्त सिंह ने तो मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विचारों का करीब-करीब समर्थन सा किया। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने बड़ी कृपापूर्वक कुछ हमारी गलतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि गंगा ग्रिड के बारे में जो विचार मैंने प्रस्तुत किये थे उनमें कुछ अतिशयोक्ति है। पहली बात तो यह है कि परिपूर्णानन्द जी ने अपने उत्तर में यह नहीं कहा कि जो मैंने आंकड़े दिये थे वे गलत हैं उन्होंने उनका सही होना स्वीकार किया। उन्होंने केवल यह कहा कि स्टैंड बाई २९ परसेंट गंगा ग्रिड में रूल्स के अनुसार नियत किया। अगर २९ परसेंट को ही मान लिया जाय, माननीय परिपूर्णानन्द जी की ही बात को सही मान लिया जाय तो फिर भी ७१ पर सेंट जो इन्स्टाल कैपेसिटी है उसको ७१ परसेंट वर्किंग यूनिट के रूप में बिजली पैदा होनी चाहिये। तो अगर स्वयं माननीय परिपूर्णानन्द जी की रिपोर्ट को ही सही मान लिया जाय तो उससे स्पष्ट होता है कि हमारे जितने बिजली के पावर हाउस हैं जितनी उनकी इन्स्टाल कैपेसिटी होनी चाहिये वर्किंग यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिये उतनी आज नहीं हो रही है। कानपुर के बारे में परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि कानपुर में आज सारे भारतवर्ष से सस्ती बिजली है। बम्बई और कलकत्ता को छोड़कर। इसका अर्थ यह है कि कानपुर में आज यू० पी० में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। फिर अगर कानपुर में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है तो जैसा माननीय अवस्थी जी ने कहा कि कानपुर में कंज्यूमर्स की संख्या घट रही है तो जो आज बिजली चाहते हैं, उनकी संख्या कानपर में घट क्यों रही है अगर वहां सबसे सस्ती बिजली है। अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी यह कहते कि जैसा अवस्थी जी ने कहा कि कंज्यूमर्स की संख्या कानपुर में घट रही है, यह गलत है, तब तो मैं कहता कि अवस्थी जी की बात गलत होगी, लेकिन एक तरफ तो माननीय परिपूर्णानन्द जी माननीय अवस्थी जी की बात को मानते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। मैं तो यही निवेदन कर सकता हूं कि यू० पी० में अगर सबसे सस्ती बिजली कानपुर में है तो और जगह भी ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की ? मार्टिन एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को नेशनलाइज क्यों नहीं करते और पावर हाउसेज को भी केसा की तरह क्यों नहीं चलाते ? लेकिन मार्टिन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को खत्म नहीं करेंगे, एलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है उसको बढ़ाने की ओर आपका रुख है और दूसरी तरफ मार्टिन एलेक्ट्रिक सप्लाई को १३ लाख रुपया लोंस के तौर पर देंगे ट्रांसमीशन लाइंस के लिये, तो ऐसे किस तरह सस्ती बिजली प्राप्त हो सकती है।

साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने स्पेशल डेवलपमेंट फंड के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा होता ही नहीं कि स्पेशल डेवलपमेंट फंड में कोई रेवेन्यू का रुपया जाय या कोई लोंस का रुपया जाय। मैंने पहले भी उस समय पंचवर्षीय योजना का उद्धरण पढ़ा था। अगर माननीय मंत्री जी ने उस तरफ ध्यान दिया होता तो उनको स्पष्ट हो जाता और फिर बैठकर के दुबारा अपनी फाइलों को देखने की जरूरत उनको न पड़ती। उस उद्धरण को मैं फिर पढ़ देना चाहता हूं। उसमें बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है :---

"In view of these considerations it is suggested that an Irrigation Development (Ways and Means) Fund should be created by each State Government into which a definite sum of money could be paid every year

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

either from general revenues or from loans or savings and to which should be added loans and grants if any, from the Central Government and the proceeds of betterment levy, increase of water rates etc."

तो मैंने उस समय भी पांच वर्षीय योजना के उद्धरण के अनुसार इस बात की चेष्टा की थी कि जितना भी लोंस का रुपया है वह सब इसी डेवलपमेंट फंड में आना चाहिये। तो माननीय मंत्री जी ने उसका केवल एक दूसरा ही अर्थ निकाला। अब यह वही जानें कि उनका अर्थ क्या था। लेकिन मेरा विचार तो स्पष्ट था कि पंचवर्षीय योजना के ही अनुसार इसको होना चाहिये। फिर रिहन्द डैम के बारे में माननीय मंत्री जी ने एक व्याख्या की और उन्होंने बतलाया कि अन्य प्रांतों बिहार और बिन्ध्य प्रदेश की सरकार से इस संबंध में बातचीत हुई। उसमें अधिक देर लग रही थी। इसलिये मैंने अपने पैसे से ही कार्य करना शरू किया। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि हम अपने से ही कार्य शुरू न करें। अगर रिहन्द डैम से बिजली अपने पैसे से ही काम करने से जल्दी मिल सकती है तो हमें अवश्य अपने पैसे से ही कार्य शुरू करना चाहिये। हमें बिहार और बिन्ध्य प्रदेश की सहायता का इन्तजार नहीं करना चाहिये। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम यहां अपने रिहन्द डैम का काम अपने ही से बनाने का शुरू करें वहां दूसरी ओर बिहार और बिन्ध्यप्रदेश की सरकारों से रुपया मंगाने की कोशिश भी जारी न रक्खें। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जहां एक ओर अपने से काम शुरू करें तो दूसरी ओर चूंकि बिहार और बिन्ध्यप्रदेश की सरकार बिजली की जरूर मांग करेंगे इसलिये इस बात का भी आयोजन होना चाहिये कि बिहार का बड़ा प्रांत भी इस बड़े प्रोजेक्ट में अपना पूरा पूरा हिस्सा दें। और माननीय मंत्री जी अभी से इस संबंध में चेष्टा करेंगे तो रिहन्द बांध के बनने में आसानी और जल्दी होगी। हमारी मंशा यह नहीं है कि उसके बनने में देर हो। हम चाहते हैं १९५७ तक यह बांध बन जाय और अधिक से अधिक रुपया इसमें लगाया जाय। तो फिर माननीय मंत्री जी को इसमें शिकायत क्या है?

मैंने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और रिहन्द बोर्ड के बारे में जो कहा था माननीय मंत्री जी ने उसके दूसरे मानी लगाये। मैंने कभी नहीं कहा था कि रिहन्द डैम की जगह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लें। मैंने यह कहा था कि अगर हो सके तो रिहन्द डैम में बिहार और विन्ध्य प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधि भी ले लिये जायं। लेकिन यह मेरा दूसरा प्वाइन्ट था कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना दिया जाय। मैंने स्पष्टरूप से कहा था कि यह मेरा दूसरा प्वाइन्ट है। लेकिन चूंकि मैंने एक प्वाइन्ट के बाद दूसरा प्वाइन्ट कहा इसलिये माननीय मंत्री जी ने उसको गलत समझा। मैं चाहूंगा कि रिहन्द बोर्ड और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक साथ न मिलायें। मेरी बात को समझने की कृपा करें। और इस बात की घोषणा करें कि आज ६ साल से एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनना ओवरड्यू है। उसको बनायें और प्रांत के अन्दर जितनी व्यक्तिगत संस्थाओं के अधीन चलाये जाने वाले पावरहाउस हैं उनका नेशनलाइजेशन करें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा––मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी माननीय नारायण दत्त जी ने जो कहा उस संबंध में पूंछना चाहता हूं। मैंने कहा था कि ५० हजार किलोवाट गंगा ग्रिड की कैपेसिटी में से ४२ हजार ८ सौ, किलोवाट की उत्पत्ति हो रही है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि कितने प्रतिशत उन्होंने अन्दाजा लगाया क्योंकि आपने कहा कि ७१ फीसदी से भी कम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहां से यह आंकड़े लिये हैं पहले वह यह बतला दें। उसके बाद मैं जवाब दूंगा।

अधिष्ठाता––बहस आप लोग फिर कर लीजियेगा।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६-लेखा शीर्षक ८१-क-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) के अन्तर्गत ९,८१,३२,७०० रुपये की मांग स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ३६-लेखा शीर्षक ५५---बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें तथा अनुदान संख्या ४८-लेखा शीर्षक ८३-पेंशनों की सराशि का भुगतान

अधिष्ठाता---माननीय वित्त मंत्री, आप अनुदान संख्या ३६ और अनुदान संख्या ४८ एक साथ ले लें तो ज्यादा अच्छा हो।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६-लेखा शीर्षक ५५-बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,०१,६०,१०० की मांग स्वीकार की जाय।

जनाब, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८-लेखा शीर्षक ८३-पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत २२,७५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह पहला जो मोशन मैंने किया है इसमें वह रुपया मांगा है जो उन लोगों को दिया जायगा कि जो हमारे यहां से पेंशन पाते हैं और दूसरी जो मांग है वह इसलिये है कि लोग पेंशनों के एक टुकड़े को कम्युट करा लेते हैं और एक लम्प रुपया ले लेते हैं, जो रुपया साल भर में इस तरह से जाता है उसीके लिये यह मांग है। इसके अलावा कोई ऐसी बातें तफसील की नहीं हैं जिनके बयान करने में मैं वक्त सर्फ करूं?

मुझे पेंशन्स के मुताल्लिक एक बात बतला देनी है और वह यह कि यह इल्म में आया कि ४,५ साल से पेंशनों के मिलने में बहुत देर होती है। यह मालूम हुआ इसलिये होती है कि जो मुताल्लिका आफिस है जिसके यहां से पेंशन मंजूर होती है और ए० जी० के आफिस में खतोकिताबत होती है और यह होता है कि इनके यहां से ए० जी० के आफिस को इत्तिला गई। फिर वहां से कुछ क्वेरीज आई। कागज फिर आया और फिर कागज गया। इसमें बहुत वक्त सर्फ होता है और यह ज्यादातर इसलिये होता है कि मालूमात मुताल्लिक दफ्तर से ए० जी० के यहां पूरी जायं यह इस पर मुनहसिर करता है कि वे मालूमात एक जगह इकट्ठी हो। सर्विस रिकार्ड को तैयार करने में मुख्तलिफ बातों की जरूरत होती है उस वक्त जिस वक्त कि पेंशन दी जाती है कि कितनी क्वालिफाइंड सर्विस है। वैसे कायदा यह था कि जिसको पेंशन मिलने वाली होती है उसके कागजात ६ महीने पहले से तैयार किये जायं ताकि वक्त पर पेंशन मिल सके लेकिन एक जगह मालूमात इकट्ठी न होने के कारण सूरत यह पैदा हो गई है कि लोगों को पेंशन मिलने में बहुत देर होती है। एक रोज हाउस फीगर्स मांगे गये थे। मैं उस रोज मौजूद नहीं था कि वे कितने केसेज थे। लेकिन यह सब देखकर गवर्नमेंट ने यह तजवीज किया है कि यह दिक्कत दूर की जाय और इस बात के लिये हिदायत दी है कि रेकार्ड के साथ के ही साथ तैयार होता जाय और पेंशन के वक्त फिर उसके देखभाल की जरूरत न पड़े और सब मालूमात एक जगह इकट्ठी हो जायं। क्योंकि यह दफ्तरों में होता नहीं इसलिये गवर्नमेंट ने एक जी० ओ० जारी किया है, जो मेरे पास यहां मौजूद है कि हर दफ्तर को यह चाहिये कि जहां जो जो बात किसी की सर्विस के मुताल्लिक हो वे सब बरवक्त तैयार होती जायं और उसमें देर न हो ताकि इस किस्म की दिक्कत पैदा न हो और पेंशन जल्द से जल्द दी जाने की कोशिश की जाय। इसके साथ ही साथ एक आदमी को भी रक्खा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इस काम के वास्ते कि एक तरफ तो वह यह देखभाल रक्खे कि जो हिदायतें गवर्नमेंट ने इस मामले में दी हैं उन पर दफ्तरों में अमल हो और वक्त के ऊपर सारी कार्यवाही होती रहे। इस बात के लिये देखभाल करे और दूसरी तरफ वह केसेज जो पड़े हुए हैं और जिनकी तादाद करीब १४७८ हैं उनके लिये एक स्पेशल आफिसर दिसम्बर १९५३ ई० में मुकर्रर किया। उसने कितने ही केसेज को तय कर दिया है और जो बाकी हैं उनकी प्रोग्रेस की बाबत मुझे यह उम्मीद है कि वह चन्द महीने के अन्दर वह सब केसेज साफ हो जायेंगे। मगर फिर भी इस बात की देखभाल की जरूरत रहेगी कि जो काम हो वह वक्त पर इस तरीके से होता रहे कि पेंशन मिलने में किसी को दिक्कत न हो? तो एक तरफ तो हमने यह किया।

दूसरी तरफ यह बात की कि अगर किसी पेंशन पाने के मामले में ज्यादा वक्त लगना मुमकिन हो या पेन्शन पाने के वक्त कोई ऐसी बात पैदा हो जाय कि जिसकी वजह से ज्यादा वक्त लगने की उम्मीद हो कोई मालूमात इकट्ठा करनी हों या और वजह से देर लगने का खयाल हो तो उसके लिये यह किया गया है कि जिस वक्त वह आदमी रिटायर हो अगर उसके एक महीने अन्दर वह केस साफ नहीं होता है और उसका मामला तय नहीं होता है तो उसको ऐसी पेंशन दे दी जाय जो असल में तो बाद में तय होगी लेकिन वह प्राविजन पेंशन उसको दे दी जाय जो उसकी तनख्वाह का दो तिहाई तक हो सके। उस वक्त वह पेंशन उसको हर महीना मिलना शुरू हो जायगी ताकि वह किसी चीज से महरूम न रहे। अगर कहीं देर हो जाय तो उसमें ऐसा किया जा सकता है। यह कार्यवाही इसलिये की गयी कि पेंशन के मिलने में देरी की बहुत ज्यादा शिकायत थी तो उसके लिये गवर्नमेंट ने ऐसा इन्तजाम किया। और कोई बात इस अनुदान के मुताल्लिक नहीं है जिसको मैं हाउस के सामने अर्ज कर सकूं। अगर कोई बात होगी तो मैं उसका जवाब बाद में दे दूंगा।

†श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या ३६ और ४८ में मैं एक एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, सरकार जहां तक बूढ़े लोगों की मदद करने की बात सोचती है वह बात बहुत अच्छी है और सरकार की हमदर्दी बूढ़े लोगों के साथ होनी चाहिये। मैं इसमें उनके साथ हूं। यों तो मैं यह समझता हूं कि यह सरकार थोड़ी उमर में काफी बूढ़ी हो चुकी है इसलिये अपने ही जैसे लोगों के साथ दोस्ती होना और उनके साथ अच्छे ताल्लुक रखना यह स्वाभाविक है। मैं सरकार से केवल इतनी बात कह सकता हूं कि यह रकम जो दी जा रही है इसमें सरकार को इस बात को मंजूर करने में दिक्कत नहीं होगी कि यह स्टेट की सर्विसेज के नाम पर दी जाती है और उन लोगों को दी जाती है कि जो लोग जनता की सेवा करते करते थक जाते हैं और आगे के लिये अपने बच्चों और अपने घरवालों के लिये और उनकी परवरिश के लिये कुछ ऐसी चीज नहीं रह जाती है कि जिससे वह अपने को निबाह सकें इसलिये यह रकम दी जाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की खिदमत में यह बात कहना चाहता हूं कि आज सारा मुल्क मुल्क की खिदमत में है। वही आदमी मुल्क की खिदमत से बाहर कहा जाता है कि जो पंचमांगी है लेकिन अगर हमारे मुल्क में कोई पंचमांगी नहीं है तो मैं समझता हूं कि सभी लोग मुल्क की खिदमत में लगे हुये हैं और अगर सभी लोग मुल्क की खिदमत में लगे हुये हैं तो मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह रकम जो दी जा रही है बहुत थोड़े लोगों को दी जाती है और उसका बटवारा भी बहुत गलत तरीके से हो रहा है। जिस आदमी ने अपनी जिन्दगी में तनख्वाह के रूप में अच्छी रकम

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

इकट्ठा की हो उसी आदमी को फिर पेंशन के रूप में वह रकम मिलती है लेकिन जिन लोगों ने बहुत छोटी रकम जिन्दगी में तनख्वाह के रूप में हासिल किया है उनको बहुत छोटी रकम पेंशन के रूप में मिलती है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है या जो अनकन्फर्म्ड लोग होते हैं उनकी पेंन्शनों के लिये कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिनकी नौकरी पक्की नहीं है उनकी एक बड़ी भारी फौज उनके पीछे है। इनकी नौकरी ३१ मार्च को खत्म हो जाती है और पहली अप्रैल को सरकार उनको फिर से रख लेती है। इन लोगों को पेंशन नहीं मिलती और यह तादाद पहले से बढ़ी है।

कंट्रीब्यूटरी फंड में भी कमी हुई है। यह रकम छोटी तनख्वाह पाने वालों को दी जाती है, लेकिन वह रकम पहले से कम हो गयी है लेकिन पेंशन की रकम जो कि १९५२-५३ से १,५१ लाख कुछ हजार थी वह आज १ करोड़ ५५ लाख हो गयी है और यह रकम १९४९ में १ करोड़ १८ या २० लाख के ही करीब थी। मेरे पास इस समय कोई कागज तो नहीं है लेकिन मैं अनुमान लगाता हूं कि यह रकम बढ़ी हुई तनख्वाह वालों को पेंशनों की वजह से ही ज्यादा हो गयी है। लेकिन जो छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं उन लोगों के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया जाता है। मैंने उनसे यह दरख्वास्त की कि पेंशन क्यों दी जाती है, उसके बारे में मैंने यह निवेदन किया पेंशन स्टेट सर्विस के नाम पर दी जाती है और जिस स्टेट सर्विस को माननीय वित्त मंत्री जी पेंशन देते हैं उन लोगों के बारे में अगर माननीय मंत्री जी वोट लें तो सदन उनके विचारों के साथ न होगा। जिस स्टेट सर्विस को रिकगनाइज करके पेंशनें दी जाती हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस मुल्क की खिदमत नहीं की है बल्कि इस मुल्क की खिदमत के नाम पर और कुछ किया है। १९४९ के पहले पब्लिक सर्वेन्ट की जो डेफोनीशन थी वह १९४९ के बाद कुछ और है। इसलिये उस पब्लिक सर्वेन्ट को, जिसने मुल्क की खिदमत के नाम पर मुल्क की गाढ़े पसीने की कमाई को बुरी तरह से उड़ाया है, आज भी उसके बच्चों के लिये बैंक में रुपया जमा है और इस तरह का प्रबन्ध कर रक्खा है कि उसके बच्चों का पालन-पोषण और उनकी पढ़ाई आसानी से हो सकती है तथा वह भी खुद आराम कर सकता है, आज आप पेंशन देते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गाढ़ी कमाई की रकम है और इस रकम को मुल्क के उन लोगों को देना चाहिये जो वाकई मुल्क की खिदमत कर चुके हैं और जिनके पास जीने के साधन भी मुहैया नहीं हैं, उनके बच्चों की तालीम का प्रबन्ध होना चाहिये, उनको मुल्क की तरफ से मदद होनी चाहिये। मैं इस तरफ एक मर्तबा निगाह डालने के लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि नेशनल आन्दोलन के सिलसिले में कौन मरा है। मैं देखता हूं कि उसके बारे में आज भी लोगों में असन्तोष है।

अधिष्ठाता—मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूंछना चाहता हूं कि क्या इन पोलीटिकल सफरर्स की पेंशनें भी शामिल हैं?

श्री गेंदासिंह—मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहता लेकिन मैं वित्त मंत्री जी की निगाह डालने के लिये कहता हूं। आप चाहे जो भी कहें लेकिन लोगों को इसकी शिकायत है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार ने लोगों की खिदमत के नाम पर अपनी सरकार बनायी है तो उसको उनके बाल बच्चों का भी खयाल करना होगा। उसको देखना होगा कि वे मर गये हैं या कैसे जिन्दा हैं। लेकिन सरकार उनके नाम पर तो हाथ पसारना भी नहीं चाहती। तो सरकार का फर्ज होता है कि उनकी भी परवाह करे। उनके बच्चों को भी आज रोजी दिलवाये। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह कर यह भी

दरख्वास्त करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी से कि यह डिस्पैरिटी पेंशनों में क्यों है। तनख्वाहों में तो है ही। और मैं समझता हूं कि जबतक तनख्वाहों में डिस्पैरिटी खत्म नहीं होती तब तक पेंशनों में भी डिस्पैरिटी खत्म नहीं होगी। लेकिन कम से कम आपको तो यह मानना चाहिये कि हम जो पेन्शन देते हैं वह गुजारे के लिये देते हैं तो गुजारे को ही ध्यान में रख कर यह डिस्पैरिटी खत्म होनी चाहिये। यह देखा जाय कि उसने ज्यादा बच्चे पैदा किये तो शायद मुल्क की उसने ज्यादा खिदमत की तभी तो ज्यादा बच्चे पैदा किये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि डिस्पैरिटी इस माने में हो जायेगी कि उसने अधिक बच्चे पैदा किये इसलिये उसको अधिक दिया जाय और जिसने कम पैदा किये उसको कम दिया जाय। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि फेमिली प्लानिंग और दूसरी अनुदान की बहस में काफी कहा जा चुका है। अब मुल्क में ज्यादा बच्चे पैदा न किये जायं इसको तो वित्त मंत्री जी भी मानते हैं। यह डिस्पैरिटी में समझता हूं उस माने में नहीं होनी चाहिए।

ओल्ड एज पेंशन का जहां तक सवाल है तो देश में आज इतनी गरीबी है कि जवानी बुढ़ापे की तरफ दिखाई देती है। वित्त मंत्री जी स्वतः बूढ़े हैं। मैं उनसे बूढ़ा कहने को माफी चाहता हूं। तो हमारे माननीय वित्त मंत्री स्वतः वृद्ध हैं इसलिये उनकी हमदर्दी बूढ़ों के साथ होगी। मैं किसी भी नाम पर जरूर चाहूंगा कि प्रदेश के जितने बूढ़े हैं उनकी तरफ माननीय वित्त मंत्री को निगाह जानी चाहिए। अगर माननीय वित्त मंत्री उनके बाल बच्चों को काम दिला सकें तो यह भी अच्छा है क्योंकि मुल्क में आज इतनी बेकारी है कि उसका पहले बन्दोबस्त होना चाहिये। अगर इसके पहले बन्दोबस्त हो जाय तभी पेंशन देने की बात होनी चाहिए।

एक बात की तरफ जरूर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा। पिछले बजट में यह दिखाया गया था कि इंगलैण्ड में क्या व्यय होगा लेकिन वह इस बजट में अब हाई कमिश्नर के नाम पर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि हाई कमिश्नर यह खर्च करेंगे। वित्त मंत्री जी यह बतला दें कि वे कहां पर खर्च करेंगे। वही रकम जो पिछले साल इंगलैण्ड में व्यय के नाम पर रखी गयी थी वह इस साल हाई कमिश्नर के नाम पर लिखी गयी है। वैसे आप इस तरह से इंगलैण्ड को पैसा देने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी भी दिल से यह चाहते हैं कि यह रुपया न दिया जाय। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है वह मैं भी समझता हूं। उन लोगों ने जिस तरह से हमारे देश की खिदमत की है उस खिदमत के नाम पर आप उन्हें पैसा देते हैं तो यहां के लोग इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से आदमी को खिदमत करने पर सरकार पेंशन देती है। यह बड़ी खराब बात है कि ऐसा आदर्श बुढ़ापे में पेंशन पाने का लोगों के सामने उपस्थित होता है। आदर्श हमारे सामने यह उपस्थित होना चाहिये कि आज जब हम काम करने के लायक हैं तब हमें इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत से जनता की खिदमत करनी है जिससे बुढ़ापे की उम्र में हमारे बच्चों को हमारे गुजारे के लिये देश हमें कुछ दे सके। मैं तो समझता हूं कि हमारी सरकार ऐसे लोगों को जो सरकार की सर्विसेज में रहते हुये जनता की खिदमत करने में कोताही कर चुके हैं या जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं उनको ऐसी पेंशनें नहीं दी जानी चाहिये। क्या इस वक्त यह बात नहीं देखी जा सकती। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का बंधन रखा जाय तो उससे सरकार के मुलाजिमों में जो इस तरह की अव्यवस्था है और जो आज सरकार की नीति पर चलने में आनाकानी करते हैं वह आनाकानी नहीं करेंगे और जनता जो असली मालिक है उनके साथ अच्छा सलूक करने के लिये तैयार होंगे।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात कही कि यह सरकार बुड्ढी हो गई है और इसलिये यह कुछ समझ बूझ कर काम नहीं करती। मैं उनका ध्यान अभी हाल के एक वाकये की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सही यह सरकार बुड्ढी है लेकिन अब भी यह जवानों का हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाती है। बहुत दूर जाने की बात नहीं है। अभी भी ट्रावन्कोर में जो हो रहा है वह क्या है। वहां जो अपने को जवान कहते हैं वह बुड्ढों के ही सहारे पर चल रहे ह। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कामों से ही पता चलता है कि कौन बुड्ढा है और कौन जवान है। अगर किसी गवर्नमेंट का काम तेज है, तीव्र है तो उसको बुड्ढा नहीं कहा जा सकता सिर्फ इसलिये कि वह कई सालों से शासन कर रही किसी सरकार को बुड्ढा नहीं कहा जा सकता है। इसको देखते हुये उनका यह इल्जाम गलत है कि यह सरकार बुड्ढी है। जितने काम इस सरकार के हैं, क्या बिजली के, क्या फाईव ईयर प्लान के क्या और प्रकार के, माननीय सदस्य क्रिटिसाइज करें लेकिन उनको देख कर भी आप इतनी तेज चलने वाली सरकार को आपने बुड्ढा कह दिया तो फिर नवजवान कौन होगा। यह तो रहा बुड्ढा होने की बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि सब को ओल्ड एज पेंशन होनी चाहिये, पोलिटिकल सफरर्स को भी पेंशन मिलनी चाहिये। इससे किसी को मतभेद नहीं होगा और न माननीय मंत्री जी को होगा लेकिन यह भी देखना होगा कि यह चीज प्रैक्टिकल भी है या नहीं। हमारा बजट कोई कारूं का खजाना तो नहीं है कि दुनिया को लुटाते फिरें। हमारे पास सीमित रकम है और उसी सीमित धन में से सारे लोगों के डिमान्ड्स पूरे करने हैं। उसको देख कर ही अपने सीमित धन को देख कर हमको करना होगा। यदि माननीय गेंदा सिंह जी ही मिनिस्टर होते तो कैसे वह कर देते। सब को तो सैटिसफाई कर नहीं सकते और इसीलिये यह बात मानते हुये भी कि यह जरूरी है होना चाहिये लेकिन फिर भी रुपये की कमी की वजह से ऐसा किया नहीं जा सकता।

हां, एक बात जरूर है और वह सही है कि जब अंग्रेज यहां पर थे तब उसने यह पेंशन इस वजह से यहां रखी थी जिससे लोग आकर सर्विसेज को ज्वाइन करें। एक अट्रेक्शन हो इसलिये उन्होंने पेंशनें दीं। उनका यह ध्येय नहीं था कि ये सेवा कर रहे हैं इसलिये उनको पेंशनें दी जायं बल्कि इसलिये कि लोग सर्विसेज में आवें एक बड़ा भारी अट्रेक्शन दे दिया लेकिन आज हमें इस तरीके को बदलना है। हमें इस भावना को नहीं रखना है कि हमें ऐट्रेक्शन देना है कि लोग आकर सर्विसेज को ज्वाइन करें बल्कि इस भावना से पेंशन देना है कि उसने जनता की सेवा की है। यह वाक़ई सही है यही हमारा ध्येय होना चाहिये। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो सकती है कि इसको कैसे निश्चय किया जाय कि किसने सर्विस की और किसने डिस सर्विस की। इसके लिये एक तरीका है उसको कहा जा रहा है और उसका प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और इसके लिये हमें जरूर सोचना पड़ेगा और किसी न किसी दिन उस तरीके को अवश्य लाना पड़ेगा। जब हम अपने देश के मारल स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं कर सकते, जब हम अपने अफसरों को करप्शन से नहीं बचा सकते तब तो सिर्फ एक ही इलाज रह जाता है और वह इलाज यह है कि जिस वक्त किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को नौकरी दी जाय उस वक्त उसके लिये यह लाजिमी हो जाता है कि आप देखें कि इसके पास कितनी जायदाद है, कितना रुपया है, कितनी प्रापर्टी है। इसके पश्चात् जिस वक्त वह रिटायर हो उस वक्त फिर यह अन्दाजा लगाना पड़ेगा कि अब इसके पास कितनी जायदाद है, कितना रुपया है और कितनी प्रापर्टी है जो उसने अब तक पैदा की। अब उसकी जायदाद और उसके रुपये को देखते हुये और उसका हिसाब लगाते हुये अगर हम इस निर्णय पर आते हैं कि इसने कहीं ज्यादा रुपया कमा लिया है, बड़ी जायदाद खरीद ली है, तो मैं रेसपेक्टफुली इस बात को सबमिट करूंगा कि आप ऐसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट को पेंशन हर्गिज न दें क्योंकि उसने

पब्लिक की सेवा नहीं की है बल्कि उसने रिश्वत ली है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से ईमानदार गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स भी होंगे जिनका हमें बड़ी आसानी से अन्दाजा लग जायगा यह देखने से कि इसने कितना रुपया जमा किया है और कितनी जायदाद खरीदी है, ऐसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये हम जरूर पेंशनों का प्रबन्ध करें। हर एक के लिये पेंशन का प्रबन्ध करना उचित नहीं है। यही एक तरीका ऐसा है यह निश्चय करने का कि कौन सा गवर्नमेंट सर्वेन्ट कैसा है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसलिये पहली बात तो यह है जिसकी ओर मैं खास तरीके से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को पेन्शन देनी है। और कितने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को पेन्शन नहीं देनी है, इस बात को समझने की बड़ी जरूरत है।

इसके अलावा एक बात और है जिसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बड़ी व्यापक है। वह यह कि कुछ लोग जो पेन्शन पाते हैं वह पेन्शन के ओवर ऐन्डएबव कुछ और पा जाते हैं। जैसे एक जज जब पेन्शन पर जाता है तो उसे किसी इन्क्वायरी कमेटी का मेम्बर बना दिया जाता है। यह चीज बड़ी गलत है। इस चीज को खत्म कर देना चाहिये। इससे जुडिशयरी की जो इंडिपेंडेंस है वह खतरे में पड़ जाती है। इससे जज सोचने लगते हैं और इस बात की कोशिश करने लगते हैं कि जब उनको पेन्शन मिले उस वक्त वह किसी कमेटी के मेम्बर बना दिये जांय ताकि उनको पेन्शन के अलावा कुछ और मिल जाय जिससे कि उनका खर्चा अच्छी तरह से चले। इस तरह से वह इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं। इसलिये इस चीज का जबाब इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस नयी डेमोक्रेसी के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसे खत्म किया जाय ताकि जुडिशियरी बिलकुल स्वतन्त्र हो सके और तभी इस मुल्क में डेमोक्रेसी फैल सकती है नहीं तो यह मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ जायगा।

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान उन पेन्शन पाने वालों की दिक्कतों की तरफ ले जाना है जिनका खासकर टेहरी गढ़वाल से सम्बन्ध है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस जिले के जितने पेंशन पाने वाले हैं उन लोगों को डियरनेस एलाउन्स नहीं दिया जाता है। यह न्याय संगत बात नहीं है कि जब प्रत्येक जिले के सभी पेंशन पाने वालों को डियरनेस मिलता है तो क्या वजह है कि टेहरी गढ़वाल जिले के जो पेंशन पाने वाले हैं उनको डियरनेस एलाउंस न दिया जाय। जब रियासतें विलीन हो चुकी हैं। तो कम से कम यूनिफार्मिटी लाने के लिये और न्याय के नाते यह आवश्यक हो जाता है कि उन कर्मचारियों को, जिनको अब पेंशन मिलती है, दूसरे कर्मचारियों के साथ साथ डियरनेस एलाउंस दिया जाना चाहिये।

दूसरी दिक्कत मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो वहां मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गये थे, डिस्बैन हो गये थे, उनमें विशेष कर नान आई० एस० एफ० पर्सनल की पेंशन का मामला पांच छै साल हो गया लेकिन अब भी खटाई में पड़ा हुआ है। जिन सैनिकों का सम्बन्ध सेंटर से था उनके पेंशन क्लेम्स तो तय हो गये हैं और पेंशन मिल गई है। लेकिन नान आई० एस० एफ० पर्सनल, जिनका सम्बन्ध इस सरकार से है, उनके पेंशन क्लेम्स अभी तक तय नहीं हुये हैं, उन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं दी गयी है। बड़े ताज्जुब की बात है कि वे कर्मचारी, जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, उनकी पेंशन का मामला इतने अर्से तक खटाई में पड़ा रहे और यह सरकार तय न कर पाये, इससे ज्यादा और शर्म की बात इस सरकार के लिये क्या हो सकती है।

इसके साथ ही मैं यह और निवेदन कर देना चाहता हूं कि पेंशन के पेमेंट का जो तरीका है उसमें पेंशन पाने वालों को जितनी पेंशन मिलती है, उतना ही खर्च करके

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

उनको पेंशन लेने के लिये खजानों पर आना पड़ता है, तब जा करके उनको पेंशन मिलती है। नतीजा यह होता है कि जितनी पेंशन उनको मिलती है उससे ज्यादा या उसके मुकाबिले में उतना ही खर्च करने पर वह पेंशन पा सकते हैं। इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि पेंशन देने के नियमों में कुछ संशोधन कर दिया जाय ताकि पटवारी की मार्फत या तहसील के किसी कर्मचारी की मार्फत उन लोगों को पेंशन वहीं पहुंचा दी जाय। ऐसी पेंशन देने से क्या फायदा है कि जितनी पेंशन उनको मिलती है उससे ज्यादा उसके पाने में उनका खर्च हो जाय। तो ऐसी कुछ त्रुटियां हैं जिनके कारण जो पेंशन सरकार देती है उससे उन पेंशन पाने वालों को ज्यादा लाभ नहीं होता है। ऐसी दशा में नियमों में परिवर्तन करके या अपने कर्मचारियों द्वारा वितरण के तरीकों में संशोधन करके, उन लोगों को राहत दी जाय, मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—— माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि ओल्ड एज पेंशन उन लोगों के लिये सरकार ने रखा है जिन लोगों ने सरकार की सेवा की है। चाहे वह ब्रिटिश रेजीम में काम किये हों, चाहे वह कांग्रेस रेजीम में काम किये हों, उन्होंने देश की सेवा की है और यह हमारी मारेलिटी का एक नमूना है, हमारे देश का एक आदर्श है कि हमने यह रखा है कि उनको पेंशन दी जाय जिन्होंने देश की सेवा की है। यह सरकार का काम है कि वह देखे कि कौन आदमी करप्ट है, कौन बेईमान है, कौन कैसा है। हमारे पास इसका कोई आला नहीं है। सरकार देखती रहती है कि और बहुत से लोग बरखास्त होते रहते हैं, बहुत से लोग मुअत्तल होते रहते हैं, और बहुत से केसेज हमारे सामने हैं।

मैं गवर्नमेंट से एक बात यह कहना चाहता हूं कि जिनको पेंशन नहीं मिली है उनको जल्द से जल्द पेंशन दी जाय। कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम कर रहे थे, वह रिटायर हो गये हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे जिले का एक ऐसा ही वाक़या है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे। वह लोग आज खाने के बग़ैर मोहताज हैं, आज वह बेकारों से बदतर हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द पेंशन दी जाय।

अगर पेंशन के सिलसिले में सुधार करना है तो जिन नौजवानों को सरकार नौकरी में रख रही है, उनके प्रोविडेंट फंड का इन्तजाम कर दिया जाय। एक आना गवर्नमेंट दे और एक आना उनकी तनख्वाह से काटे। उनको पेंशन से ज्यादा इंकम हो जायगी। अगर नौरंगलाल जी की राय है कि पेंशन बंद कर दी जाय तो उनको कुछ लम्प सम मिलना चाहिये ताकि वह बुढ़ापे में आसानी से अपना जीवन काट सकें श्री गेंदासिंह जी ने कहा कि वह कम लड़के पैदा करें तो कम और ज्यादा का कोई सवाल नहीं है और अगर अच्छा लड़का होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता है। जिन्होंने सरकार की सेवा की है उनको हक है कि उनको पेंशन दी जाय और यह मुनासिब भी है। अब तक जो फारेनर्स रहे हैं, वह बिटिशर्स हैं, उनके यहां भी समाजवादी का नारा है। जिन्होंने सर्व किया है वह वहां पर मजदूर तबका ही समझा जाता है। वह लार्ड्स नहीं समझे जाते हैं। आज समाजवादी लोग कह रहे हैं कि उनकी पेंशन बन्द कर दी जाय। आपके द्वारा तो नेशनेलिज्म और सोशेलिज्म की आदर्शवादिता की बात होनी चाहिये।

चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं वह सब सम्मानित हैं। इसलिये उनको ऐसी चीज कहनी चाहिये जिससे

उनका सम्मान बना रहे। देश-देशान्तर में हमारे पत्रकार नाम भेजते हैं इसलिये कोई ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिये जो हमारे स्तर से कम हो यानी बिलो स्टैन्डर्ड हो। हमें अपने देश की और गवर्नमेंट की मर्यादा को कायम रखना चाहिये।

जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रखे जा रहे हैं वह बहुत ही कम वेतन पर रखे जा रहे हैं। इससे भी भ्रष्टाचार फैलता है। बी० ए० एल-एल० बी० को आप आज २५० रुपये पर रख रहे हैं। यह भी करप्शन का जरिया है। उनको अच्छा वेतन दिया जाय जिससे वह पेंशन के वक्त तक कुछ रख लें और बुढ़ापे में उनको तकलीफ न हो और दयानतदारी से वह अपना काम करें। जिनको पेंशन मिलना है उनको पेंशन दी जाय। इसमें देर नहीं होनी चाहिये।

जिन लोगों को पेंशन लेने आना पड़ता है उनको बहुत तकलीफ होती है उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनको दिखाई तक नहीं देता है और वह लाठी टेक कर आते हैं। इसलिये सरकार अगर पेंशन की रकम को मनीआर्डर से भेज दिया करे तो बड़ा ही सुन्दर हो। गांव का मुखिया या सरपंच उसकी तसदीक कर दे। सरकार ने पंचायतों को पावर्स दे रखी हैं और एक तरह से यह भी छोटी सरकार हैं इसलिये इन लोगों को सरपंच की तसदीक पर पेंशन का रुपया मिल जाना चाहिये इससे उनको बुढ़ापे में जाने आने की तकलीफ से निजात मिल जायगी और खर्चा भी बरदाश्त नहीं करना पड़ेगा और वह लोग सरकार को भी दुआ देंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान भवन के सामने प्रस्तुत है मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की, कि इसमें कुछ जगहों को पेंशनेबिल बनाया जा रहा है और कुछ मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिये रकम रखी गई है। इसके लिये सरकार और विशेषकर मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। अभी हमारे साथी श्री नौरंगलाल जी ने सुझाव दिया था कि जितने आदमी गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं उन सबके काम का एक लेखा रखा जाय। जब उनके पेंशन पाने का वक्त आये तो उस समय यह निश्चित किया जाय कि उनको पेंशन मिलनी चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं कि हर एक आदमी जो गवर्नमेंट सर्विस में आता है वह इस बात का मुस्तहक है और अधिकारी है कि वह पेन्शन पाये। हां, एक बात जरूरी है अगर उसका काम अच्छा नहीं रहा है, वह भ्रष्टाचारी रहा है, या उसने रिश्वत ली है या और कोई उसके विरुद्ध गम्भीर आरोप है, तब उसके नियम बने हुये हैं कि उसको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो नियम बनाने के लिये माननीय नौरंगलाल जी ने सुझाव दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो इसके मानें यह होंगे कि भ्रष्टाचार बजाय रुकने के जिसको हम रोकना चाहते हैं और ज्यादा बढ़ सकता है।

मैं समझता हूं कि हर एक गवर्नमेंट सरवेंट जो गवर्नमेंट सर्विस में आता है वह मुस्तहक है कि वह पेंशन पाये। अगर वह खराब काम करता है तो वह हरगिज पेंशन पाने का मुस्तहक नहीं होगा और न उसको पेंशन मिलनी ही चाहिये। इसके लिये नियम भी मौजूद है।

दूसरी बात यह है कि मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक काम की तरफ और वह यह है कि हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता जिनकी तरफ माननीय गेंदा सिंह जी ने भी इशारा किया है, मैं उसी दिशा में

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमारे ऐसे बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो बुढ़ौती का भत्ता पाने के मुस्तहक हैं। जितने हमारे सरकारी एम्पलाईज हैं जितनी सेवाएं वे करते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, वे तो कुछ न कुछ कमाते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे जनसेवक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में हमारी बहुत बड़ी सहायता की थी और उनकी वजह से देश में आज आजादी प्राप्त हुई है और हम स्वतंत्र हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों की तरफ हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

हम देखते हैं बहुत से आदमी ऐसे हैं जो फाके करते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपना मामूली व्यय भी चला सकें। हमारा कर्तव्य यह है कि जितने हमारे इस किस्म के पुराने योद्धा है, पुराने सेवक हैं, उनकी सूची बनवा लेवें और जितना भी उनके लिये कर सकें वह पेंशन के रूप में अथवा सहायता के रूप में अवश्य करें। यह हमारा कर्तव्य है। हम उन्हें भूल न जायं, यह मेरा अनुरोध माननीय मंत्री जी से है।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- जनाब चेयरमैन साहब, कटमोशन जिन्होंने पेश किया था...

अधिष्ठाता--नजर नहीं आ रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह तशरीफ नहीं रखते हैं। कुछ बातें तो उन्होंने फरमायीं और मैं उनका कुछ जवाब भी देना चाहता था। मैं उनके आ जाने पर पहले उन्हीं बातों को निस्बत अर्ज किये देता हूं। मैं एक सही बात कहता हूं और जवाब की खातिर नहीं कहता कि जो बातें आपने इरशाद फरमायी हैं उनमें से एक बात तो बिल्कुल अलग है कि इंगलैण्ड में लो लोग हैं उनको पेंशन दी जाय या न दी जाय। उससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं, जो मैं अब कह रहा हूं।

बूढ़ों को पेंशन दी जाय। बूढ़ों को कुछ दिया जाय। टेम्पोरेरी सर्विस वालों को पेंशन दी जाय और जिस जिस को फरमायेंगे, तो मैं तो एक आम बात उसके लिए अर्ज करता हूं कि दिक्कतें हैं कि जिनका कि मैं इस वक्त जिक्र नहीं करता। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक करने को बिल्कुल तैयार हूं कि जहां तक कि बूढ़ों को और सिर्फ बूढ़ों को नहीं बल्कि जो लोग किसी और वजह से, बावजूद जवान होने के क्रिपिल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं रोजी के कमाने से, उनको भी शामिल करके मैं यह राय रखता हूं कि अगर हमसे हो सके तो हम उनको दें। गवर्नमेंट दे। बात उसमें सिर्फ एक है और मेरे खयाल में तो यह एक जुज है एक कल्याणकारी राज्य का। अब आज इस स्टेट के ऊपर इतना बोझ खर्चे का, जितना कि डेवलपमेंट चाहे, उस डेवलपमेंट के अलावा जो कुछ जरूरी और मुनासिब हैं, डाला जाय कि न डाला जाय, यह एक सवाल है और जहां तक मैं समझता हूं, अगर वह उसके अलावा कुछ और समझते होंगे तो अपनी तकरीर में इरशाद फरमायेंगे कि रुपये का जरिया इस वक्त मेरे इस खयाल के मातहत जिस खयाल के कि इसके मूवर हैं सिर्फ इतना है कि यह जो पूंजीवादी हैं इनका ले लो। और कुछ नहीं है। उसको मैं डिनाई करता हूं बड़े जोरों के साथ। और कहीं कोई जरिया ऐसा नहीं है जिससे कि इतना रुपया इस स्टेट में पैदा किया जा सकता हो जिससे कि हम एक दो या तीन करोड़ रुपया वसूल करके उस टैक्स के लगने से बच सकें। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाय। जहां तक कि पूंजीवादियों से लेने का ताल्लुक है यह बात अच्छी है कि बुरी है, मेरे खयाल में शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मेरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोस्त के ख्याल में हो। लेकिन बावजूद इसके कि मैं अगर उनसे इत्तफाक करूं, तो पूंजीवादियों से यहां इतना रुपया कोई निकाल करके दिखा दे कि लो इतना रुपया, इससे तुम तमाम स्टेट का डेवलपमेंट भी कर लो और इस किस्म की जितनी बातें हैं उनको भी दूर कर दो, तो भी हम उसको कंसिडर करने के वास्ते तैयार हैं तो इसको संजीदगी से गौर किया जाय और मैं आपके जरिये से हाउस के सामने अर्ज करता हूं सिर्फ अपने दोस्त की इत्तिला के लिए ही नहीं बल्कि जितने साहब यहां तशरीफ रखते हों उनकी सबकी इत्तिला के लिए, और उसके गवाह भी मेरे पास यहीं मौजूद हैं, ये भी खुद उस सजेशन में शामिल हैं और मैं और यह इस बात को सोचते रहे हैं कि हम किस तरह से ऐसा कर सकते हैं। मैं यह इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि कम से कम मेरी तरफ से यह ख्वाहिश रही है जो कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस किस्म के आदमियों के लिए इन्तजाम किया जाय, वह अमली तौर पर मुमकिन कैसे हो। मैं इसके लिए तैयार हूं, मेरे दोस्त अगर किसी चीज को प्रैक्टिकल शेप दे करके मेरे पास लायें और वह बैठ करके उसको समझें कि किस किस जगह हम क्या क्या कर सकते हैं तो हम जरूर उनकी बात मानेंगे। मैं उसको अच्छी चीज समझता हूं इस माने में और उसकी तरफ चलने के वास्ते तो तैयार हूं। इंगलिस्तान में पेंशन के रुपयों के बारे में कुछ कहा गया कि बजट में छपा है, मैंने तो देख लिया, मुझे तो नहीं देखा, लेकिन जहां तक बजट में वह लफ्ज नहीं था तो वह लफ्ज ही सही नहीं था। यहां से तो हर मुल्क को जो कुछ होता है वह उसकी एम्बैसी या जहां से कि उसका ताल्लुक होता है, उसी के जरिये से जाता है।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं। शायद बुरी बात हो। हाउस भी इसको बुरा समझे मगर मेरी तो बात है, मैं तो उसको सच सच कह दूंगा कि मुझे अंग्रेज से नफरत नहीं थी और अब भी कोई नफरत नहीं है। यहां इस मुल्क में वह रहते थे, उसको खिदमत करार दिया जाय या नहीं, यह उनकी पेंशन का बेसिस नहीं है। वह बेसिस तो यह है कि हमने जिस तरीके से जिन हालात में हिन्दुस्तान को आजाद किया और उसकी आजादी हासिल की उसके सिलसिले में हमने अगर किसी से मुआहिदे किये तो आज हम उन मुआहिदों को ठुकरा दें? इंटरनेशनल वर्ल्ड पर उसका क्या असर पड़ेगा। खुद हमारी ईमानदारी को दुनिया क्या समझेगी, यह सोचने की बात है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि मैं ही जो नतीजे निकालता हूं उन्हीं को कोई सही समझे। मैंने एक तरफ तो यह दिखलाया कि यह रायें भी हैं सोचने को। मेम्बर साहबान उसको अपने दिलों में सोच करके खुद नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ऐसा किया जाय या न किया जाय। हां, अगर दूसरे तरीकों से हिन्दुस्तान को आजादी हासिल की होती, कोई और बात होती तो कोई उस किस्म की बात भी शायद हो सकती। एक बात मेरे दोस्त और कह रहे थे। मैं शुबहे की नजर से देख रहा था मैं सही समझ रहा हूं या नहीं। मुझे उसकी बाबत शुबहा है। लेकिन मैं अर्ज कर देता हूं। मैं यह समझा कि यहां पर जो गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं और जिन्होंने १९४२ में बृटिश गवर्नमेंट का साथ दिया है उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं सही समझा तो यही था। मुझे इससे इत्तफाक नहीं है। उन्होंने साथ दिया या नहीं दिया यह तो एक फैक्ट है जिसको मैं न इस वक्त इनकार करता हूं और नामंजूर करता हूं न इसकी जरूरत है, इस असली मसले को हल करने के लिये। हमें यह देखना है कि अगर कोई ऐसे हैं फिलवायक जिसको उस मानी में साथ देना कहा जाय जिस मानी में मेरे दोस्त ने कहा, क्या उनको पेंशन दी जाय या न दी जाय। मैं एक बात कहता हूं जनाब के जरिये से बल्कि मेम्बरान के सामने रखता हूं कि दुनिया का उसूल तो यह है और वह उसूल महज इसलिए नहीं है कि उसको एक उसूल

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मान लिया है बल्कि इसलिए है कि दुनिया का काम उसके बगैर नहीं चल सकता कि सर्विसेज में जो कोई भी हो उसको उस गवर्नमेंट की पैरवी करनी है जो कि बरसरे-इक्तदार है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट है, निहायत बुरी गवर्नमेंट है जिसकी तारीफ ऐसी खूबसूरत अल्फाज में मैंने यहां सुनी उन्हीं अपने दोस्त से, मैं उन लफ्जों को दोहराता नहीं, बड़े खूबसूरत अल्फाज में जोकि किसी बड़े शानदार आदमी की निस्बत दुनिया में इस्तेमाल किये जा सकते हैं, उन अल्फाज से मेरे दोस्तों ने गवर्नमेंट को याद किया। यह गवर्नमेंट अगर उठे और उसके उठने के वक्त मेरे दोस्तों ने इस गवर्नमेंट की जड़ें काटने की कोशिश की हो और यह गवर्नमेंट जो एक गवर्नमेंट बाई ला एस्टैब्लिश्ड है उसको उखाड़ना एक गलत काम है, मुल्क के लिए मुजिर है, उन कार्यवाहियों का मुकाबिला करे और उन सरकारी मुहकमों को मसलन पुलिस को इस्तेमाल करे, इब्राहीम को पकड़ ले और किसी को मैं क्या कहूं। तो उस वक्त जिस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट हट जाय मेरे दोस्तों की कोशिश से और उनकी हुकूमत बन जाय तो उस वक्त फिर यह सवाल पैदा हो जाय कि सन् १९५५ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे और हम तो मुल्क के फायदे के लिए कर रहे थे, वह गवर्नमेंट मुल्क के लिये सख्त मुजिर थी हम उसे हटा रहे थे, इन गद्दारों ने उसका साथ दिया लिहाजा इनको पेंशन मत दो। यह उसूल कहां तक चलेगा यह मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इस उसूल को इसलिये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अंग्रेज का जिसने साथ दिया था उसको आप पेंशन मत दो। एक तरफ से मैं उनको सुनता था बात जुडीशल अफसरों की बाबत कुछ कहा जा रहा था कि उनके रिटायर होने के बाद जाब्ता न दिये जायं, अगर मैं सही समझा। यह बात तो कुछ हमारे यहां लागू नहीं होती है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—सुनाई नहीं दे रहा है जो आप कह रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इसलिये राय नहीं देता कि फिजा में एक बात ऐसी आ चुकी है कि उस पर मैं यहां एक मिनिस्टर की हैसियत से बात करते हुए इस हाउस में कोई बात कहूं तो वह मुनासिब नहीं है। वैसे मैं अपनी राय रखता हूं और बहैसियत एक आदमी के इस हाउस के बाहर बता भी सकता हूं लेकिन हाउस में नहीं बतला सकता। और जो बातें सुनीं उनके लिये वक्त नहीं है कुछ अर्ज करने के वास्ते, लिहाजा इस गुजारिश के साथ माफी चाहता हूं और अपने दोस्त से फिर अर्ज करता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने अपने इस कटमोशन को पेश किया है अगर वह मेरे साथ जायं, और मुझको इस मामले में साथ ले चलने को तैयार हैं तो मैं चलने को तैयार हूं वर्ना मैं उनके इस नुमायशी कटमोशन को मंजूर करने के वास्ते तैयार नहीं हूं।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी एक मजबूरी जरूर है।

अधिष्ठाता—मेरी भी मजबूरी है कि जरा समय कम है।

श्री गेंदासिंह—मैं बहुत जल्दी करूंगा। इसलिये भी थोड़ी जल्दी हो जायगी कि वित्त मंत्री की बात मैं सुन नहीं सका। जो उत्तर मैं दूंगा बहुत मेहनत करने के बाद जो सुन सका हूं उसी का उत्तर दे पाऊंगा। एक बात मैंने पहले कही थी और उसे फिर उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि यह पेंशन देने का तरीका जो है वह किसी उसूल पर है और उस उसूल को मानने के लिये सरकार को मजबूर होना चाहिये। वह उसूल यह है कि मुल्क की खिदमत जो करे वह जिस वक्त बेकार हो तो फिर उसकी मदद मुल्क की सरकार करे। बहुत मोटे तौर पर मैं ऐसा समझता हूं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम––मैंने एक बात कही थी कि मैं आपके साथ इस मसले पर पूरी गुफ्तगू करने को और आपस में समझौता करने के लिये तैयार हूं।

श्री गेंदा सिंह––माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वह हमारी राय की कुछ कद्र करेंगे। मैं यहां विधान सभा में बैठ कर रोज उनकी खिदमत में अपनी राय देता हूं। अगर हमने १०० रायें दी होंगी मगर उन १०० में से कभी एक भी राय नहीं मानी गई। हम समझने लगे हैं कि आखिर १०० में १०० अगर ग़लत राय हम देते हैं तो हमारा यहां बैठना फिजूल है।

अधिष्ठाता––चेम्बर में अगर आप राय दें तो शायद वित्त मंत्री जी मान लें।

श्री गेंदासिंह––तो इस प्रकार की राय के लिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जयप्रकाश जी ने जवाहरलाल जी से राय मशविरा की बात सोची थी लेकिन बदकिस्मती है कि उत्तर प्रदेश का ही सबसे ज्यादा कसूर साबित होगा कि वह बात चल नहीं पाई। मैं जानता नहीं कि यह कहां तक ठीक है लेकिन जो इत्तला मुझे मिली है वह कुछ इसी तरह की है। अगर इस तरह से सोचा जाय तो शायद कोई रास्ता निकल पड़े लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि इन पेंशनों के साथ एक बड़ा भारी सिद्धान्त सम्मिलित है। जब हम ऐसे लोगों को पेंशन देते हैं जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत के नाम पर मुल्क की कोई खिदमत न करके कुछ दूसरे ही काम किये जिनसे मुल्क का भला नहीं हो सकता था ऐसे लोगों को पेंशनें देना कहां तक न्याय-संगत होगा। मैं अंग्रेज कौम का या अंग्रेज जाति का मुखालिफ नहीं हूं। अंग्रेजों में से एक ह्यूम साहब थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, चाहे जिस नियत से की हो, उनके लिये नहीं कह सकते कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई काम किया और न हम उनको बदनाम ही कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों में ज्यादातर लोग जो हुकूमत कर रहे थे उन्होंने गुलाम बनाने की ही कोशिश की, मुल्क की कोई खिदमत नहीं की। हमें सोचना पड़ेगा कि जो मुल्क की आजादी के लिये लड़े लेकिन वे आज भूख से मर रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि उनके लिये पैसा कहां से लायें। इसीलिये मैं कह रहा था कि जबतक किसी और की बन्द न कीजियेगा तबतक कोई भला आदमी भी न पायेगा। अगर एक तरफ से बन्द कीजिये तो दूसरी तरफ दीजिये हमको कोई ग़लतफहमी नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह न पूंजीपति हैं, न समाजवादी हैं, वह कुछ बीचवाले हैं। यह बीच वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर यह पूंजीपतियों की सरकार होती तब तो आपकी कानपुर वालों से पूरी पटरी बैठ जाती मगर मुश्किल यह है कि न समाजवादी सरकार है और न पूंजीवादी सरकार है इस बीच में रहने से काम चलने वाला नहीं है। समाजवादी सरकार तो एक सिद्धान्त पर चलती है और सिद्धान्त को लेकर चलती है अगर उसी तरह से हो जाता तो ठीक था।

अब आखिर में उनकी तारीफ करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उसके लिये तो जवाब की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने लाइव स्टाकमेन के लिये भी पेन्शन पाने का जो उन्होंने बन्दोबस्त किया है उसके लिये हमारे वित्त मंत्री जी जरूर बधाई के पात्र हैं क्योंकि पशुओं की सेवा करने वालों के लिये उन्होंने पेंशन का प्रबन्ध कर दिया है।

हमारा जो यह कटमोशन है यह किसी सिद्धान्त पर बेस्ड है और मैं माननीय वित्त मंत्री से फिर दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर जरूर गौर करने की कृपा करें।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या ३६—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें (लेखा शीर्षक : ५५ बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें) के अन्तर्गत २,०१,६०,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या ४८—पेंशनों की संराशि (लेखा शीर्षक ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान) के अन्तर्गत २२,७५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक द—ब्याजवाले ऋण और अग्रऋण

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—ब्याजवाले ऋण और अग्रऋण (लेखा शीर्षक द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण) के अन्तर्गत ५,२०,४०,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

जिनको यह रुपया दिया जाना है उसकी तफसील इसमें लिखी हुई है और कोई खास बात इसके मुताल्लिक बयान करने की जरूरत नहीं है।

*श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५० के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती कर दी जाय। इस अनुदान के लिये आधा घंटे का समय था लेकिन उसमें १० मिनट तो निकल ही चुके हैं। बहुत सी बातों के कहने के लिये तो समय बाकी नहीं है लेकिन जब मैं इस अनुदान को देखता हूं तो इसमें बहुत से अनुदान हैं। उनमें नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस वगैरह और कामों के लिये तो मुझे कुछ कहना नहीं है। दूसरे कुछ अनुदान ऐसे हैं जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक अनुदान में ६० लाख रुपया म्युनिसिपल बोर्ड के लिये है और उसके साथ साथ ५ लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये है इनके प्रपोर्शन को जब हम देखते हैं तो यह मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में करीब-करीब ८३ फीसदी लोग ऐसे हैं जो देहात के अंदर रहते हैं। करीब-करीब १७ फीसदी लोग जो हैं वह शहरों के अन्दर रहते हैं। इस प्रकार की डिस्पैरिटी से जो रुपया दिया जाता है वह हमारी समझ में नहीं आता है।

जहां तक फाइनेंस कमेटी का ताल्लुक है मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि फाइनेन्स कमेटी की यह सिफारिश थी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जो जो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले हैं और उनके जिन जिला बोर्डों की आर्थिक स्थिति खराब है उनको फारेस्ट डिपार्टमेंट से जो वहां के फारेस्ट से आमदनी होती है उसका एक-चौथाई हिस्सा दिया जाना चाहिये और जब आप उनको थोड़ी सी ग्रान्ट देते हैं तो उसमें से भी लोन का रुपया काट लेते हैं जिससे उनकी समस्या और भी बिगड़ जाती है और वह हल नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि फाइनेंस कमेटी की जो यह रिकमेंडेशन है कि फारेस्ट की आमदनी में से उनको एक चौथाई जिला बोर्डों को दिया जाय, उस पर क्या गौर किया गया है और हमें यह बताया जाय कि फाइनेंस कमेटी की इस रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना गया ?

अधिष्ठाता महोदय, एक प्रश्न यह भी है कि मार्टिन कंपनी को बिजली की सप्लाई के लिये ट्रान्समिशन लाइन्स को डालने के लिये १९ लाख २४ हजार रुपया तथा और अन्य कम्पनियों को ५ लाख रुपया दिया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उनको यह रुपया क्यों दिया जा रहा है। शायद वित्त मंत्री जी यह कहेंगे कि मार्टिन कम्पनी जो लाइन्स बनवायेगी वह कम खर्चे में सस्ते भाव पर बन जायेंगी। इससे यह अनुमान होता है कि बिजली विभाग से जो लाइन्स डाली जाती हैं वे महंगी पड़ती हैं और यह कि प्राईवेट कम्पनीज का मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन यह आपकी नीति के बिल्कुल विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि मकानों के लिये एक अनुदान रक्खा गया है उसके लिये ५ लाख रुपया दिया गया है। जहां तक कम वेतन पाने वाले लोगों का संबंध है, अन्य जो इंटेलीजेंशिया या अन्य विभागों के कर्मचारी हैं उनके मकानों की समस्या के बारे में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उनको प्रायरिटी दी जाय। लेकिन आपने उसके लिये केवल ५ लाख रुपया ही दिया है। अंग्रेजों के समय में भी लोगों को लोन और जमीन देकर मकान मुहैया किये गये थे और आज वे लोग अपने मकानों में रहते हैं। अगर उसके लिये और अधिक अनुदान रक्खा जाता तो अच्छा होता।

एक और अनुदान जो गत वर्ष भी था काट दिया गया है। वह मजदूरों के मकान के बारे में था। उसके लिये कोई अनुदान नहीं रखा गया है अगर उसके लिये कुछ रुपया रख दिया जाता तो मजदूरों की कुछ समस्या हल हो सकती थी।

गन्ने के बीज के संबंध में १०,००० रुपया रखा गया है। इस बारे में मुझे यह कहना है जैसा कि मैंने दूसरे अनुदान में भी कहा था कि बीज जो दिया जाता है उसके बदले में पैसे लिये जाते हैं जब कि बीज के रेट्स प्रायः घटते बढ़ते रहते हैं जैसे पहले गन्ने के बीज का रेट २ रुपया था और इस समय उसका रेट एक रुपया कुछ आना है तो गन्ने के बीज का जो रुपया लिया जायगा वह उस रेट से लिया जायगा जिस रेट पर वह लोन दिया गया था। इसी तरह से लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है और सरकार ६ फीसदी से लेकर ९ फीसदी तक ब्याज लेती है जो बहुत ज्यादा है।

जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, प्राप्तियां कुछ भी नहीं हैं। जो अनुमानित प्राप्तियां हैं वह ४ करोड़ ५८ लाख रुपये के करीब हैं। इन प्राप्तियों में हम देखते हैं कि २ करोड़ बोर्ड्स की हैं और खर्चा ५ करोड़ का बताया जाता है। पिछले वर्ष में एक्चुअल प्राप्तियां १९५२-५३ में एक करोड़ की हैं। उनसे अनुमान लगाया जाता है कि जो लोन दिये जाते हैं वे कितने परसेंटेज में वापस होते हैं। इसका स्पष्टीकरण नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाब यह सही है कि ५ लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये रखा गया है और ६० लाख रुपया म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिये रक्खा गया है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कर्ज का रुपया है। उन्होंने कर्जा देने के लिये रुपया मांगा और उनकी कोई दूसरी मांग इस वक्त सरकार के सामने नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड्स की वाटर वर्क्स और ड्रेनेज की स्कीम्स चल रही हैं जिन के अगेन्स्ट रुपया देना है लिहाजा इस हिसाब से यह रुपया रक्खा गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले अगर कोई बाद में रुपया मांगें तो उस समय भी दिया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि अगर किसी ने बीच में रुपया मांगा और उनकी जरूरत ठीक समझी गई तो उनको इस ५ लाख से भी ज्यादा रुपया दिया जा सकता है और कोई बात नहीं है जिसकी वजह से कम रक्खा गया है। जिनका मेरे दोस्त जिक्र कर रहे हैं और जिन कामों के लिये यह रुपया रक्खा गया है वह केवल अन्दाजा है। इससे भी ज्यादा मांग आ सकती है। अगर कोई आये तो उसको गवर्नमेंट मंजूर भी कर सकती है और इंकार भी कर सकती है। बजट के पास होने से कोई दरवाजा बन्द नहीं होता। इस वक्त जितना अन्दाजा हो सकता है वह रक्खा गया है। मैं हर एक चीज को इसलिये बयान नहीं कर सकता क्योंकि वक्त बाकी नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि जिस बिना पर यह समझा गया कि किसी खास वजह से यह रखा गया है। यह बात नजर में नहीं रखी गयी कि यह रुपया खर्च नहीं करना है।

*श्री गंगाधर मैठाणी---अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये बहुत सी बातों का जिक्र किया है उसमें प्रायः सभी पर आपने प्रकाश नहीं डाला है लेकिन जो सबसे प्रमख बात कही थी वह पहाड़ी जिलों के संबंध में थी इस अनुदान के संबंध में फाइनेंस कमेटी ने सिफारिश की है कि वहां जो फारेस्ट से आमदनी है उसका एक चौथाई जिला बोर्डों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये दिया जाय। वह एक-चौथाई इसमें तो नहीं आता है, वह लोन के संबंध में तो नहीं आता है लेकिन उस ग्रान्ट का इससे संबंध है

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस अनुदान में वह नहीं आता है इसलिये मैंने उसकी बाबत कुछ नहीं कहा।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५० के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०-ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (लेखा शीर्षक द-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण) के अन्तर्गत ५,२०,४० ४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति†

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १४३ की उपधारा (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५०१ टी० पी० / ३० / १४२(१३२) । टी । ५२, दिनांक २८ जनवरी, १९५४, जिससे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२४ मार्च, १९५४।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† यहां पर छापी नहीं गयी।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर)

सन् १९५२ व ५३ में बहराइच में नमक की सप्लाई का विवरण-पत्र

१९५२

माह	मासिक कोटा	सप्लाई
	छोटी लाइन के डिब्बे	छोटी लाइन के डिब्बे
१—जनवरी	४९	९०
२—फरवरी	४९	७६
३—मार्च	४९	४४
४—अप्रैल	४९	२२
५—मई	४९	५६
६—जून	४९	५४
७—जुलाई	४९	३९
८—अगस्त	४९	८२
९—सितम्बर	४९	३५
१०—अक्तूबर	४९	२८
११—नवम्बर	४९	१२
१२—दिसम्बर	४९	४०
	५८८	५७८

१९५३

१—जनवरी	४९	११
२—फरवरी	४९	८१
३—मार्च	४९	५५
४—अप्रैल	४९	—
५—मई	४९	४८
६—जून	४९	६७
७—जुलाई	४९	३०
८—अगस्त	४९	६३
९—सितम्बर	४९	३२
१०—अक्तूबर	४९	२३
११—नवम्बर	४९	२७
१२—दिसम्बर	४९	२२
	५८८	४५९

१०० धारंगधरा से अतिरिक्त सप्लाई
५५९

अदर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५५ पर)

विवरण

लेखा शीर्षक--५०--नागरिक निर्माण कार्य (क) नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

(ख) जिला बोर्डों को

(१) कतिपय सड़कों के रखरखाव के लिये--

			रु०
जिला बोर्ड बहराइच को	..	..	१,६३१
जिला बोर्ड अल्मोड़ा को	..	..	५,५५६
(२) डाकबंगलों के रखरखाव के लिये जिला बोर्ड नैनीताल को			१२५
		योग ..	७,३१२

लेखाशीर्षक--५७--विविध व्यय (च) अंशदान (२) जिलाबोर्डों को--

(१) सामान्य प्रयोजनों के लिये--			
जिला बोर्ड सहारनपुर	..	..	३०,०००
जिला बोर्ड बुलन्दशहर को	..	..	३०,०००
(२) ठेका अंशदान जिला बोर्ड बलिया को		..	४०,६२६
(३) ठेका अंशदान जिला बोर्ड देहरादून को		..	१,२९५
(४) ठेका अंशदान निम्नलिखित बोर्डों को--			
देहरादून १,२९५ रुपये के अतिरिक्त			२८,४३०
पीलीभीत	..	..	४७,३८८
फर्रुखाबाद	..	..	११,४५०
झांसी ..	..	..	७३,०२०
हमीरपुर	..	..	१३,७३०
बांदा	..	..	२६,१५९
मिर्जापुर	..	..	७,११२
गोरखपुर	..	..	६,६८१
देवरिया	..	..	६,६८१
नैनीताल	..	..	२२,३३८
अल्मोड़ा	..	..	३५,०००
गढ़वाल	..	..	२५,०००
खेरी	..	..	१७,६८८
फैजाबाद	..	..	३,०००
बहराइच	..	..	८,३२२
जालौन	..	..	६,६८१

		रु०
(५)	पाठशालाओं, चिकित्सालयों और सड़कों के लिये—	
	जिला बोर्ड नैनीताल को	१२,०००
	जिला बोर्ड अल्मोड़ा को	३७,६७२
	जिला बोर्ड गढ़वाल को	२७,७०३
(६)	कतिपय वाटिकाओं के वापस ले लेने के संबंध में जिला बोर्ड झांसी को मुआविजा	२,२१९
(७)	कुछ सरकारी रियासतों को लोकल रेट से मुक्त करने के संबंध में मुआविजा	
(८)	जिला बोर्ड नैनीताल को	६०,०००
	जिला बोर्ड गढ़वाल को	५,३००
(९)	दो अतिरिक्त टीका लगाने वालों की नियुक्ति के लिये जिला बोर्ड गढ़वाल को अनुदान	१,९००
(१०)	लोहाघाट नजूल के प्रव्याज (प्रीमियम) के बदले जिला बोर्ड अल्मोड़ा को अनुदान	५,०००
(११)	अन्य प्रदेशों के इस प्रदेश में विलोनीकृत भूभागों पर लोकलरेट न लगा सकने के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिये अनुदान—	
	जिला बोर्ड झांसी को	२८,०००
	जिला बोर्ड जालौन को	१७,०००
	जिला बोर्ड हमीरपुर को	३३,०००
(१२)	कोरन्टाडीह घाटों की अतिरिक्त आय के बराबर जिला बोर्ड बलिया को अनुदान ..	२०,०००
	योग ..	६,९०,३९५

संसद भवन पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

तालिका

(अ)

सरकारी कुष्ठ चिकित्सालय	व्यय (०)
	रु०
१—कुष्ठ चिकित्सालय, बहराइच	१०,०३५
२—कुष्ठ चिकित्सालय, गोरखपुर	२०,५७१
३—कुष्ठ क्लीनिक, सदर अस्पताल, देवरिया	२,५१८
४—कुष्ठ संस्थाओं को अनुदान	२,१५,०००

(०) यह व्यय १९५३-५४ के ८ माह का कुल व्यय है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी १७० एल० ए०—१९५४—८५०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश